खण्ड-271, अंक-2
सोमवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1888
(20 मार्च, 1967 ई0)

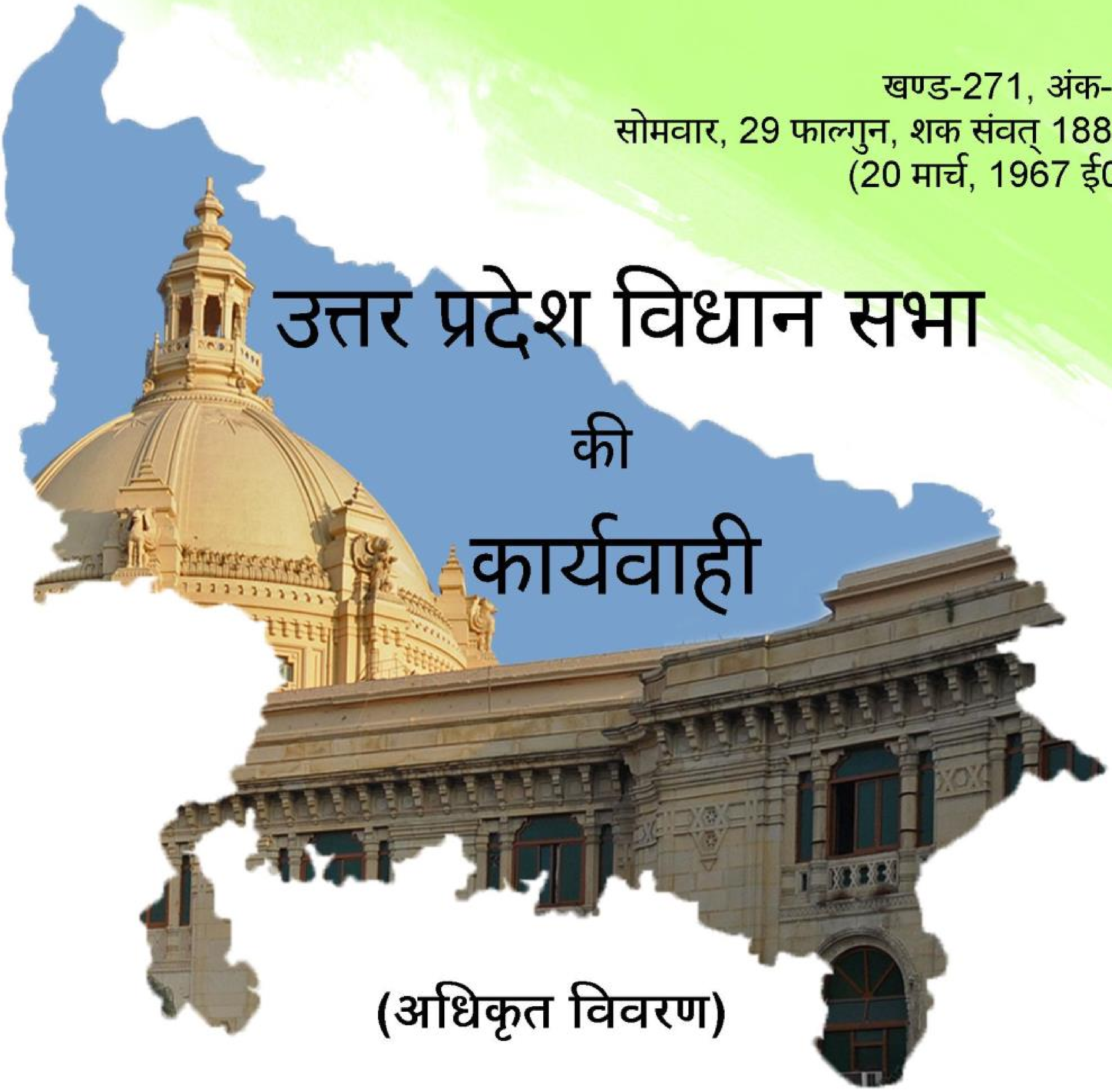

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 271 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २० मार्च, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीशशरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७३

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्याप्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अशर्फीलाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर शरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारसरन, श्री
ओम् प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कामतासिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गयाप्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री

गिरिराजसिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपालराम दास, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरीराम, श्री
गौरी शंकर सर्राफ, श्री
गौरी सिंह राठौर, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रकिशोर, श्री
चन्द्रकुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखरसिंह, श्री
चरणसिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगतसिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगदीशसिंह, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह, श्री
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिनहा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवीसेवक, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
देशराजसिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मगजसिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री
नन्हेलाल, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बरराम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारे लाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारूक चिश्ती, श्री

फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंगबली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसीदास, श्री
बलबीरसिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्तसिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबू सिंह, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनीबाई, श्रीमती
बेनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्सादीन, श्री

मलिखानसिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रताप सिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायमसिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथसिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथसिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबली, श्री
राजहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर चन्द, श्री

अखिल भारतीय विधान सभा

राजाबहादुर द्विवेदी, श्री
राजा राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
रामअंजोर, श्री
रामअचल सिंह सेनार, श्री
रामअधार, श्री
रामअधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
राम कुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम सिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
रूपनरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लालबहादुर, श्री
वरमेश्वर पाण्डेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रतापसिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
वीरबहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री

शीतलादीन, श्री
शीतलाप्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्यामसिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरीबाबू)
हरिहर बख्शसिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (अविश्वास के प्रस्ताव पर मतदान) नियमावली†, १९६६ व उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अविश्वास के प्रस्ताव पर मतदान) नियमावली, १९६६†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या—

(क) ५४४० बी/३३–१५७–६५, दिनांक १२ अक्तूबर १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (अविश्वास के प्रस्ताव पर मतदान) नियमावली, १९६६, तथा

(ख) ५४३९–बी/३३–१५७–६५, दिनांक १२, अक्तूबर, १९६६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अविश्वास के प्रस्ताव पर मतदान) नियमावली, १९६६

को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री चन्द्रबली द्वारा अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने निलम्बन का एक प्रस्ताव आपके समक्ष रखा है.....

श्री अध्यक्ष—

जो हमारा कार्यक्रम है और जिससे हम चल रहे हैं, उसी के अनुसार हम चलेंगे ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री चन्द्रबली—

श्रीमन्, प्रस्ताव यह है कि इस एजेन्डे में कार्य स्थगन प्रस्ताव एक दम से अन्त में लेने के लिए दिया हुआ है कारण यह है कि जो प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, ७ दिसम्बर, १९६६, को संशोधित हुयी है, उसमें नियम ३१५ में सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्य की सापेक्ष अग्रेता दी हुयी है। इस सम्बन्ध में कृपया उप-नियम २८, २९ देखने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझ गया। आपने जो प्रस्ताव मेरे पास भेजा है, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन किये देता हूं। यह प्रस्ताव जो आपने अभी भेजा है, उसमें मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य अवश्य ही दिलचस्पी रखते होंगे क्योंकि प्रत्यक्ष है कि जो हमारी नयी प्रक्रिया नियमावली है, उससे एक अन्तर हमारे सामने आ रहा है। अभी तक जो नियम ५१, ५२ व ५३, जो हमारी धाराएं थी, उसके अन्तर्गत जो कार्यक्रम होते थे वे प्रश्नोत्तर के पश्चात् होते थे। अब उसका क्रम आगे चला गया है। जो हमारी नयी नियमावली है, वह इस सदन से स्वीकृत हो चुकी है और लागू हो चुकी है। नियमों में संशोधनों की प्रक्रिया अलग है इसका प्राविधान नियम २५१ में है और नियमों के निलम्बन की प्रक्रिया नियम ३११ में। इसमें दिया हुआ है कि किसी नियम का प्रभाव किसी विशेष प्रस्ताव पर होता हो तो उसका निलम्बन किसी विशेष परिस्थिति से हो सकता है लेकिन किसी नियम का परिवर्तन स्थायीरूप से नहीं हो सकता है। उसके लिये प्रक्रिया नियमावली में अलग प्राविधान है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे अपने कक्ष में बात कर लूंगा और यदि आवश्यकता हुयी तो सदन में फिर इसे ले लेंगे।

श्री चन्द्रबली—

श्रीमन्, आप इसको पढ़ कर देखें, जो कामरोको और ध्यान आकर्षक प्रस्ताव होंगे वे अब सारी कार्यवाही के बाद आयेंगे और तब उसका कोई मतलब नहीं रह जायेगा। इसलिए तब तक के लिए निलम्बित कर दीजिये जब तक बाकायदा संशोधित न हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

साधारणतया जिस रूप में आपने प्रस्ताव रखा था मुझे यह भी आवश्यक नहीं था कि इस समय इस विषय में बताता। लेकिन इसलिए मैंने बताना आवश्यक समझा कि सारे दिन सदन को उस में दिलचस्पी हो सकती थी और उस प्रक्रिया से अवगत हो जायें। अब यह जो आप कहते हैं कि वह नियम निलम्बित हो जाय, तो उस में दिक्कत होगी। अभी तो नियमावली की स्याही भी नहीं सूखी है, वह पहली बार सदन के सामने आ रही है। उसको विशेषज्ञों बनाया, सदन ने स्वीकार किया। अब अगर आप का अनुभव यह बताये कि यह परिवर्तन अधिक अच्छा नहीं लगता तो नियमों में प्राविधान है, स्थायी रूल्स कमेटी बनने जा रही है उस के द्वारा प्रक्रिया में परिवर्तन हो सकता है। इस समय उसमें कुछ नहीं हो सकता।

सदन के भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं—

सदन की बैठक के कार्यक्रम की जो सूचना माननीय सदस्यों को दी गयी थी, उसके अनुसार सदन की बैठक २१ मार्च, १९६७ के उपरान्त २३ मार्च, १९६७ को होनी थी। परन्तु नेता सदन तथा नेता विरोधी दल के परामर्श से, अब यह निश्चय किया गया है कि विधान सभा की बैठक २३ मार्च, १९६७ को नहीं होगी। २१ मार्च, १९६७ की बैठक के उपरान्त सदन की बैठक होली की छुट्टियों के बाद जो पहले २८ मार्च, १९६७ से होने वाली थी, अब २९ मार्च, १९६७ से होगी तथा २९, ३०, ३१ मार्च तथा १ अप्रैल, १९६७ को माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी।

इतना और आप को सूचना के लिए कहना चाहता हूं कि पहली अप्रैल को शनिवार है। लेकिन माननीय नेता विरोधी दल के परामर्श से जिस से माननीय नेता सदन भी सहमत हैं, यह प्रस्ताव रखा गया है। मैं समझता हूं कि सारे सदन को यह स्वीकार होगा।

अधिष्ठाता मण्डल के लिए नाम निर्देशित सदस्यों के नामों की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना सदन को और देना चाहता हूं। विधान सभा के कार्य के लिए एक अधिष्ठाता मण्डल का गठन होता है। मैंने इस समय ४ माननीय सदस्यों के नाम मनोनीत किये हैं, ये हैं डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्री कृष्णानन्द राय, श्री प्रताप सिंह तथा श्री राम स्वरूप वर्मा। शेष बाद को निश्चित किये जायेंगे।

साहित्य न मिलने पर आपत्ति

श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)—

आज के सदन के कार्यक्रम के अनुसार जो विकास मन्त्री ने नियमावली सदन के पटल पर रखने की सूचना दी है, वह पटल पर रखी तो नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष—

आपने पिजन होल्स नहीं देखे। वहां पर मुझे सूचना दी गयी है कि रख दी गयी है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन के पटल पर रखने से मतलब यहां रखने से है, पिजन होल्स से नहीं। जो आप भविष्य के लिए आदेश दे दें।

श्री अध्यक्ष—

वह सदन के पटल पर रखी हुई है। सदन के पटल का मतलब आप की मेज नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—

हमें मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

वह पिजन होल्स में रखी हुई है।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—

श्रीमन्, मैंने देखा है कि पिजन होल्स में नहीं रखी हुई है।

श्री अध्यक्ष—

अगर ऐसा है तो आप को मिल जायेगी।

उत्तर प्रदेश, कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मन्त्री (श्री फूलसिंह)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए

[श्री फूलसिंह]

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५८ की धारा १० की उपधारा (१) की मद (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के अधिनियम, १९५८ की धारा १० की उपधारा (१) की मद (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

१९६६–६७ के तृतीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

इससे पहले कि मैं अगला कार्यक्रम लूं, माननीय नेता विरोधी दल से मैं यह परामर्श चाहूंगा कि वह किस प्रकार आज का वादविवाद चाहेंगे। इसमें यह हो सकता है कि साधारण वादविवाद के लिए कोई समय निश्चित कर दें और उसके बाद मांगें प्रस्तुत हो जायं और उन पर सीधे वोट हो सकता है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मैं चाहता हूं कि सामान्य वादविवाद पहले इस पर हो जाय और बाद में इस पर वोटिंग हो।

श्री अध्यक्ष—

मेरा खयाल है कि पहले ३ बजे तक सामान्य वादविवाद हो जाय और उसके बाद मांगें प्रस्तुत कर दी जायें, और उन पर बिना चर्चा के वोट हो जाय। (किसी के आपत्ति न करने पर)।

श्री रामचन्द्र विकल—

(श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर)—अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थान पर श्री प्रतापनारायण तिवारी पेश करेंगे।

श्री प्रतापनारायण तिवारी (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर...

श्री अध्यक्ष—

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिला दूं कि अभी कटमोशन पेश करने की जरूरत नहीं है। पहले साधारण वादविवाद को इनिशियेट करना है। उस के बाद ही कटौती के प्रस्ताव पेश होंगे।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

श्रीमन्, अनुपूरक बजट जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जब से यह नया मन्त्रिमण्डल गठित हुआ तब से सारे प्रदेश की जनता की आशाओं पर तुषारापात हो गया, क्योंकि लोगों को पिछले आम चुनाव के परिणामों के अनुसार यह आशा थी कि ३१ प्रतिशत वोट पर जीती हुई पार्टी के हाथ में प्रदेश का शासन इस बार सौंपा नहीं जायगा लेकिन यह दुर्भाग्य है कि माननीय राज्यपाल ने प्रदेश की करोड़ों जनता की भावनाओं का निरादर करते हुए अल्पमत को सरकार बनाने का आदेश दिया। जो लोग नयी सरकार में लिये गये हैं, जिनके हाथ में सत्ता की बाग डोर आयी है उन के बारे में लोगों ने ही नहीं, उस

पक्ष के एक सम्मानित सदस्य, चौधरी चरण सिंह द्वारा जो समाचार पत्रों में वक्तव्य दिया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि नये मन्त्रिमण्डल में उन्हीं लोगों को लिया गया है जिनके ऊपर पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे और जिनकी जांच अभी तक नहीं की गयी। नाम लेने की विशेष आवश्यकता मुझको नहीं है लेकिन यदि उनमें से कुछ लोगों को गिनाया जाय तो माननीय बनारसीदास जी के बारे में इसी सदन में आरोप लगाया गया था कि 'अल्का इन्डस्ट्री' में उनकी धर्मपत्नी का हिस्सा है और उनके जो सुपुत्र हैं, वे इन्श्योरेंस का बिजिनेस करते हैं . . . ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है हमारा। जो प्रक्रिया नियमावली है उस के नियम १९५ के मुताबिक अनुपूरक अनुदानों पर वादविवाद केवल उसकी मदों तक ही सीमित रहेगा और जब तक चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक न हो, मूल अनुदानों पर या उनमें अन्तर्निहित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह चाहूंगा कि आप सब मेरी यह सहायता करें कि जो काम मेरा है वह मेरे लिए छोड़ दें। फिर अगर कोई बात कहनी हो तो कहें। मैं जरा इन की बात सुन लूं।

श्री रामायण राय—

श्रीमन्, जो मदें प्रस्तुत नहीं हैं उन के सम्बन्ध में भी क्या वाद-विवाद हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं यह समझता हूं कि माननीय रामायण राय जी ने जो व्यवस्था उठायी है वह निर्मूल है। इसमें है कि मूल अनुदानों पर या उनमें अन्तर्निहित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। यह ठीक है। लेकिन बाकी सारी जो व्याप्त परिधि है उसमें नीति का जिक्र करना या जो मामले सीधे उससे सम्बन्धित हैं, उसकी चर्चा करना बिलकुल ठीक है। यह होता रहा है और उसका होना आवश्यक भी हो जाता है।

श्री रामायण राय—

उस के लिए . . .

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर कोई बहस तो हो नहीं सकती है।

श्री रामायण राय—

आपने जो व्यवस्था दे दी है वह शिरोधार्य है लेकिन . . .

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

माननीय तिवारीजी, मैं आपका भी ध्यान इस ओर आकर्षित कर दूं कि इस विवाद की सीमायें अवश्य हैं। उसका एक जिक्र होना तक तो ठीक हो सकता है लेकिन अगर उसमें कुछ ज्यादा विस्तार में चले जायें, और जो प्रस्तुत अनुदान है उनको न देखें, तो फिर जरा ठीक नहीं होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि आपने अभी यह कहा कि अनुदान के सम्बन्ध में ही आप बोल सकते हैं। उनकी परिधि के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो सामान्य वादविवाद में सरकार की जो नीतियां हैं हर एक क्षेत्र में, चाहे ऐग्रीकलचर में हों, चाहे इरिगेशन में हों, चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, सरकार की पूरी नीतियां आ सकती हैं और मन्त्रिमण्डल के बारे में भी चर्चा की जा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सामान्य वादविवाद में मन्त्रिमण्डल के बारे में, सरकार का जिस तरह से गठन हुआ है उसके बारे में अगर सरकार की पूरी नीतियों के बारे में चर्चा करने की आप आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष—

सामान्य वादविवाद और जो आप वाद विवाद कर रहे हैं, उसमें अन्तर है। जब सामान्य बजट पर वादविवाद होता है तब आप सरकार की सारी नीति की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन आज जो प्रस्तुत मांगें हैं केवल उन्हीं तक सीमित रहना पड़ेगा। मैंने जो अभी तक आपको नहीं रोका, वह इसलिए कि सामान्य प्रशासन में भी कुछ मांग है। इसलिए आप सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत जो कुछ आता है उस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार और अधिक विस्तार में इस मन्त्रिमण्डल के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे और भी विशेष बातें कहनी हैं। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जिस मन्त्रिमण्डल के द्वारा यह अनुपूरक बजट रखा गया है और प्रदेश की जनता के हित को सामने रखते हुए यह कहा गया है कि हम एक योजना लेकर सामने आये हैं लेकिन मन्त्रिमण्डल इस बारे में पूर्ण रूप से अक्षम है, असमर्थ है कि वह जनता की कोई सेवा कर सके बल्कि मैं इतना कहूंगा कि जनता की खून पसीने की कमाई का यह सदुपयोग कर सकेगा, इसके बारे में भी मुझे सन्देह है। जहां तक और लोगों के बारे में है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा लेकिन इतना अवश्य है कि आज इस प्रदेश के शासन की बागडोर जिन चीफ मिनिस्टर के हाथ में सौंपी गयी है, उन को भी जनता ने किस तरह से ६५ लाख रुपया उन को वर्षगांठ पर दिया और बड़े-बड़े व्यापारियों तथा व्यवसायियों ने उसमें भाग लिया है और उसका कितना बड़ा विरोध जनता में हुआ था, यह सबके ऊपर प्रगट है।

अभी २/४ दिन पहले लखनऊ में कुछ व्यापारी पकड़े गये, जो जखीरेबाज हैं उन को जरूर पकड़ना चाहिए और दण्ड देना चाहिये। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो बड़े-बड़े जखीरेबाज हैं, उनके यहां पुलिस नहीं पहुंची बल्कि छोटे-छोटे दुकानदारों के यहां, जहां से कांग्रेस को इलेक्शन में वोट नहीं मिला, उस मुहल्ले सआदतगंज में पुलिस द्वारा तलाशी ली गयी। लेकिन एक बोरा भी नहीं मिला। जिनके यहां सैकड़ों बोरे गल्ला है और जिन्होंने कांग्रेस को चन्दा दिया था, वहां पुलिस नहीं पहुंची। क्या इस तरीके से जखीरेबाजी को रोका जा सकता है? मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि गोंडा में जो लोग पकड़े गये हैं, हो सकता है कि उनके यहां २/४ बोरे गल्ले के मिले हों, लेकिन जिन्होंने माननीया सुचेता जी के इलेक्शन में काम किया और चन्दा दिया उनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया है। गोंडा की जनता इसको भलीभांति जानती है कि कौन जखीरेबाज है और जो जखीरेबाज हैं उनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया है। मेरा कहना यह है कि खाली नारेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। यदि सरकार सचमुच इस समस्या को हल करना चाहती है तो उसको निष्पक्ष होकर काम करने की आवश्यकता है।

जब बजट सदन के समक्ष रखा जाता है तो सरकार की ओर से कहा जाता है कि प्रशासन में कमी करेंगे और जहां तक हो सकेगा किफायतशारी से काम लेंगे। लेकिन सदन की घोषणा सदन में ही रह जाती है और अंधाधुन्ध खर्चा होने लगता है तथा अनुपूरक बजट में लाखों

करोड़ों रुपयों का खर्चा सदन के सामने रखा जाता है और कहा जाता है कि आवश्यकता पड़ गयी, मजबूरी थी, खर्चा हो गया और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है। इसी तरह की बात आप इस बजट में देखेंगे, इसमें प्रशासन में जो खर्चा दिखाया गया है, मैं कहूंगा कि वह बिलकुल निरर्थक है और मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकृति नहीं देगा। सामान्य प्रशासन में २,३८,०८,३०० रुपये की मांग की गयी है। यह खर्चा आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत बताया जाता है। यह खर्चा क्यों हुआ? इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। हो सकता है कि मन्त्रिगण इसका उत्तर दें। लेकिन यह स्पष्ट है कि किसी तरह की कटौती नहीं की गयी है। पिछले दिनों जो आन्दोलन, राज्य कर्मचारियों और अध्यापकों के जिन मांगों को लेकर, हुये थे, जिनके लिए उन्होंने मुसीबतें सहीं, उनके बाल बच्चों को तकलीफें सहनी पड़ीं, उनको देखते हुए मुझे आशा थी कि इस बजट में कुछ न कुछ अवश्य रखा जायेगा। लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई कि उनकी किसी तरह की कोई मांग स्वीकार नहीं की गयी है। केवल थोड़ा सा उल्लेख किया गया है और कुछ लोगों को ६ तथा ९ रुपये की तरक्की दिखायी गयी है और उसके लिए प्रतीकारात्मक १०० रुपये रख दिये गये हैं। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है और न कोई स्वीकृति मांगी गयी है। यदि इस सदन में ऐसी स्वीकृति मांगी जाती तो हम लोग सहर्ष स्वीकार करते। इसलिए यह जो अनुपूरक बजट रखा गया है प्रदेश में जो लोग सबसे अधिक कष्ट में हैं उनको दृष्टि में रख कर नहीं किया गया है।

तीसरी बात यह है कि राज कर्मचारियों और अध्यापकों के अलावा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों ने भी अपनी मांगें रखीं, हड़तालें कीं। उन स्थानीय निकायों के कर्मचारियों में सबसे तिरस्कृत वर्ग भंगियों का है, जिनको ३५ रुपये तनख्वाह मिलती है और जो मंहगाई में भूखों मर रहे हैं, उस वर्ग के बारे में इस के अन्दर कोई उल्लेख नहीं है। यह मांग जो मोटा-मोटा प्रशासकीय खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, उसके लिए की गयी है। मैं इसका किसी प्रकार समर्थन नहीं कर सकता।

१९६६ की आडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद २०५ के विपरीत ९ करोड़ रुपया खर्च किया गया है। उसको भी नियमित करने के लिए इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी, मुझे बता दें कि कितने मिनट आप बोलना चाहेंगे। बोल लें आप, लेकिन कितना समय आप लेंगे, यह आपकी भी सहायता करेगा।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

१५ मिनट और चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

बोलिए आप। जल्दी खत्म कर लें तो अच्छा है। दस मिनट में आप समाप्त कर दें।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

इस मार्च के महीने में सात दिन रह गये हैं। सात दिन में ३१ करोड़ का अनुपूरक बजट किस प्रकार खर्च करेंगे यह स्पष्ट है। बिना पूछे खर्चा चल रहा है और यह कहा जायगा कि सात दिन में पूरा हो जायगा। सात दिन में विभागों को आदेश भी नहीं पहुंच पायेंगे। यह बात दूसरी है कि एक दो करोड़ किसी को दे दिया जाय और वह अपने पास रख ले। जिस तरीके से इस प्रदेश के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया, वह स्पष्ट है। राय बरेली के चुनाव में श्रीमती गांधी ने स्वयं घोषणा की कि सात लाख रुपया अल्पकालिक योजना में दिया जायगा। वह चार दिन में बांटा गया। क्या इसकी प्रदेश ने स्वीकृति दी थी? चुनाव जीतने के लिए यह सब किया गया। बलरामपुर, गोंडा में जहां से सुचेता कृपालानी जी खड़ी

[श्री प्रतापनारायण तिवारी]

हुई थीं, हजारों बोरी आटा मुफ्त बांटा गया। बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र में १५ तारीख को चुनाव था। १४ तारीख को श्रीमती सुभद्रा जोशी और उनके साथियों ने एक बजे रात तक आटा बांटा वोट जीतने के लिए। एलेक्शन खत्म हो गया। जनता भूखों मर रही है। आज गोंडा जिले में यह हालत है कि दो तीन दिन से उपवास हो रहा है। सरकार ने, जितनी भी योजनायें चल रही थीं, वापस ले लीं। यहां तक कि पशु पक्षी भी भूखों मर रहे हैं। तोते अरहर खा रहे हैं, जो फल खाया करते थे। थोड़ी सी अरहर बची थी वह तोते और गौरैया खत्म कर रहे हैं। प्रदेश में जो भुखमरी है उसका एस्टिमेट बजट में बनाना चाहिये था।

यह कहा गया, प्रचार किया गया कि गोंडा जिले में ९६ हजार कच्चे कुएं खोदे गये और उनके लिए वहां पर बीस-बीस रुपये प्रति कुयें के हिसाब से अनुदान दिया गया, लेकिन मैं कहता हूं कि एक भी कुआं नहीं खुदा। कोई भी वहां देख कर कह सकता है कि वह सारा रुपया कांग्रेस के एलेक्शन प्रचार में खर्च किया गया जिससे लोग श्रीमती कृपलानी और सुभद्रा जोशी को वोट दे दें। कभी कुओं के नाम पर, कभी डेस्टीटयूट फन्ड के नाम पर, कभी भुखमरी के नाम पर गोंडा और राय बरेली जिलों में लाखों रुपये खर्च किये गये। मैं समझता हूं कि ऐसे अनाप शनाप खर्चों के लिए स्वीकृति नहीं दी जा सकती। यह खर्चा सदन की अनुमति से नहीं किया गया इसलिए यह अनियमित है। इनका मैं विरोध करता हूं और यह पूरी आशा रखता हूं कि यह सदन इन खर्चों की अनुमति नहीं देगा।

सरकार ने इतना काम जरूर किया है कि सरकारी कर्मचारियों के नाम पर पुलिस पर खर्चा बढ़ाया गया है। पुलिस के एक विशेष वर्ग के लिए कुछ तनख्वाहें बढ़ायी गयी हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि इस प्रदेश के राज कर्मचारियों में दो दीवारें खड़ी हो जायं। एक कांग्रेस भक्त और दूसरे राष्ट्रभक्त। और यह सारा रुपया कांग्रेस भक्त कर्मचारियों का पेट भरने के लिए खर्च किया जा रहा है। जो राष्ट्रभक्त कर्मचारी हैं छोटे या बड़े उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गयी है। यह पैसा इसलिए व्यय किया गया जिस से कि पुलिस विद्यार्थियों पर, राज्य कर्मचारियों पर डंडे चला सके और पुलिस तो कम से कम कांग्रेस भक्त रहे इसलिए उस पर खर्च किया गया है।

हां, इस सरकार ने एक तरक्की जरूर की है। उसका उल्लेख करना मैं समझता हूं कि गलत नहीं होगा। वह तरक्की है शराब की बिक्री में। मैं आप की आज्ञा से यह श्वेतपत्र है, उसमें से पढ़कर सुनाना चाहता हूं:—"मुख्यतया नीलामों में अपेक्षाकृत अधिक मूल्य की बोलियां बोली जाने, शराबों और वाणिज्यिक प्रासवों से अपेक्षाकृत अधिक प्राप्तियां होने और अक्तूबर, १९६५ से शुल्क आदि की दरें पुनरीक्षित होने के कारण राज्य आबकारी के अन्तर्गत २८३ लाख रुपये की वृद्धि हुई।" यह है, हमारी सरकार जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेती है और जिसे शर्म भी नहीं आती कि केवल लखनऊ में ही ९ लाख रुपये की अधिक आमदनी शराब की दुकानों की बिक्री से हुई है। अगर अंग्रेजी शराब से यह आमदनी होती तो अधिक चिन्ता की बात नहीं थी, लेकिन कच्ची शराब जिसे गरीब लोग पीते हैं और उसको पीकर अपनी जिन्दगी समाप्त कर देते हैं, उससे आमदनी बढ़ायी जाती है, यह सब से अधिक चिन्ता का विषय है। मैं गोंडा, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर या दूसरे पहाड़ी और तराई के जिलों की बात नहीं कहता, लेकिन मैं तो कहता हूं कि लखनऊ के अन्दर इन्होंने कच्ची शराब अधिक बिकवायी और उससे अधिक आमदनी बढ़ायी।

दूसरी आमदनी जो बढ़ायी गयी है वह उपभोक्ता सामग्री पर, जो रोजमर्रा की जिन्दगी की चीजें हैं और जिनके बिना आदमी जिन्दा नहीं रह सकता, उनके ऊपर सेल्स टैक्स बढ़ाकर जो आमदनी की गयी है, वह है। उसका उल्लेख इसके अन्दर है।

एक बात और। इस प्रदेश में एक बहुत बड़ा सफेद हाथी जिसको विद्युत परिषद् कहा जाता है, पाल रखा गया है। कहा गया है कि हम चाहते हैं कि बिजली का राष्ट्रीयकरण हो और प्रदेश की आय बढ़े, सारी योजनाओं में तरक्की हो लेकिन इसको अभी तक २ अरब ९७ करोड़ रुपया दिया जा चुका है.....

श्री अध्यक्ष---

आप कौन से अनुदान के अन्तर्गत इस पर चर्चा कर रहे हैं ?

श्री प्रतापनारायण तिवारी---

विद्युत परिषद् को २ अरब ९७ करोड़ ७१ लाख ५१ हजार रुपया दिया गया था और विद्युत परिषद् की ओर से कहा गया था कि उत्तर प्रदेशीय सरकार को उससे ३ प्रतिशत रिटर्न मिलेगा लेकिन अभी तक एक पैसे की भी आमदनी नहीं की गई। किस प्रकार से बिजली का उद्योग काम कर रहा है इसको परसों यहां पर बनारसीदास जी ने बताया था कि बिजली फेल होने की वहज से वह यहां पर बजट नहीं रख सके। कानपुर में बिजली के फेल हो जाने की वजह से लाखों करोड़ों रुपये का उद्योग नष्ट हो रहा है। बलरामपुर और गोंडा में लाखों एकड़ की खेती बिना पानी के सूख गई क्योंकि वहां पर ट्यूबवैल का सारा इन्तजाम विद्युत परिषद् के हाथ में आ गया है। बलरामपुर स्टेट के हाथ में जिस समय तक पावर हाउस का इन्तजाम था और कंन्ट्रोल था तब जनता को वहां ऐसी तकलीफ नहीं थी लेकिन आज विद्युत परिषद् से, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, उससे कुछ भी रिटर्न इस प्रदेश को नहीं मिल रहा है।

अन्त में मैं सब माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस अनुपूरक बजट पर अपनी अस्वीकृति प्रदान करके अपनी सम्मति प्रदान करें।

(श्री प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने के उपरान्त।)

श्री अध्यक्ष---

मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि अब मैं हर माननीय सदस्य को १० मिनट का समय दूंगा क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी बजट की प्रथा प्लान्ड इकानामी में अच्छी नहीं मानी जाती है। हमारे देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब से देश की सत्ता कांग्रेस सरकार के हाथ में आई है तब से उसकी आदत खराब इस माने में हो गई है कि यहां पर सप्लीमेंटरी बजट आते रहते हैं। जो हमारी प्रजातन्त्र की पद्धति है वह विलायत की प्रजातन्त्र की नकल करती हैं लेकिन वहां पर भी अगर कोई सप्लीमेंटरी बजट आता है तो वह किसी विशेष परिस्थिति में आता है और किसी विशेष खर्चे के लिये आता है। नेवी या आर्मी के लिये आता है। तो मैं आपके जरिये से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको समझ बूझकर रखा होगा और मैं यह भी मानता हूं कि यह पुरानी सरकार का किया हुआ खर्चा है किन्तु यदि विलायत में इस तरह की बात हो जाती है तो जब तक वह असेम्बली उस खर्चे को पास नहीं कर देती है तो वह खर्चा अनकांस्टीटयूशन माना जाता है। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में इसके उदाहरण भी दिये गये हैं।

इसमें जितने आइटम दिये गये हैं वह ५५ आइटम हैं। उनमें किसी मद को भी यह कहा नहीं जा सकता कि वह किसी स्पेशल परपज के लिये है या कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसमें इतना खर्चा किया गया। इन ५५ ग्रान्टों को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि कोई इमरजेन्सी आ गई थी या बार्डर सिक्योरिटीफोर्स के लिये वर्दी देने की बात थी या उनको अलाउन्स बढ़ाने के लिये यह रुपया देना था। इस तरह की कोई चीज इनमें

[श्री प्रतापसिंह]

देखने से मालूम नहीं होती है। इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि सप्लीमेंटरी बजट पद्धति के अनुसार इमरजेन्सी एक्सपेन्डीचर के लिये ही आता है या जब किसी आइटम में कोई बहुत जरूरी खर्चा हो गया हो उसके लिये आता है। इन ५५ मदों में से कोई भी मद ऐसी नहीं है। मेज पार्लियामेंटरी प्रंक्टिस के पेज ७१६ पर दिया है कि "सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स इन्वालविंग रिडक्शन इन ओरिजिनल एस्टीमेट्स" यानी जिस विलायत की हम नकल करते हैं, जनतन्त्र प्रणाली के आधार पर वहां के बजटों में जब सप्लीमेंटरी बजट पेश किये जाते हैं तो वहां ओरिजिनल एस्टीमेट में रिडक्शन दिया होता है यहां पर रिडक्शन नहीं है। यहां पर इन्क्रीज होती है। यह कहीं इसमें नहीं लिखा है कि सप्लीमेंटरी बजट की प्रथा को सुधारना पड़ेगा। उस जमाने में गलत एस्टीमेट बन गये थे। लेकिन जो सरकार का बजटरी सिस्टम है उसमें एस्टीमेटस पहले एस्टीमेट कमेटी के पास जाने चाहिये। आखिर किसने एस्टीमेट बनाये, डिपार्टमेंट से लिखकर भेज दिया और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि जल्दी करो, नयी सरकार आ रही है, कहीं माननीय गुप्त जी नाराज न हो जायं इसलिये जल्दी से बजट पेश हो जाना चाहिये, इस तरह की बात पार्लियामेंटरी सिस्टम में नहीं होनी चाहिये। प्लान्ड इकोनामी में मैं समझता हूं कि यह सप्लीमेंटरी बजट का पेश किया जाना बड़ा गलत है और के अलावा यह जो बजट पेश किया गया है उसमें इमरजेंसी की बाबत एक भी मद नहीं है।

दूसरी बात मुझे सामान्य प्रशासन के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से कहनी है। जिस तरह का प्रशासन कांग्रेस सरकार ने चलाया, अगर उसे यही चलाना है तो मैं अपने को उस में शामिल नहीं करता, लेकिन इस के साथ ही कहना चाहता हूं कि इन हालात में माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी को अपना कैबिनट, अपनी सरकार चलाना मुश्किल हो जायगा। उन्हें यह नहीं करना चाहिए कि मैं मुख्य मंत्री बन गया हूं और प्रताप सिंह एम० एल० ए० ही रह गया है इस लिये मैं उसकी मुश्किलात को न देखूं और उन्हें नजरअंदाज कर दूं। मैं बधाई देता हूं उन को मुख्य मंत्री बनने के लिये। लेकिन पिछले आम चुनाव जो हुए हैं उनम सरकार को देखना चाहिये कि जनता का मनोबल बढ़ा है अथवा घटा है। मैं समझता हूं कि आम चुनावों के परिणामस्वरूप जनता का मनोबल गिरा है और जब ऐसा होगा तो सामान्य प्रसासन कभी अच्छा नहीं चल सकेगा। आज आवश्यकता है कि पिछले आम चुनावों पर आत्मचिन्तन कैबिनट और हम करें। अगर चुनाव में अपने को या अपनी पार्टी को जिताने के लिये गुप्त जी ने या किसी और ने रुपया बांटा है और उस के बाद ही वह सामान्य प्रशासन में सुधार करना चाहते हैं तो यह संभव नहीं होगा। हर व्यक्ति रुपया बांट कर जनता का मनोबल गिरा सकता है। तो जनरल अयूब और चाऊ एन लाई भी गिरा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस देश में तोड़ फोड़ हो, लेकिन उधर के जो लोग बैठे हैं, वे थोड़ा आत्मचिन्तन करें और अपने दिलों को टटोलें कि किस प्रकार आप भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं। जब तक आप सरकारी कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक चौथी योजना सफल नहीं सकती। दास साहब जब तक यहां रहे यहां डार्केस्ट पीरियड रहा। मैं लाल साहब का स्वागत करता हूं, लेकिन गुप्त जी से कहना चाहता हूं कि उनको आत्मचिंतन करना चाहिये और उस के साथ ही उन को प्रदेश की परिस्थिति को देखना पड़ेगा। मैं अधिक न कह कर केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट आया है वह इस तरह से नहीं आना चाहिये। इससे सरकार की आदत खराब होती है और जनतंत्र की परम्परा का हनन होता है। ऐसा लगता है मानो वाजिद अली शाह का खजाना सरकार खर्च कर रही है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी आगे से इस प्रकार का बजट पेश नहीं करेंगे।

*श्री रामलाल (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजटों की जो परम्परा है उस में वर्ष के अंत में खर्च को देखते हुए इस प्रकार की आवश्यकता आ पड़ती है। यह सही है कि यह रुपया पहले खर्च कर लिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है और बाद में उस के लिये मांग स्वीकृत करायी जाती है । आज जो अनुपूरक बजट पेश किया गया है यदि हम उस में की प्रत्येक मांग को अलग-अलग देखें और उस पर विचार करें तो हम उस की प्रत्येक मांग को शत प्रतिशत जस्टीफाइड पायेंगे । मैं उस अनुपूरक बजट की एक मद लेता हूं । प्रदेश में झूरा पड़ जाने की कल्पना पहले से कोई नहीं कर सकता था क्योंकि उस का संबंध अर्थ शास्त्रियों से नहीं है । वह एक विवशता थी और उस समय अनुपूरक बजट में ही वह रुपया खर्च करने के बाद रखा जा सकता था । इस में संदेह नहीं कि इस झूरे को ठीक करने के लिये ही यह रुपये की मांग की गयी है और इस में कुछ धन आकस्मिक निधि से भी मांगा गया है ।

इसी तरह से सीमान्त प्रदेश में सड़कें बनाने की बात थी । पिछले वर्ष उसके लिये कोई संकेत नहीं मिला था कि इस तरह की कोई सहायता आपको मिलने वाली है । वर्ष के बीच में इस प्रकार का संकेत आप को मिला कि इस तरह से आप को सहायता दी जायगी । अगर उस व्यय को करने के लिये हम अनुपूरक बजट न लाते तो इस के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं था । कोई दूसरा रास्ता हो तो वह मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं । विस्तारपूर्वक हर एक मद में अगर सोचने की बात की जाय तो हर एक में इसी प्रकार की बातें पायी जायेंगी । उसी तरह से वन विभाग को भी मैंने देखा कि कुछ ऐसे वन क्षेत्र हैं जहां पर लीसा निकालने के लिये सरकार को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा और अधिक कर्मचारी रखने पड़े और निर्माण के कार्यों में भी समुचित प्रदेश में नयी योजनाओं के लिये धन देना पड़ा और कर्मचारियों की नियुक्तियां भी करनी पड़ीं । तो यह एक परम्परागत परिपाटी है और ऐसी आवश्यकतायें पड़ जातीं हैं जिनको पूरा करना अनिवार्य हो जाता है । इसी कारणवश कुछ अधिक धन खर्च किया जा चुका है, कोई नयी मांग नहीं की गयी है । मैं सदन से अपील करूंगा कि वह इस अनुपूरक बजट को स्वीकार करे और इसी रूप में स्वीकार करे ।

*श्री रुस्तम सैटिन (जिला वाराणसी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पूरक बजट अभी रखा गया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जिस प्रकार से यह सरकार शासन चला रही है वह हमारे प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है जिससे वास्तव में अशान्ति फैलने का डर है । दो साल हो गये, ५ नगरमहापालिकाओं को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया जो कि बड़ा प्रजातंत्र का दम भरती है और २ साल तक प्रशासक के अधीन रखने के बाद भी दावा करती है कि वह हम से बजट पास करावें । इतनी पढ़ी-लिखी और बौद्धिक जनता को प्रशासक के अधीन रखा जाय, उनके अधिकारों से वंचित किया जाय, यह कहां तक उचित है ? बनारस महानगरपालिका तोड़ने के बाद वहां पर फिर असेसमेन्ट मकानों का करवाया गया और उसमें ८-८ गुना छोटे-छोटे टूटे-फूटे मकानों पर टैक्स बढ़ाया गया । वहां आज हाहाकार मचा हुआ है । उनको महसूस करना चाहिये कि जो धन प्रदेश की जनता देती है उसको क्या इसी तरह से अपव्यय किया जायगा और जनता को उसके अधिकारों से वंचित किया जायगा ?

अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में अखबारों में आपने देखा होगा कि बनारस में सबसे अधिक गल्ला पकड़ा गया और हमें बड़ी खुशी हुई कि गल्ला पकड़ा गया और जखीरे बाजों से गल्ला निकाला गया । लेकिन हुआ यह कि जो गल्ला पकड़ा गया था उसको सील कर दिया गया और बाजार के अन्दर एक दाना अनाज नहीं मिल रहा है। गरीब रिक्शा वाले और बुनकर लोगों को पाव भर आटा भी बाजार में नहीं मिलता और सस्ते गल्ले की दूकानों पर भी २३ तारीख से पहले अनाज नहीं मिलेगा । मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को फोन किया और खाद्य मंत्री को किया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहें कि पकड़े हुये गल्ले के वितरण की व्यवस्था की जाय । उन्होंने कहा कि वह तो सील कर दिया गया, सिविल ला के अन्दर उसको नहीं बटवा सकते । यह क्या कानून है कि चोर बाजार का गल्ला सील कर दिया जाय और सील ही रहे जब तक कि सड़ न जाय, तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रुस्तम सैटिन]

क्या होगा प्रदेश के अन्दर ? वहां ऐसी विस्फोटक परिस्थिति है कि अगर सरकार ध्यान नहीं देती तो कोई अशान्ति उत्पन्न हो सकती है । अगर सिविल ला रास्ते में आता है तो आप गल्ले को खरीदिये और कम्पलसरिली गल्ले की दूकानों से बटवाइये । आज एक छटांक भी गल्ला नहीं मिल पा रहा है, कुछ तो छिपा लिया गया है और कुछ, व्यापारी लोग देने से इन्कार कर रहे हैं । सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये ।

श्रीमन्, अभी तक इस सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिये कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और न ही कोई घोषणा की गयी है कि सरकारी टीचर्स के बराबर उनको भी वेतन भत्ता दिया जायेगा । अगर यही परिस्थिति रही तो शिक्षा का स्तर और भी गिरता चला जायेगा और उसका परिणाम हम सब को भुगतना होगा ।

यही हालत आज सरकारी कर्मचारियों की भी है । उनमें अनुशासनहीनता की बात कही जाती है । मैं कहता हूं कि उससे बड़ी अनुशासनहीनता सरकार में है जो रात-दिन गुटबन्दी में फंसी रहती है और प्रदेश के जीवन को संकट में डाले हुये है ।

श्रीमन्, अगर यह सरकार सही मानी में दामों को रोक नहीं पाती है तो सरकारी मशीनरी फेल हो जायेगी और आप प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम नहीं रख पायेंगे । आज दामों को रोकने की ओर, और खाद्य समस्या की ओर सबसे पहले कदम उठाना होगा ।

एक तरफ बढ़ते हुये दामों ने जनता की कमर तोड़ रखी है, दूसरी ओर प्रोफेशनल टैक्स ऊपर से लाद दिया गया है । एक साधारण नियम है कि एक वस्तु पर एक बार टैक्स लगे । जब अपनी आमदनी पर हमको इन्कम टैक्स देना पड़ता है, तो उसी आमदनी पर फिर प्रोफेशनल टैक्स क्यों लिया जाता है ? कर्मचारी वर्ग इससे बहुत परेशान है । इसे खत्म करने की सरकार को तुरन्त घोषणा करनी चाहिये थी ।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपका ध्यान उन सीमाओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिनकी तरफ आज का वाद-विवाद होना चाहिये । किसी विशेष अनुदान तक ही आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । जनरल पालिसी पर तो विवाद करने का आपको माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय अवसर मिलेगा ।

श्री रुस्तम सैटिन---

करीब-करीब जितने भी विभाग हैं, सभी के संबंध में अनुदान मांगा गया है । मैं चाहता हूं कि बजट के समय, अनुदान पास करने से पूर्व, जो जनता की शिकायतें हैं उनको सदन के सामने अवश्य पेश किया जाय ।

अंत में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भूमि-भवन-कर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । अभी तक उसको समाप्त करने का सरकार की ओर से कोई एलान नहीं किया गया है । सरकार को उसे तुरन्त समाप्त करना चाहिये ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस सप्लीमेन्टरी बजट पर बोलने के लिये मौका दिया । मैं इन अनुदानों की सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं । मेरे एक भाई ने कहा कि सप्लीमेन्टरी बजट में केवल पुरानी चीजों के बारे में ही अनुदान मांगा जाता है, किन्तु ऐसी बात नहीं है । जब चेंज आता है, तो और नयी-नयी चीजों के लिये बजट में अनुदान लाना पड़ता है । आप देखेंगे तो उसमें कहीं १०० रुपया है तो कहीं दो सौ रुपया है । कानून के अन्दर जो आ जाय उन सब पर यही होना चाहिये । इस सब को करने के लिये

में सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उनके आते ही गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स का सबसे बड़ा झगड़ा खत्म कर दिया गया। जैसा कि रुस्तम साहब कह रहे थे कि जितने टैक्सेज आज लगे हुए हैं वे बहुत ज्यादा हैं। मैं भी सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जून या जुलाई के महीने में और टैक्सेस न लगायें।

मैं अपने खाद्य मंत्री को बता देना चाहता हूं कि ये जो रेड्स हुए हैं उनमें इसके साथ ही यह भी किया जाय कि एक आर्डिनेन्स या बिल भी सरकार लावे जिससे ऐसे गल्ले को जनता में बेचकर, ब्लैकमार्केटिर्स को हैंग कराइये और एक आध को खत्म करिये। अगर इसके बदले आप गल्ला उठाकर उन्हें सिर्फ बन्द कर देंगे तो फायदा किसी का नहीं होगा।

मुझे शिक्षा मंत्री से यह कहना है कि अभी हाल ही में स्कूल्स और कालेजेज को बड़े-बड़े ग्रान्ट्स दिये गये हैं। अभी होली भी पड़ रही है और उसके बाद महीना बन्द हो जायेगा। इन ग्रान्ट्स के यूटिलाइजेशन का टाईम एक्स्टैन्ड कर दिया जाय नहीं तो जो साइन्स इक्वीपमेन्ट्स हैं वे इस दौरान बहुत मंहगे हो जावेंगे अगर उन डीलर्स को पता चल जावेगा।

मैं फाईनान्स मिनिस्टर से भी यह कहना चाहता हूं कि अभी तक इन्स्टीट्यूशन्स को थर्ड और फोर्थ ग्रान्ट्स नहीं मिली हैं क्योंकि इस बीच में कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी। मेरे पास पांच–दस तार आये थे। तारीख निकल जायेगी तो ग्रान्ट्स लैप्स हो जावेंगी। बजट के बाहर की इजाजत दे दें तो मैं.....

श्री अध्यक्ष—

जब आप ही स्वयं बाहर समझते हैं तो उचित नहीं है।

श्री ए० सी० ग्राईस—

मैं इन शब्दों के साथ इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ग्राईस साहब ने ऐसा भाषण दिया जैसा कि एक नामीनेटेड मेम्बर को देना चाहिये था। मैं उनको बधाई देता हूं कि उनके लिये ऐसा कहना पर्याप्त था। जहां तक इस सरकार का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं १५–२० साल से बराबर एक ही बात सुनता चला आया हूं, सरकार के नेता, जो पार्टी को रेप्रेजेन्ट करते हैं तथा मंत्रियों से कि हम सुलभ शिक्षा देंगे न्याय देगें और हम चोरी डकैती को निर्मूल करके लोगों का जीवन सुलभ बनायेंगे। आज मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि ये सब चीजें इन्हीं अनुपूरक अनुदानों में दे रक्खी हैं। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, अभी एक एम० एल० ए०, हमीं में से, जो ओथ लेने के लिये आरहे थे, चले गये हैं। इसमें रेलवे विभाग की पुलिस के लिये भी पैसे का अनुदान दिया हुआ है उसकी जिम्मेदार यह सरकार भी है। जो सदस्य ओथ लेने के लिये आ रहे थे वह भी मार डाले जाते हैं। ऐसी इनकी सुरक्षा है।

सस्ते न्याय की यह बात है कि जिसके पास पैसा है वह चाहे मर्डर भी कर दे तो कहीं न कहीं से सुप्रीम कोर्ट तक छूट ही जाता है। जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक लखनऊ की तरफ देखते रहते हैं कि मुख्य मंत्री या सरकार में बैठे लोगों का कौन सा आदमी मुंहलगा है जिसका काम वे करें। यह पक्षपात का रवैया इस सरकार की ही देन है। यह सरकार अपने को जनतंत्र की निष्पक्ष सरकार नहीं कह सकती है। मैंने तो यहां तक देखा हैकि इनके दल में भी जो भिन्न आदमी हैं, उनको भी तंग किया जाता है, हम लोगों की बात तो दूर छोड़ दीजिये। इस प्रकार की शासन प्रणाली कितने दिनों तक जनता का भला कर सकेगी। मंत्रियों का जिला–स्तर पर इतना हस्तक्षेप हो गया है कि सुपरवाइजरों और छोटे-छोटे अध्यापकों के ट्रासफरों में हस्तक्षेप करते हैं केवल इसलिये कि जिले के स्तर पर उनका गुट बना रहे। कभी निष्पक्ष जनतंत्र आ सकेगा, इसका मुझे तो विश्वास उठ गया है।

[श्री मलिखान सिंह]

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा प्रतापसिंह जी ने बतलाया, इन्होंने ऐसा कोई भी अनुदान नहीं रखा है जो इसमें न ले लिया गया हो। आज किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि लड़के नहीं खरीद सकते, फीस देना तो दूर रहा। इस सरकार ने घोषणा की थी कि हम हायर सेकेन्डरी तक निःशुल्क शिक्षा देंगे। लेकिन हायर सेकेन्डरी शिक्षा तो छोड़िये, आठवें तक निःशुल्क शिक्षा को केवल छठे तक कर दिया गया है।*

आज प्रदेश में सूखा के कारण जनता का सामान्य जीवन भुखमरी के स्तर तक पहुंच गया है। वसूली में जबरदस्ती हो रही है और वह रैवेन्यू मैनुअल दिखला देते हैं कि १२ फीसदी तक नुकसान में इतना लेंगे और आठ फीसदी तक में इतनी छूट देंगे।

आज खेतिहर मजदूर को खाने के लिये मोटा अनाज तक नहीं मिल रहा है। सरकार ने इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की है। भारतीय संस्कृति के आधार पर गांवों में अभी भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों को रोटी देकर उनका गुजारा कराते हैं। लेकिन सरकार की ओर से उनके लिये कोई व्यवस्था ऐसी नहीं हुई जैसे सस्ते गल्ले की दूकान ही खोली जाय। यही नहीं, लगान की वसूली में भी जबरदस्ती हो रही है।

माननीय राज्यपाल के भाषण में जो सवाये की छूट देने की बात है, वह भी इस सरकार ने जो २ पिछले सालों में वसूल किया है वह जनता के साथ विश्वासघात किया है। आज से २ साल पहले ही इसे हटा देना चाहिये था जिसकी उन्होंने अगली फसल से, बैसाख से हटाने की घोषणा की है। यदि यही तानाशाही रवैया रहा तो वह स्थिति आ जावेगी कि जहां इस चुनाव में इनकी इतनी हार हुई है वहां अगले चुनाव में विरोधी दल उधर होंगे और कांग्रेस दल इधर होगा। उन्हें सोचना चाहिये कि क्यों उनकी संख्या इतनी कम रह गई है।

प्रदेश का शासन इस नयी सरकार ने सम्भाल लिया है। मैं चाहूंगा कि पिछली गल्तियों को दोहरा कर ऐसा काम न करें जिससे जनता की आशा समाजकल्याणी राज्य के लिये समाप्त हो जाय। यथा नेता तथा प्रजा, इसलिये मंत्रिमंडल में भ्रष्ट मंत्रियों को न रखा जाय।

*डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट साधारण रूप से सरकार द्वारा अपने खर्चों की पूर्ति के लिए पेश किया जाता है। इस वर्ष चुनाव के कारण कुछ देर हुई और पहले कार्य-क्रम के अनुसार लेमडक सेशन में यह आ जाता, लेकिन वह न हो सका; इसलिए यह अब उपस्थित किया गया है। मेरे भाई प्रतापसिंह जी कह रहे थे कि केवल एमर्जेंसी में ऐसा बजट पेश करना चाहिए। मेरे विचार से उनकी यह धारणा गलत है। रूटीन बे में सप्लीमेंटरी सरकार की तरफ से एक या दो बार आ सकता है। यह जरूर है कि जो रुपया इसमें मांगा जा रहा है वह इतनी जल्दी कैसे खर्च किया जायगा। परन्तु सरकार के कार्य चलते रहते हैं और उसके अपने तरीके होते हैं। जहां तक जरूरत होती है विधान सभा के सामने लाकर उन खर्चों की मांग पास करा ली जाती है। यही पार्लियामेंटरी तरीका रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम शंका से देखें।

अब मैं २, ३ बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं जो मेरे जिले की हैं। हमारे शहर इलाहाबाद में टी० बी० का एक अस्पताल है जिसमें बहुत कम रोगियों का प्रबंध है। बहुत परिश्रम के बाद, बहुत कहने सुनने के बाद, लगभग ३ वर्ष हुए, केवल ५० बेड्स के लिए एक विंग बन कर तैयार हुआ जिसमें विशेषकर स्त्री....

श्री अध्यक्ष---

स्थानीय आवश्यकताओं का जिक्र आप सामान्य विवाद में करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

मैं यह इसलिए कह रही हूं कि उसकी साज-सज्जा के लिए कई बार विभागीय मांग की गई, लकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं आशा करती थी कि इस अनुपूरक बजट में लाकर उसे पूरा किया जायगा। चूंकि रोगियों की चिकित्सा के लिए वह विंग बनकर तैयार हुआ है, फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है।

इसी तरह की कुछ और पुरानी स्कीमें इलाहाबाद नगरपालिका की इसलिए लागू नहीं हो पा रही हैं कि वहां आर्थिक संकट है। और इस आर्थिक सकट के कारण जल की व्यवस्था जैसे सार्वजनिक हित के कार्य रुके पड़े हैं। वहां के अधिकारियों के द्वारा बराबर मांग की जाती है लेकिन यहां बजट में कोई प्राविधान उनके लिए नहीं किया गया है। अभी हाल ही में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के कर्मचारियों का स्ट्राइक चला था उनमें एक मुख्य मांग उनके वेतन-क्रमों को सेक्रेटेरियट के वेतम-क्रमों के बराबर करने की थी। ऐसी मांगों को, जिनके औचित्य को सदा से स्वीकार किया जाता रहा है, उनको स्वीकार कर ही लेना चाहिए था और इस बजट में उसके बारे में रुपया रखा जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस है कि इस बजट में उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं इस समय इसलिए यह बात कह रही हूं कि आगे जो बजट आने वाला है उस समय सरकार को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अभी जिन बातों पर मैंने ध्यान दिलाया है, वे योजनायें पुरानी हैं और थोड़े-थोड़े आर्थिक कारणों से रुकी पड़ी हैं, उनको अगर पूरा कर दिया जायगा तो जन-साधारण का काफी लाभ हो सकता है और उनका प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा कि सरकार जो कहती है वही करती भी है।

यह ठीक है कि इस बजट में कुछ खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ धन रखा गया है। प्रदेश के सामने जो खाद्यान्न का संकट है उसके लिए अनुपूरक बजट में देहाती क्षेत्र में लोगों को कार्ड से गल्ला वितरित करने की व्यवस्था की गयी है। लेकिन देहात में, खासतौर से इलाहाबाद का हाल मैं जानती हूं, वहां पर बड़ी भारी भयानक स्थिति है, उसकी पूरी तरह से व्यवस्था करने के लिए अगर यह रकम कम हो तो उसको और बढ़ा देना चाहिए। सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि भूखे लोगों के पास अन्न पहुंच जाय, यह नहीं कि सरकार ३-४ छटांक अन्न देकर ही अपने कर्त्तव्य को पूरा समझ ले। वहां पर सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भूख से न मरने पाये। वहां पर लगातार ३ वर्षों से फसल खराब हो रही है, लोग लगान देने की स्थिति में नहीं हैं लेकिन लोगों से कई स्थानों पर लगान वसूल किया जा रहा है। सरकार को उसके रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह ठीक है कि यह बजट किन्हीं नीतियों को लेकर उपस्थित नहीं किया गया है और अगला बजट नीतियों के साथ आयेगा, उस समय सरकार को इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुपूरक बजट का समर्थन करती हूं।

श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अनुपूरक बजट इस सदन के सामने पेश है, उस पर मैंने सरसरी नजर डाली। इसमें जितनी भी मांगें हैं वे ६६-६७ के वर्ष की हैं जो समाप्त होने जा रहा है और मैं समझता हूं कि इसमें जो धनराशि है वह कदाचित् उन रकमों के लिए हैं जो खर्च की चुकी हैं। कायदे के मुताबिक यह पिछली सरकार के द्वारा किए गए खर्चे हैं और पिछले सदन के समक्ष इन्हें उपस्थित किया जाना आवश्यक था। यह तो मजाक की बात है कि सरकार इसको व्यय कर चुकी है और इसकी नये सदन से अनुमति मांगी जाती है कि यह खर्च स्वीकार किये जाएं। बहरहाल चूंकि ये खर्चे पेश किए गए हैं यहां पर और हमें उन पर विचार करने का अवसर मिला है, इसलिए इस पर कुछ मुझे भी कहना आवश्यक है। मैंने इनमें देखा है---बहुत सी मांगे हैं---कृषि विकास, औद्योगिक विकास और भू-राजस्व आदि की पेश की गयी हैं। मैं नहीं समझ पाता कि कृषि विकास के क्या माने यह सरकार समझती है और कृषि विकास पर इस सरकार की क्या नीति है। जाहिर कुछ है इसकी नीति, अमल में कुछ लाया जाता है। मैं नैनीताल जिले से आता हूं। मेरे जिले में तराई का क्षेत्र है जिसमें

[श्री रामदत्त]

स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पन्त ने अपने प्रयत्न से एक कालोनाइजेशन स्कीम लागू की थी। जिस कालोनाइजेशन स्कीम पर इस सरकार को बड़ा गर्व है और बड़े गौरव से यह सरकार उसका बखान करती है। विदेशों से जितने मेहमान हमारे देश में आते हैं, उन्हें तीर्थस्थानों की शक्ल में इसे दिखाया जाता है कि यह हमारा कारनामा है। किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि वहां पर पानी का इन्तजाम नहीं, सिंचाई का इन्तजाम नहीं।

सरकार इस प्रदेश में १८ आदर्श फार्म्स खोले हुए है और उनका औचित्य यह बताया जाता है कि ये माडेल फार्म्स हैं, इनकी शुरूआत देश के किसानों को खेती का ढंग सिखाने के लिए की गयी है, खेती के नये-नये तरीके किसानों को बताने के लिए इन्हें घाटे पर चलाया जा रहा है। जिस सरकार को इतनी तमीज नहीं है कि बिना पानी के अच्छी खेती नहीं होती वह किसानों को क्या सिखलायेगी ? जिसका इतना शोर शराबा किया गया यानी गंगा खादर स्कीम का, जो मेरठ के इलाके में बनाई गयी थी उसका दिवाला निकल चुका है और वह स्कीम खत्म हो चुकी है उससे किसी को कोई राहत नहीं मिली। मैं इस सरकार के नुमाइन्दों से कहना चाहता हूं कि जो कालोनाइजेशन आपने किया है और जो कालोनाइजेशन अंग्रेजों ने किया है यानी भाबर क्षेत्र का, उसकी आप तुलना करके देखिए। दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। कहने के लिए और जन साधारण को दिखाने के लिएयह सरकार कृषि विकास कर रही है जिससे कृषि की उपज बढ़ सके, किन्तु क्या हो रहा है ? कुछ नहीं हो रहा है। इसका सबूत यह है कि २० साल के बाद भी हमारा प्रदेश भुखमरी के कगार पर आज खड़ा है, २० साल से योजनाएं बनाने के बावजूद भी हमारे मंत्रीगण आज भी विदेशों से अनाज की भीख मांगने जाते हैं और आपने और आपकी सरकार ने इस दिशा में यह मशहूरियत हासिल की है कि आज सारी दुनिया का कोई अखबारऐसा नहीं बचा है जिसमें इस देश के लोगों को भुखमरों की शक्ल में न दिखाया गया हो। तो मैं कालोनाइजेशन स्कीम का जिक्र कर रहा था और इस समय मैं खास कर इसी विषय की चर्चा करना चाहता हूं जिसे विदेशों से आये लोगों को बड़े गर्व से दिखाया जाता है। किन्तु आपके काम और अंग्रेजी सरकार के द्वारा किए गए काम में जमीन आसमान का अन्तर है। भाबर में अंग्रेजों ने लोगों को बसाने के लिए एक कालोनाइजेशन स्कीम चलाई थी उनकी बनाई हुई नहरें यहां तक कि नालियां भी आज तक पुख्ता बनी हुई हैं, वे उसी तरह से अब भी बनी हुई हैं। उन्होंने लोगों के खेत-खेत में नालियां पहुंचाई थीं और कुलावे बनवाये थे बिना किसी शोर शराबा के बिलकुल खामोशी के साथ और उसने वह काम किया जो यह सरकार सारे देश में इतने शोर शराबे के बाद भी नहीं कर पाई है। उनके द्वारा निर्मित नालियां अब तक मौजूद हैं उसमें कोई भी अन्तर नहीं आया। यह सरकार बड़े प्रचार के साथ अपना छोटे सा छोटा काम करती है, यदि एक नाली भी यह सरकार बनाती है तो पंचवर्षीय योजना का उस पर एक साइन-बोर्ड लग जाता है। भाबर के क्षेत्र में ६० साल तक अंग्रेज सरकार ने चुपचाप काम किया और वह काम करके दिखाया जिससे जनता और देश का वास्तविक माने में लाभ हुआ। आपका यह कालोनाइजेशन है और एक कालोनाइजशन अंग्रेजों का भी था। अंग्रेजों ने उस जमाने में किसानों को बसाने के लिए मुफ्त लकड़ी दी, मकान बनाने के लिये पैसा उनके घर पहुंचाया, उनकी जिन्दगी की हिफाजत के लिए उनके घर पर बन्दूकों के लाइसेंस पहुंचाये। एक दरख्वास्त भी अपनी किसी तकलीफ की लेकर अगर कोई थारू या बोक्सा दे देता था तो अंग्रेज हाकिम उस वक्त हाथी पर बैठकर फौरन वहां पहुंचता था। यह एक कालोनाइजेशन उनका था और एक यह आपका है। बंगाल और पंजाब से हजारों भाई, जो कांग्रेसी रहनुमाओं की सत्ता की लोलुपता के कारण विभाजन के शिकार बने वह यहां आये लेकिन क्या उनको यहां उतनी भूमि दी गई जितनी कि वह अपने प्रदेश में पाकिस्तन में छोड़ कर आये थे।

माननीय गेंदा सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, एक जमाना था जब वह हमारे साथ कार्य करते थे और वह वहां से उनके टूटे हुए क्वार्टर्स के मलवे को यहां लाये थे। वह क्वार्टर धराशायी हो गये हैं, लेकिन अब भी उनका रुपया वसूल किया जा रहा है। वहां हल्दू के बजाय सेमल की लकड़ी दी गई थी, सीमेंट के बजाय मिट्टी लगाई गई थी, मंत्री जी यहां नमूने लाये थे और विरोधी दल

की ओर से उन्होंने उसे सदन में पेश किया था। इन हालात में आज हम से सरकार पैसा मांगती है, वह पैसा जो जनता और किसानों की गाढ़ी कमाई का है, तो हमें सोचना पड़ता है कि दें या न दें।

कृषि विकास के नाम पर यह सरकार तराई के किसानों की मदद तो क्या करेगी बल्कि जो किसान स्वयं खेती कर रहे हैं उनको तबाह करने का कार्य यह सरकार करती है। जब माननीय गेंदा सिंह जी हमारे साथ थे। उनकी हालत को स्वयं उन्होंने अच्छी तरह से देखा है। आज चुनाव खत्म होते ही वहां के ७,००० किसानों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। कानून बनाया जाता है और उसके उद्देश्य में लिखा जाता है कि कानून इसलिए बनाया जा रहा है ताकि भूमिहीनों के लिए जमीन मिल सके लेकिन अमल में यह है कि उसी कानून के द्वारा किसानों को बेदखल किया जा रहा है। थारू और बोक्सा जो वहां के आदि निवासी हैं और जो वहां पर पीढ़ियों से रहते चले आते हैं उनको भी बेदखल किया जा रहा है। आप घर के लोगों पर ही शेर बनना जानते हैं। अगर आप में बेदखल करने की हिम्मत होती और दम होता तो आप उनको बेदखल करके दिखाते कि जिन चीनियों और पाकिस्तानियों ने २२ हजार मील भारत भूमि पर कब्जा कर रखा है, किस कठिनाई से कुछ भाग हमने लिया भी लेकिन फिर उसको वापस कर दिया गया। शास्त्री जी के जमाने में जो लड़ाई पाकिस्तान से हुई उस वक्त जिस भूमि के बारे में सबको अच्छी तरह से मालूम था कि वह हमारी है और जिस पर पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा कर रखा था और जिसको वापस लेने के लिए हजारों नौजवानों ने अपना खून बहाया, हजारों बहनों ने अपनी मांग का सेंदूर पोंछ दिया, हजारों माताओं ने वतन के लिए अपनी गोदें सूनी कर दी लेकिन आपने कलम की एक नोक से उस भू-भाग को वापस दे दिया। लेकिन जिन बोक्सा, थारूओं और दीगर किसानों का तराई की जिस जमीन पर १५ साल से कब्जा है उनको आप बेदखल करने की बात करते हैं। इस तरह से कृषि विकास नहीं हो सकता। इन शब्दों के साथ जो अनुदान सदन में पेश किए गए हैं उनका मैं विरोध करता हूं और इसको मैं एक फजूलखर्ची समझता हूं।

*सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गेंदासिंह)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन-जिन बातों की ओर अभी कुछ माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया है मैं चाहता हूं कि उस संबंध में उनकी जानकारी कराऊं और इन अनुदानों के लिए उनका समर्थन प्राप्त करूं। सबसे पहले मैं श्री रुस्तम सेटिन को धन्यवाद देता हूं क्योंकि कम से कम उन्होंने इतना तो कहा कि जो गल्ला पकड़ा गया है वह सरकार ने एक अच्छा काम किया है। मैं निवेदन करूंगा कि जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो उसमें बाधायें आती ह, और यदि उनको दूर करने में श्री रुस्तम सेटिन हमारी मदद करें तो वह बाधायें दूर हो सकती ह। अगर उनका यह मतलब है कि वह काम शुरू ही न किया जाय तो उनसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं। यह वे निश्चित समझें कि एक परिपाटी बनी हुई है और उस परिपाटी को तोड़ने में दूसरी तरफ से कुछ रुकावटें भी डाली जायेंगी। उन रुकावटों के लिए हमें कुछ उपाय भी ढूंढने पड़ेंगे। माननीय रुस्तम जी काशी के रहने वाले हैं। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वे कोई उपाय बतावें कि किस तरह से उस गल्ले का वितरण किया जाय। सिविल ला का उन्होंने स्वयं जिक्र किया। कुछ ऐसे कानून हैं जिनके मुताबिक जिस वक्त हम गल्ला अपने हाथ में लेते हैं....

श्री रुस्तम सेटिन---

उस कानून को बदला जाय।

श्री गेंदासिंह---

उस कानून में कुछ तब्दीली की जाय, इस पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन जिस वक्त तक वह कानून है एक्जीक्यूटिव को यह अख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वह कानून के बाहर जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आचार्य दीपांकर (जिला मेरठ)---

आर्डिनेंस से काम लिया जाय ।

श्री गेंदासिंह---

जिस वक्त तक हाउस बैठा हुआ है, सरकार आर्डिनेंस निकालने में समर्थ नहीं है । इस काम में हम आपकी सलाह लेंगे और सरकार आपकी सलाह का स्वागत करेगी ।

श्री रुस्तम सैटिन---

उस गल्ले को अनिवार्य रूप से खरीद लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

आप पहले सुन लें, उसके बाद कुछ कहें तो ठीक होगा ।

श्री गेंदासिंह---

मैं समझता हूं कि सरकार उस प्रश्न पर विचार कर रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा उस पर उचित कार्यवाही की जायगी । लेकिन सरकार को इस बात की फिक्र है कि इसमें रेसिस्टेंस दूसरी तरफ से भी होगा । मैं समझता हूं कि खुद माननीय रुस्तम जी, जो उधर के बैठने वाले हैं उन सबका हमें आशीर्वाद मिलेगा जिससे रेसिस्टेंस करने वालों को बल न मिले । उधर के जो भाषण हुए हैं और माननीय रुस्तम जी ने भी जैसा कहा है, उनसे मेरा निवेदन है कि जहां वे सरकार की कुछ कमियां बतलावें वहीं सरकारी अधिकारियों ने जो अच्छे काम किये हों, उसके लिए उनकी थोड़ी पीठ भी ठोक दिया करें और सरकार को थोड़ी बधाई भी दे दिया करें और फिर अपने सुझाव दें तो सरकार को उसे करने में कोई संकोच न होगा ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)---

यह जो कुछ भी किया वह तो आपने अपनी तरफ से किया, गुप्ता जी ने तो इसके लिए कुछ नहीं कहा ।

श्री गेंदासिंह---

गुप्ता जी के हुक्म से यह सब हुआ, मैं उस मामले में पीछे था ।

एक बात मैं माननीय प्रताप नारायण जी से कहना चाहता हूं । उन्होंने शुरू में ही यह कहा है कि पकड़ उन लोगों की हुई जिनके पास अनाज नहीं था और उन लोगों को नहीं पकड़ा गया जिनके पास अनाज था । मैंने कई मित्रों से कहा कि धीरे से कान में आकर बतला दीजिए कि किसके पास है और कहां है । मैं उधर के बैठने वालों से और खासकर माननीय प्रताप नारायण जी से कहना चाहता हूं कि आप उनका नाम धीरे से बतला दें, और लिखा हुआ नाम भी बतला दें ताकि उनके ऊपर हम कोई कार्यवाही कर सकें । जहां तक अधिकारियों द्वारा छापा डालने की बात है, जहां उनको यह शक हो गया कि किसी बड़े गल्ले के व्यापारी ने अपने घरों में गल्ला न रख कर कहीं दूसरी जगह गल्ला रखा है तो उन्होंने वहां छापा मारा । यह हो सकता है कि ऐसी सूरत में किसी के घर से गल्ला न भी निकला हो और इसमें लोगों को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें इन चीजों को बर्दाश्त करना चाहिए और इसके लिए अधिकारियों को दाद देनी चाहिए । कहा गया कि बाजार का भाव कुछ बढ़ा है, कुछ तेज हुआ है, लेकिन मेरी सूचना है कि इस समय बाजार भाव नीचे गिरा है । बहुत नीचे तो नहीं गया है लेकिन पिछले दिनों से कुछ थोड़ा नीचे गया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

कृपया शान्ति रखें ।

श्री गेंदा सिंह—

फसल भी कटे और दाम भी बढ़े, ये दोनों बातें अस्वाभाविक हैं। आगे आने वाले दिनों को मेहरबानी करके आप देखें और जो वस्तुस्थिति हो उसको सामने रखें और अगर कहीं पर कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसमें सरकार आपकी सहायता चाहती है। इस संबंध में आप क्या करना चाहते हैं, वह भी आप बतायें, उसमें से जो भी संभव हो सकेगा सरकार को करने में तनिक भी संकोच नहीं होगा। जो आप स्वयं देखते हैं, वह सरकार कभी भी गलत नहीं समझेगी। आपकी बातें ज्यादा यकीन करने योग्य हैं। हमारा कहना है कि कीमतें कम हो रही हैं और आप कहते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं तो आप बतायें और सलाह भी दें कि उस संबंध में क्या किया जाय। भाई प्रताप सिंह जी को मैं बताये देता हूं कि छोटे और बड़े का कोई भेद नहीं होगा और यदि उनकी और अन्य मित्रों की जानकारी में हो कि कहीं पर अनाज दबा हुआ है तो उसको निकलवाने में आप हमारे सहायक बनें। हमारी सी० आई० डी० भी काम करती है परन्तु वह उतने इन्टीरियर तक नहीं जा पाती। यदि आपकी जानकारी से भी सरकार को लाभ हो गया तो इसमें ईर्ष्या क्या है। यदि सरकार लाभ उठा सकेगी तो उसका स्वागत होगा।

दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार भी कुछ अनाज का जखीरा करना चाहती है। उसके लिए आप कुछ उपाय ढूंढिए। सरकार यदि शहरों में अपने गोदामों में कुछ जखीरा नहीं करती है तो इस प्रतियोगिता के युग में, जो दूसरे जरूरतमन्द लोग हैं, उनका शोषण वे लोग करेंगे जो सिद्धांतहीन हैं और जिनको परवाह नहीं है कि उन्हें कितना मुनाफा उठाना चाहिए। इसलिए उनके इस कार्य को रोकने के लिए सरकार कुछ करना चाहती है और यही कारण है कि इस अनुपूरक बजट में लाक्षणिक धनराशि मांगी गयी है। खरीदने का काम बड़ा कठोर है। कहां से खरीदेंगे? खरीदने का कार्य भी उत्पादकों से ही करना होगा और सरकार भी उस गल्ले को जरूरतमन्दों को ही देगी। तो इस काम में सरकार को आपकी बड़ी भारी सहायता की जरूरत है और मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि जिस समय आप सदन में चर्चा करें तो कोई ठोस सुझाव भी रखें। जब तक स्टेट गवर्नमेंट बफर स्टाक नहीं बनायेगी तब तक दूसरों के डिस्टेशन को ही मानना पड़ेगा और उसमें उपभोक्ताओं को हानि उठानी पड़ेगी। यदि आपके विचार सरकार के सामने आयेंगे तो उन पर विचार करने का मौका मिलेगा। यदि सरकार के सिस्टम में कुछ खराबी हो तो उस दशा में आपकी राय ज्यादा जरूरी मालूम होती है। मैं समझता हूं कि इस काम में बड़ी भारी सहायता की जरूरत है। भारत सरकार से अन्न लेने की कोशिश की जा रही है। वहां से भी अन्न मिलने में कठिनाई हो रही है। उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी पूरी-पूरी चेष्टा कर रहे हैं और बहुत प्रयत्नशील हैं। वे अधिक से अधिक अन्न लाने की कोशिश कर रहे हैं। विदेशी गेहूं के देने के संबंध में भारत सरकार की यह राय है कि जब तक तुम कुछ अन्न इकट्ठा नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, जितनी तुम चाहते हो। मैं फिर यही निवेदन करता हूं कि यह मामला बड़ा गंभीर है और आवश्यक है, इसलिए आपकी सलाह बहुत ही जरूरी है।

कृषि फार्मों के बारे में एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं। माननीय रामदत्त जी ने उसकी कुछ चर्चा की। कृषि फार्मों की हालत पिछले तीन वर्षों से कुछ उन्नति की तरफ है। यह सही है कि अभी तक कुछ फार्म घाटे में थे, लेकिन ३, ४ वर्ष से लगातार इस तरफ आ रहे हैं कि अपने पैर पर खड़े हो जाय। और अगर माननीय रामदत्त जी का आशीर्वाद रहा तो बड़े योग्य आदमी के हाथ में यह काम है, हमको यह लगता है कि शायद इस वर्ष कृषि फार्मों में से कुछ ही फार्म होंगे जो घाटे पर हों। लेकिन अगले १, २ वर्ष के अन्दर ये फार्म घाटे पर नहीं रहेंगे। आपने जैसा कहा कि पानी का बन्दोबस्त करो, यह तो बन्दोबस्त किया गया है। चाहे ऐनीमल हस्बेंडरी के फार्म हों, चाहे कृषि विभाग के बीज पैदा करने वाले फार्म हों उनमें जहां पानी का बन्दोबस्त नहीं है वहां पानी का इन्तजाम किया जाय, ट्यूबवेल लगाये जायं। बराबर उसकी देखरेख जारी है और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि सदन के सदस्यों को कभी कभी सरकारी फार्मों को देख लेना चाहिये, वे बैलों को देखें, कैसे खाद रखी जाती है, कैसे

[श्री गेंदासिंह]

बताया जाता है, कैसी फसल है और एक पत्र हमको लिख दीजिये, कृषि मंत्री को लिख दें कि तुम्हारे फार्म का यह हाल है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि शिकायतें होंगी जो आपके सामने आयेंगी । विरोधी दल की आवश्यकता इसलिये है कि हम जहां तक नहीं पहुंच सकते वहां पहुंचने में आप हमारी सहायता करें । इसलिये मैं कहता हूं कि आपको यदि कोई शिकायत मिलती है तो उससे आप रूठिये नहीं, आप एक खत लिख दें और अगर टिकट का झगड़ा हो तो माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से कह देना चाहता हूं कि सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट से संबंध रखने वाले जो पत्र हों उनको आप बैरंग ही डाल दें । उनको मैं बड़े गौर से पढ़ूंगा और जो कुछ मुझसे हो सकेगा आपकी शिकायत दूर करने की कोशिश करूंगा । आप इस सप्लीमेंटरी बजट को जल्दी पास कर दें ताकि और कामों के लिये फुर्सत मिल सके ।

श्री रुस्तम सैटिन---

मैं आश्वासन चाहता हूं मंत्री जी से कि यह जो लाखों मन गल्ला जब्त किया गया है यह सड़े न और यह जनता तक पहुंचे ।

श्री अध्यक्ष---

आपकी बात सुन ली, वह गौर कर लेंगे ।

श्री गेंदासिंह---

नहीं सड़ने पायेगा ।

श्री रमावल्लभ मिश्र (जिला बरेली)---

श्रीमन्, बजट पास कराने का एक ऐसा समय आता है जब शासक दल विरोधी दल के आगे हाथ फैलाता है कि हमें इस समय सहायता दो, मंत्रि परिषद् का जो बेलगाम घोड़ा दौड़ता है उसके लगाम लगाने का वक्त आता है और उस समय हम यह आशा करते हैं कि वे लोग जो ८ करोड़ लोगों के नुमाइन्दे हैं यहां पर शासक दल और विरोधी दल का भाव छोड़कर कर जो मतदाता हैं, भूखे मर रहे हैं उनकी बातों को ध्यान में रखें । जहां आज लाखों भूखों मर रहे हैं उस प्रदेश का मंत्रिमंडल यदि हमारे सामने बजट पेश करता है जिसमें ३१ करोड़ रुपया मांगा गया है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या औचित्य उसके पास है ? आज हमसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, कारागारों तथा आबकारी के लिये रुपया मांगा जाता है तो मुझको चोट लगती है । धन्यवाद की पात्र हैं हमारी बहन जो अभी शासक दल की ओर से बोलीं और जिन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि शासक दल असफल रहा है और प्रदेश के लोगों को संतुष्ट नहीं कर सका है उनके अन्दर जो स्वतंत्र भावना है उसके ऊपर अभी राख नहीं पड़ी है । धन्यवाद के पात्र हैं माननीय गेंदा सिंह जी भी जिन्होंने सहयोग का हाथ हमारी ओर बढ़ाया है । लेकिन यदि आपने इस बजट में यह कहा होता कि भूखों को सस्ता अन्न उपलब्ध कराने के लिये हमको ३१ करोड़ रुपया चाहिये तो मैं विरोधी दल की ओर से यह कह सकता हूं कि मानवता के आधार पर ३१ करोड़ नहीं ६२ करोड़ स्वीकार कीजिये, लेकिन जो पुलिस हम पर, निरीह कर्मचारियों पर, विद्यार्थियों पर, रोटी मांगनेवालों पर, शिक्षा मांगने वाले विद्यार्थियों पर लाठी डंडा बरसाती है उसके लिये यह सरकार रुपया मंजूर कराना चाहती है तो उसके लिये हम कतई तैयार नहीं हैं ।

मेरे दोस्तों ने कहा कि अन्न के भाव कम हो गये हैं । जिस दिन बिकल जी का नाम चल रहा था एक से ले कर ८ तारीख तक तो बरेली के अन्दर ६२ रुपये मन का गेहूं गिर कर ४७ रु० हो गया और सस्ता लाल गंदा गेहूं ४३ रुपये हो गया लेकिन क्षमा करेंगे शासक दल के नेता जिस दिन बाजार में उनके दल की सरकार बनने की बात पक्की हो गयी ४३ रुपया वाला गेहूं ६० रु०

हो गया। तो बाजार का भाव चढ़ रहा है या गिर रहा है? मेरा विनम्र निवेदन है कि शासक दल के लोग सारे भेद भाव भुलाकर प्रदेश की जनता की ओर ध्यान दें। सबसे पहले आचरण संहिता बनाने वाले "मनु" के वे शब्द मुझे याद हैं कि सदन में जाने वाले सदस्य अपनी आत्मा का हनन नहीं करेंगे और वही बात सदन की बैठक में कहेंगे जो उचित हो। शासक दल के एक सदस्य ने कहा कि २००,२५० रुपये के आइटम हैं। बजट शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है। करोड़ों रुपयों का सवाल है। मेरा अनुरोध है कि सारे भेद भाव भुलाकर इस रक बजट को वापस कर दीजिये और मंत्रिपरिषद् इस पर पुनः विचार करके भूखों को रोटी देने के लिये दूसरा बजट हमारे सामने पेश करे। इस बजट को हम अस्वीकार करते है।

एक बात कृषि मंत्री ने कही जखीरे बाजों के सम्बन्ध में। मेरी इस सम्बन्ध में व्यतिगत जानकारी है। बड़-बड़े फार्म्स हजारों मन गल्ला दबाये हुये हैं। वे इतने धनी हैं कि गल्ले को बेचना नहीं चाहते। वे ऐसे लोग हैं जिनको छूने में सी० आई० डी० और पुलिस घबड़ाती है और जिनका मंत्रिमंडल पर पूरा प्रभाव है।

श्री गेंदासिंह—

नाम बतलाइये।

श्री रमावल्लभ मिश्र—

मैं सदन की परम्परा के अनुकूल नहीं समझता कि व्यक्ति विशेषों का यहां नाम लूं, लेकिन अगर कृषि मंत्री चाहेंगे तो मैं ऐसे नाम उनके सामने बतला सकूंगा और शायद इस विषय पर ऐसी सूचनायें उनको दे सकूंगा ताकि वे बड़े-बड़े मगर मच्छों को पकड़ सकें और अन्न का वितरण करा सकें। तब हम समझेंगे कि आप इस बारे में सचिन्त हैं। एक बार मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से मेरी बहन ने अभी सदन के सामने शासक दल द्वारा पेश किये हुये बजट को धिक्कारा है, मैं आप सबसे यह आशा करता हूं कि हम सारे सदस्यगण इसको धिक्कार दें और बाध्य कर दें मंत्रिपरिषद् को फिर से इस पर विचार करने के लिये।

*न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

श्रीमन्, इस बजट की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में हमारे मित्र प्रतापसिंह जी ने एक यह आपत्ति उठायी थी कि इन अनुपूरक मांगों में फौज वगैरह की मांगे तो आ सकती हैं लेकिन जो सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित मांगें हैं उनका जिक्र नहीं आ सकता। एक दूसरे मित्र ने एक आपत्ति और उठायी और यह कहा कि अनुपूरक मांगों में जो खर्च हो चुका है उसका जिक्र नहीं आ सकता और अगर आता है तो उचित नहीं है। श्रीमन्, बहुत अर्से से हम लोग अनुपूरक मांगों पर विचार करते आये हैं। केवल इसी देश में नहीं बल्कि उन सभी देशों में जिनमें कि प्रजातंत्र प्रणाली द्वारा शासन चलता है और हमारे इस सदन में भी अनुपूरक मांगें सदा से आती रही हैं। मुझे इन आपत्तियों पर आश्चर्य हुआ और मैं यह खयाल करता था कि ये आपत्तियां ऐसी हैं जिनका यदि उत्तर न दिया जाय तो भी कोई बहुत अनुचित बात नहीं होगी। किन्तु फिर भी चूंकि यह सदन पहले पहल बैठा है और हमारे मित्रों में से बहुत मित्र नये हैं, मैं भी एक प्रकार से इस सदन के लिये प्रत्यक्ष नया हूं इसलिये मैंने यह उचित समझा कि 'मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस' का कुछ हवाला केवल अपने मित्रों को बताने के लिये दे दूं। इसमें सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स के सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट आता है—

"Supplementary estimates are presented in a somewhat different form for the Defence Services and for the Civil Services respectively."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य--

हिन्दी में पढ़िये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं इसका हिन्दी अनुवाद कर दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी जो अंग्रजी में पढ़ रहे हैं उसका हिन्दी में अनुवाद स्वयं कर देंगे ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

यह 'मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस' के पृष्ठ ७१५ पर है और इसका अर्थ यह है कि यह अनुपूरक अनुदान सदन में जिस प्रकार पूरा बजट पेश होता है उससे भिन्न प्रकार से पेश होता है और यह जो डिफेन्स सर्विसेज आदि हैं उनकी मांगें भी साधारण प्रशासन सम्बन्धी मांगों के पेश होने में अन्तर है। तो इससे यह स्पष्ट है कि साधारण प्रशासन सम्बन्धी व्यय की मांगों का भी इसमें उल्लेख है। जहां तक दूसरी आपत्ति का सम्बन्ध है कि यदि कोई व्यय हो चुका है तो उसका जिक्र करना उचित नहीं है। उसके सम्बन्ध में भी मैं आपकी आज्ञा से 'मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस' पृष्ठ ७६८ पर जो जिक्र है उसे अंग्रजी में पढ़ना चाहता हूं ।

"The need for an excess grant arises when a department has carried expenditure for a service beyond the amount granted to that service during the financial year in which the grant was made."

इसका अर्थ यह है कि एक्सेस ग्रांट की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब कि एक विभाग जिसके लिये खर्च मंजूर हुआ है उससे अधिक खर्च कर लेता है उसी फिनेन्सल ईयर में ।

श्रीमन्, अभी रुस्तम सैटीन साहब ने जिसका जिक्र किया और मेरे मित्र गेंदासिंह जी जिसका जिक्र कर रहे थे मैं उसके सम्बन्ध में एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि मेरी सारी भावनायें मेरे मित्र माननीय रुस्तम सैटिन से सहमत हैं। मैं अनुभव करता हूं कि कहीं गल्ला पकड़ा गया है तो उसको बेच कर काम में ले लिया जाय तो उचित होगा। लेकिन इसमें कुछ कठिनाइयां कानून के सम्बन्ध में रहती हैं। उनसे मैं भी परिचित हूं और मेरे मित्र भी परिचित होंगे। मैं इस माननीय सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की बात होगी और उसके लिये जो कानूनी अड़चनें हैं, उनको दूर करने की चेष्टा करेंगे। मेरी दृष्टि में भी उचित है कि जो गल्ला पकड़ा जाय उसको तुरन्त उपयोग में लाया जाय बजाय इसके कि वह महीनों रखा रहे और उसके बाद उसी व्यक्ति को वापस हो। इसमें दो प्रकार की कानूनी अड़चनें होती हैं। इसमें यह भी तय नहीं होता है कि होर्ड करने वाले व्यापारी के ऊपर होर्डिग का आरोप सिद्ध हो गया और न्यायालय को अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को गल्ला वापस कर दे यदि वह पाये कि होर्डिग का आरोप उसके विरुद्ध सिद्ध नहीं हुआ और यह भी है कि उस आरोप के सिद्ध होने पर उसको जब्त कर ले। इस दिशा में वह बेच दिया जाता है या सरकार ले लेती है ।

मैं ऐसा समझता हूं कि कानून में ऐसा प्राविधान है और जैसा कि मैंने कहा यदि नहीं है तो वह किया जायेगा कि जो पैरीशेबिल चीजें हैं, जो नष्ट हो जाने वाली चीजें हैं, उनको न्यायालय की अनुज्ञा से बेचा जाता है और धन जमा हो जाता है। उसके बाद यदि वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह धन सरकार को मिल जाता है। यदि वह व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो वह धन उस व्यक्ति को मिल जाता है। किन्तु इसमें एक बात की अड़चन है कि हम न्यायालय को आदेश नहीं दे सकते हैं। इसमें जो हमारी प्रोसीक्यूटिंग एजेंसी है, वह न्यायालय से प्रार्थना

कर सकती है। मेरी दृष्टि में यह मांग उचित है और हम वह काम करना चाहेंगे जिससे यदि गल्ला पकड़ा जाय तो उसको तुरन्त काम में लाया जा सके।

श्री मलिखानसिंह—

माल मंत्री जी, अपने विभाग की जबरिया वसूली पर प्रकाश डालिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

कुछ मेरे मित्र सूखा के बारे में जिक्र कर रहे थे। श्रीमन, मैं नया हूं। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं मेरी दृष्टि में सूखा भयंकर रूप से है। इसके सम्बन्ध में जो कार्य हुआ है वह भी मेरे सामने आया है। आज मैं यह भी कहने की जुर्रत करूंगा कि इसमें समस्त सदन को अपना सहयोग प्रदान करना है इस कार्य को समाप्त करने के लिये। सूखा केवल मेरे लिये नहीं बल्कि सारे प्रदेश और सारे देश के लिये एक चुनौती है और इस से संघर्ष लेने के लिये हम लोग उपस्थित हैं और मैं अपने मित्रों के सहयोग की अपेक्षा करता हूं। सूखा पड़ा, ओले गिरे, और २-३ साल से फसल चौपट हुई है और फसल जम नहीं पाती है पानी का भी कष्ट है। सरकार की ओर से जो कार्य हुये हैं उनका जिक्र उस समय करूंगा जब सम्पूर्ण बजट पर चर्चा होगी या इसके सम्बन्ध में कोई चर्चा आयेगी। लेकिन इतना कह देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो भी सूखे के सम्बन्ध में हम लोग कर सकेंगे वह अवश्य किया जायेगा और वह किया जायेगा मेरे मित्रों के सहयोग से और उनकी निश्चित सलाह से जो देश को बनाने के लिये आवश्यक और अवश्यंभावी है।

मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे मित्र ने बोक्सा और थारूओं के निष्काशन का जिक्र कर दिया कदाचित या तो वह गलत हैं या मैं गलत हूं। लेकिन शायद उनकी सूचना ठीक नहीं है। जिस भूमि पर वह काबिज थे उसमें से कहीं कहीं पाया गया कि उनको जबरदस्ती उस भूमि से निकाल दिया गया आज सरकार दृढ़प्रतिज्ञ है कि जहां जहां थारू और बोक्सा लोगों को जबरदस्ती हटाया गया है, जो लोग जबरदस्ती का ज हो गये हैं निस्संदेह उनको निकाला जा रहा है लेकिन यह बात गलत है कि थारू और बोक्सा लोगों को निकाला जा रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी भी प्राप्त करने की कोशिश की और जो जानकारी मिली उससे मालूम हुआ कि कुछ थारू और बोक्सा लोग जिस जमीन पर काबिज थे उनको निकाला है। हम लोग उन थारू और बोक्सा लोगों को पुनः उनकी जमीन और घर में भेजने की चेष्टा में हैं और उनके अधिकारों का हम अवश्य संरक्षण करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आचार्य दीपंकर। अगर आपको बैठकर सुविधा हो तो आप बैठ कर बोल सकते हैं।

आचार्य दीपांकर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार २१ करोड़ रुपया अनुपूरक अनुदान के रूप में स्वीकार करवाना चाहती है। लेकिन बहुत से महकमें ऐसे हैं जिनमें पिछले साल रुपया मंजूर करवाया गया, जो रकम इससे ज्यादा है जो उन महकमों में खर्च नहीं हुयी। यह परिपाटी चल रही है। विभाग अपने खर्च के लिये रुपया मंजूर करवाते हैं लेकिन ३१ मार्च जब आता है तो एक हफ्ते के अन्दर दौड़ धूप करते हैं। पूरा साल गुजर जाता है खर्चा नहीं करते और फिर अनापशनाप खर्च करते हैं लेकिन फिर भी एक हफ्ते में कैसे खर्च कर पायें। यह समस्या यहां से पैदा होती है। जैसा सरकार का रूप है, सरकार बहुत से विभागों का फेडरेशन है। सब विभाग स्वतंत्र हैं। जिसको जो समझ में आता है कर लेता है। जिस प्रकार बहुत सी यूनियनें एक फेडरेशन बना लेती हैं बिलकुल उसी तरह से तमाम विभागों का फेडरेशन सरकार है। किसी प्रकार का कोआर्डिनेशन नहीं है। अगर विभाग एक दूसरे विभाग की पूर्ति नहीं कर सकते तो प्रदेश की प्रगति का नुमायां स्वरूप हमारे सामने नहीं आ सकता। अगर सरकार इस पुराने तरीके से नहीं निकल सकती है तो हम लोगों से यह ३१ करोड़ रुपया स्वीकार करवा लेने से काम नहीं चलेगा। इस सम्बन्ध में बड़ी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

[आचार्य दीपांकर]

एक प्रश्न जो बड़ा पेचीदा है अन्न के व्यापार का, उसके सम्बन्ध में माननीय गेंदासिंह ने कहा कि इस नीति के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी भी सहमत हैं मुझे कम से कम इस बात की खुशी हुई। मैं समझता था कि माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से इसका प्रतिरोध होगा, लेकिन अच्छी बात है कि उनका इस नीति को लेकर आशीर्वाद है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। इतना बड़ा प्रयोग लाक्षणिक तौर से कैसे चल सकता है? इतनी बड़ी स्कीम में अगर दो करोड़ रुपया लगाना चाहते हैं, हिन्दुस्तान में अन्न के व्यापार में १० अरब रुपये लगे हुये हैं। अध्यक्ष जी, आप तो विद्वान् हैं आप जानते हैं। लगाने वालों की संख्या २१-२२ है। यदि सरकार इस तरफ हाथ डालती है और जनता के तरफ से दबाव पड़ता है तो मुख्य मंत्री और गेंदा सिंह जी को जनता को मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिये पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिये और सरकार को जनता को छुटकारा दिलाकर ही दम लेना चाहिये यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आप करते यह हैं कि आप सांप की तरफ एक कंकड़ फेंक देते हैं और उसे जाग्रत कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह समाज को काटेगा ही अर्थात् ऐसी स्थिति में वे और असामाजिक कार्य करने लगते हैं। बनारस के बारे में रूस्तम जी ने ज बताया है वहां वही हो रहा है और ऐसी स्थिति में ऐसा ही होता है। देवरिया, बलिया और दूसरे स्थानों पर भी इसी तरह की बात हुयी है।

पिछले साल क्या हुआ जब नेगी जी खाद्य मंत्री थे? तब भी इस प्रकार अनाज पकड़ा गया और सील करके सड़ने को छोड़ दिया गया और वह ढाई तीन साल तक सील पड़ा रहा। ठीक है, आपने एक ठीक काम किया लेकिन आपका हर अच्छा काम बुरे नतीजे लाता है तो आप क्या करें। वित्त मंत्री जी की स्पीच का आप प्रिएम्बेल पढ़ लीजिये तो वह बहुत अच्छा मालूम पड़ता है, आदर्श प्रतीत होता है, लेकिन उसमें अन्दर से सड़ान्ध आती है। आपके हर काम का परिणाम उल्टा निकल रहा है। आज हमें बच्चों के लिये अनाज चाहिये ७० रु० मन ले आता हूं किसी तरीके से बच्चों का पेट तो भरता है, लेकिन सील लगाने से क्या होता है वह भी मिलना दुर्लभ हो जाता है। कुछ आपकी सील में पड़ा सड़ता है और कुछ जो बाजार में आने को होता है उसे व्यापारी मजबूती से दाब लेता है। काम तो आप बहुत अच्छा करते हैं, घोषणा भी आप बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उसका नतीजा बहुत खराब निकलता है। मैं गेंदासिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सदन का और कोर्ट का बहाना न कीजिये और आप इस विषय में तत्काल एक अध्यादेश निकलवाइये जो इस सुधार के मार्ग में आने वाली सारी अड़चनों का निवारण कर सके और इस अनाज को जनता के पास जाना चाहिये। आप सांप को छेड़िये नहीं और यदि छेड़िये तो सांप के फन को अच्छी तरह कुचल डालिये। इसके बीच का कोई रास्ता नहीं है। छेड़ा हुआ सांप और भी अधिक भयानक हो जाता है। सांप को छेड़कर, ऊपरी दिखावे के लिये थोड़ा इधर उधर करके आप समाज के वातावरण को गन्दा न कीजिये।

मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुख्य मंत्री जी ने कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति का परिचय दिया। राज्य कर्मचारियों के बल पर सारे राज्य का ढांचा चल रहा है। आप उनको जितनी भी सहूलियतें दे सकते हों, दें या आपोजीशन की सरकार बनती तो वह भी अवश्य देती, वह एक आवश्यक चीज है। वह काम नेक है और जो भी आयेगा उसे इसको करना ही पड़ेगा और इसके बिना प्रशासन ठीक से काम नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें भी मुझे सरकार के दृष्टिकोण पर ऐतराज है, इस सरकार में बैठने वालों का दृष्टिकोण सामन्तशाही है जो नहीं होना चाहिये। अपने प्रदेश की यद्यपि कुछ खास समस्यायें हैं जिन्हें मैं नजरन्दाज नहीं करना चाहता, किन्तु फिर भी जब सारे प्रदेशों ने राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता केन्द्र के बराबर कर दिया है तो यहां भी यह चीज आवश्यक है। यह निश्चित चीज है कि केन्द्र के बराबर मंहगाई भत्ता देने से राज्य का व्यय भार बढ़ता है, किन्तु यदि कर्मचारियों में असंतोष है यदि मुख्य मंत्री का पी०ए० असंतुष्ट है तो वह कैसे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। ईमानदारी के साथ और कैसे प्रदेश का प्रशासन सुचारु रूप से चल सकता है? आप किसी भी दफ्तर में चले जायं आपको

रिश्वत की शिकायतें मिलेंगी और आजकल यह विकराल रूप धारण कर चुकी है। किन्तु सोचना पड़ता है कि आज के जमाने में ७२ रु० के भाव से गेहूं मिल रहा है और ७०–८० रुपये ही उसे तनख्वाह मिलती है कैसे कोई अपना गुजारा करे ? मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आपको इनके मामले को शीघ्र सुलझाना चाहिये और केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को जो मंहगाई भत्ता दे रही है उसको आप लागू कर दीजिये नहीं तो यह सरकार चलेगी नहीं और एक दिन यह ज्वालामुखी फूटेगा अवश्य। आप भले ही सरकार बना लें तोड़-फोड़ करके और लोगों का ईमान खरीदकर, लेकिन यह कब तक चलेगा ? यह अधिक दिन चलने वाला नहीं है।

समाज में अगर मिनिस्टर का सम्मान नहीं है, एम० एल० ए० जिस इलाके से आया है उस की प्रतिष्ठा नहीं है, अगर मास सैंक्शन नहीं है गवर्नमेंट को तो वह कैसे चलेगी ? आप सौ वर्ष राज्य करें इसमें हमें एतराज नहीं है, कोई जल्दी नहीं पड़ी है, लेकिन काम ऐसे होने चाहिये जिन से जनता का हित हो।

अधिक समय न लेकर, एक बात सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं। अब तक कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन को अगर नुक्सान होता है तो उनको सरकारी कर्मचारी कहा जाता है, लेकिन अगर लाभ होता हो सरकारी कर्मचारियों की भांति उन को तो वह सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते। जैसे पी० डब्ल्यू० डी०, का बिजली, का मुहकमा है, स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं, दूसरे टीचर्स हैं, सरकारी कर्मचारियों की भांति अनुशासन तो उन पर लागू होता है, वह बंधन सारे उन पर लागू होते जाते हैं, लेकिन अगर सरकारी कर्मचारियों को कोई लाभ हुआ हो और वह उन पर लागू होने की बात हो तो वह नहीं की जायगी।

(इस समय १ बजकर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुये।)

और उन के लिए कहा जायगा कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये, यही मैं अर्ज करना चाहता हूं।

*श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैं आशा करता था कि विरोधी दल के माननीय सदस्य अपने भाषणों में अनुपूरक अनुदानों के सिद्धान्तों की कहां पर हत्या की गयी है इस सम्बन्ध में बताने की मेहरबानी करेंगे। मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुनता रहा। काफी चर्चा ऐसी बातों की की गयी है जिनका समावेश इन अनुपूरक अनुदानों की परिधि में नहीं हो सकता। हमारे समक्ष जो साहित्य अनुपूरक अनुदानों के रूप में प्रस्तुत है इसमें अद्योगान्त ऐसी कोई बात नहीं है जो संविधान के अनुच्छेद ११५ में वर्णित मंशा के विपरीत हो। ऐसे समाज में जहां आये दिन कीमतें बढ़ती हों, जिसकी व्यवस्थायें विकासशील हों, कदापि सम्भव नहीं है कि वार्षिक आय-व्ययक का लेखा तैयार करते समय कोई भी आदमी इस बात की कल्पना करे कि आगत दिनों में उनको किन परिस्थितियों का मुकाबला करना होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी मजदूर की मृत्यु हो गयी और तदुपरान्त उस के परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की जाती है तो ऐसी अवस्था में भी शिकायत की जायगी। इस में आप देखें कि कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गयी है वह ऐसी है जिसके लिए माननीय विरोधी दल के सदस्यों को इधर के बैठने वालों को धन्यवाद देना चाहिये था। केवल चर्चा कर देना कि सारे प्रदेश में मंहगाई है, अन्न की कमी है काम उससे चलता नहीं है। सरकार की ओर से उस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। उनमें क्या कमियां हैं उन को बताना और सुझाव प्रस्तुत करना मैं समझता हूं कि यही विरोधी दल का पुनीत कर्त्तव्य है। हमारी ओर से इस बात की चेष्टा की गयी है कि नये बीजों के उन्नयन,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

उनकी छंटाई और वितरण के लिए एक संयंत्र बनाया जाय और वह बनाया गया, हमने भूमि संरक्षण की व्यवस्था को अधिक प्रभावकारी बनाया है।

अनुपूरक अनुदानों में ऐसे मजदूर जिनको आप खेतिहर मजदूरों की संज्ञा देते हैं, वे आज नगरों की ओर भागते चले आ रहे हैं, नगरों की संख्या बढ़ती जा रही है तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो सके, गांव के स्तर पर उनको रोजी कैसे दी जा सके इस बात के सम्बन्ध में इस अनुपूरक बजट के अनुदानों में व्यवस्था की गयी है।

हम ने इस बात की व्यवस्था की है कि प्रदेश में जो यह कुष्ठ का रोग भयंकर रूप से फैल रहा है उससे समाज को मुक्ति दिलायी जा सके। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किये गये और उन सम्मेलनों में कुछ चर्चा हुआ। वह एक अप्रत्याशित खर्चा है। उस की कल्पना बजट बनाते समय नहीं की जा सकती थी। उस खर्चे को इस में रखा गया है। इसके साथ-साथ उन छात्रों के लिए जिनको अनुसूचित जाति के छात्रों की संज्ञा दी जाती है उनके लिए रुपये की व्यवस्था की है। हमारे यहां राज्य कर्मचारियों का आन्दोलन चल रहा था। उन के ऊपर इस मंहगाई का बुरा प्रभाव पड़ रहा था। उन को राहत देने के लिए एक योजना चलायी गयी। उस योजना की निधि में अधिक धन रखने के लिए हम मजबूर थे। हमने उस में अधिक पैसा दिया। वह सही खर्चा था, लेकिन उस की चर्चा भी यहां पर नहीं की गयी। मैं आरम्भ से ही देख रहा था किन्तु किसी भाई ने उस तथ्य की ओर अपना ध्यान देने की कृपा नहीं की। उसका प्रभाव इस पर आया, किन्तु जब समय आयेगा, तो बताया जायगा कि किस प्रकार पैसा बांट कर देने की बात सही है या गलत है। सरकारी पैसे के ऊपर हर तरह से चेक लगा हुआ है और लोक लेखा समिति में इधर और उधर के माननीय सदस्य रहते हैं जो उस पैसे की देखभाल करते हैं और पूरी तरह से देखभाल करते हैं। फिर यह सारी व्यवस्था रहते हुये यह कह देना कि राज्य सरकार को सत्ता और सरकारी धन के द्वारा चुनाव लड़कर आयी है मैं समझता हूं माननीय सदस्यों के लिए यह श्रेयस्कर बात नहीं है। जनतांत्रिक समाज में और ऐसे विकासशील समाज में जिस में आये दिन कीमतें बढ़ती हों एक योजना तैयार की गयी कि खेती में काम करने वाले मजदूर को इतनी मजदूरी दें। वस्तुओं के सम्बन्ध में जो हमारी कल्पना थी वह उस तरह से नहीं रही है और वस्तुओं के दाम बढ़ गये तो उस हिसाब से मजदूरी भी बढ़ गयी। ऐसी स्थिति में ऐसे अनुपूरक अनुदानों में उसकी व्यवस्था की गयी है। उस तरफ से इन बातों का स्वागत होना चाहिये था।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि अच्छा हुआ होता यह सारा रुपया आप सूखे और मंहगाई के सम्बन्ध में ले आये होते, सही है। इस बात से और इस जिम्मेदारी से इधर के बैठने वाले इन्कार नहीं कर सकते हैं। हम बराबर इस बात का एलान करते रहे हैं कि इस प्रदेश में जो रहते हैं उन के भोजन और वस्त्र की जिम्मेदारी इस सरकार पर है। इस प्रदेश में सूखे का प्रभाव बहुत है लेकिन १९४३ में जिस प्रकार से बंगाल में लाखों आदमी भूखे से प्रभावित होकर मर गये थे, क्या उस प्रकार की स्थिति इस प्रदेश में आयी? जितने बड़े पैमाने पर भुखमरी इस प्रदेश में फैलनी चाहिये थी क्या वह भुखमरी उतनी आज फैली है? मैंने अपनी चुनाव मीटिंगों में इस सवाल को लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अन्न जरूर मंहगा है, लेकिन मिलता है। मेरे क्षेत्र में कोई छोटा बाजार भी नहीं है, लेकिन वहां पर अन्न मिलता है। मैं पहली बार ही यहां चुन कर नहीं आया हूं। इस देश में जब से सामान्य निर्वाचन की पद्धति प्रारम्भ हुई है तब से ही मुझे उस निर्वाचन क्षेत्र की जनता का बराबर आशीर्वाद मिलता रहा है। क्या यह नहीं है कि जब सस्ता जमाना था उस जमाने में अधिक लोग उपवास करते थे? आज अन्न महंगा अवश्य है लेकिन उस के बाद भी लोगों को इस बात की कठिनाई नहीं है कि उन को अन्न मिलता न हो। आज उन को अनाज मिलता तो है। और मिलता है इधर बैठने वालों की व्यवस्था के कारण। आप ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसी को महा-आधार बना रखा था, लेकिन पता चला कि जिन्होंने इस महा आधार पर चुनाव लड़ने का

फैसला कर रखा था वह कहीं और पहुच गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इधर बैठने वाले आप के रचनात्मक सुझावों का आदर करेंगे। प्रधान मन्त्री जी ने सूखा पीड़ितों की सहायता के लिए एक कोष का निर्माण किया था। आवश्यक था कि राज्य सरकार भी उसमें अपना अंशदान दे। इस धनराशि की यदि इस में व्यवस्था की गयी है तो उसके लिए आप को सरकार को धन्यवाद देना चाहिये था, हमारी सराहना करनी चाहिये थी, लेकिन बराबर, शुरू से आखिर तक एक ही चर्चा होती रही, और कहीं किसी ने मेज पार्लियामेंटरी ब्रैकिट्स बढ़ कर सुझायी। किसी ने भारतीय संविधान की चर्चा की। मैं ऐसा समझता हूं कि उन सारे सुझावों के साथ साथ कोई एक ग्रान्ट भी कम से कम अवश्य दिखायी जायगी कि जिसको हमने नियमों की अवहेलना कर के इस अनुपूरक बजट में व्यवस्था की हो। अगर ऐसा होता तो मैं इस को इतना डिफेन्ड न करता। लेकिन यदि इस बजट को संविधान की धारा ११५ के अनुसार व्यवस्थित किया गया है तो उस में आप को एतराज नहीं होना चाहिये। अनुच्छेद ११५ में कहा क्या है अनुच्छेद ११४ के उपबन्धों के अनुसार किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किये जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी जाती है अथवा जब उस वर्ष के वार्षिक वित्त विवरण में प्रवेशित न की गयी किसी नयी सेवा पर अनुपूरक अथवा अपर व्यय की चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गयी है, अथवा किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर, उस सेवा और उस वर्ष के लिए, अनुदान की गयी राशि से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद के दोनों सदनों के समक्ष.....ऐसी अधिकता के लिए मांग उपस्थित करायेगा।' तो यह परम्परा संसदीय देशों में रही है और हमारा भारत एक विकासशील देश है और यह एक सही संसदीय परम्परा है अतएव मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री भुवनेश भूषण (जिला इटावा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुपूरक बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने रखा है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी अभी हमारे साथी श्री रामायण राय जी बड़े अधिकृत ढंग से बोल रहे थे। मैं बहुत समय तक उनका साथी रहा हूं। वह इधर ही बैठते थे। उन्होंने कहा कि हम ने कहीं किसी निरस्त्र की हत्या नहीं की है। उनके भाषण से ऐसा प्रतीत होता था कि सारे प्रदेश में सही स्थिति है और रामायण राय जी जिस ओर बैठे हैं उस ओर बैठी हुई सरकार ने सारे प्रदेश को स्वर्ग बना दिया है। श्रीमन्, उन्होंने एक बात और कही कि प्रदेश में इस समय मंहगाई जरूर हुई, लेकिन एक भी व्यक्ति हम ने भूखों मरने नहीं दिया। अकाल जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई। मैं समझता हूं कि इस सदन में माननीय सदस्यों को १५ रुपये रोज भत्ता मिलता है। मैं मान लेता हूं कि यहां का कोई एम० एल० ए० भूखों नहीं मरता, और उसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन श्रीमन्, प्रदेश की जनता, प्रदेश का मजदूर, प्रदेश का काम करने वाला और यहां का सरकारी कर्मचारी, आप देखें कि आज उसकी क्या स्थिति है। मैं समझता हूं कि माननीय रामायण राय जी सपनों में विचर रहे हैं, वरना उन को यह बात कहने का साहस नहीं होता। इस बीस साल में कांग्रेस के शासन में, जो प्रदेश और देश की स्थिति हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। किसी को शौक नहीं है कि वह व्यर्थ में प्रदर्शन करे, किसी को शौक नहीं है कि वह मुफ्त में गोली खाये। मजदूर या सरकारी कर्मचारी पागल नहीं हो गया है कि मन्त्रियों के दरवाजे खटखटाता फिरे वह और इधर उधर घूमता फिरे, हड़तालें करता फिरे।

कोई उन्हें नेतागीरी का शौक नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि आज प्रदेश बड़ी बुरी स्थिति में पहुंच गया है और उसका कारण है यह भ्रष्टाचारी कांग्रेसी सरकार। प्रदेश की जनता ने अब की बार ताकत लगायी थी कि इन कागज के बैलों को समाप्त करेंगे लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाये, नहीं तो आज उधर के लोग समझ लेते कि प्रदेश की हालत क्या है।

माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने कहा कि गल्ला जो पकड़ा गया है उस की व्यवस्था बिक्री करने की कानून की दृष्टि से हम नहीं कर पाये और उन्होंने गोल-मोल सी कानूनी बात कही।

[श्री भुवनेश भूषण]

वह एक योग्य मिनिस्टर होने के साथ प्रतिभाशाली वकील भी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके की बात उन्होंने रखी, वह केवल एक साधारण जनता को धोखा देने की बात थी। यदि सरकार चाहती तो सब कुछ हो सकता था। हमारा जिला मध्यप्रदेश से लगा हुआ है वहां भी कई बार गल्ला पकड़ा गया और दूसरे दिन जो कि साधारण पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, वह न्यायालय की आज्ञा लेकर बिक्री हो गया बाजार में और सरकारी कोष में जमा हो गया। लेकिन हमारे यहां कानून आड़े आता है। आज जब कि यह स्थिति है कि दिन भर काम करने के बाद, मजदूर दो रुपया पैदा करता है वह अपना पेट तक नहीं भर पाता तो माननीय गेंदा सिंह, खाद्य मन्त्री ने जो बड़ी वाहवाही लूटने की बात को कहते हैं, हमें उन की और सरकार की नीयत पर सन्देह है और इसलिए यह सारी व्यवस्था हुई। गल्ले के निकालने के लिए यदि पूरे प्रदेश में एक साथ छापे मारे जाते, तो गल्ला भी काफी मात्रा में पकड़ा जाता और भी वे भी नीचे आते। पर सरकार ने ऐसा नहीं किया और जो गल्ला पकड़ा गया उसे सस्ते भाव पर बाजार में बेचा भी नहीं। हां, उन्होंने गल्ला सील कर दिया। कहते हैं कि कानून ऐसा ही है। कानून की बात तो दूसरी है, कानून से तो सरकार का एक कागज इस मेज से दूसरी मेज पर जाने में सालों लग जाता है, लेकिन अगर मन्त्री जी वास्तव में कोई बात चाहते हैं तो एक मिनट में पूरे प्रदेश की सही व्यवस्था हो सकती थी और जो गल्ला पकड़ा गया था उसे जिलाधीश की आज्ञा से या पहले से ही न्यायाधीश की आज्ञा लेकर गल्ला पकड़ने के बाद तुरन्त उसे सस्ते मूल्य में वितरित करा दिया जा सकता था और गरीब मजदूर और गरीब कर्मचारियों को २-२-, ५-५- किलो बांटा जा सकता था, तब वह सही कदम होता। लेकिन सरकार ने सही कदम नहीं उठाया, क्योंकि यह तो केवल कागज में दिखाने के लिए था कि नये मन्त्रिमण्डल ने जो शपथ ली है तो कितना बढ़िया काम किया। जो इनकी तरकीबों से अनिभिज्ञ हैं वह लोग धोखे में आ सकते हैं। माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि छापे मारने के बाद गल्ला सस्ता हुआ हम कहते हैं कि यह गलत है। हां, गल्ला सस्ता हुआ था जब लोगों को ख्याल हुआ था कि यहां विरोधी दल की सरकार बनेगी और जहां जहां बनी है वहां सरकार मालूम कर सकती है कि पहले के और बाद के भावों में कितना अन्तर है और कितना सस्तापन आया है।

मन्त्री जी ने कहा कि सूखा का मुकाबला करना पड़ा। कौन नहीं जानता था कि सूखा भी पड़ सकता है, कौन नहीं जानता था कि दिन भर के १२ घंटों के बाद अंधेरा आयेगा, यह तो सभी को मालूम रहता है। लेकिन हम दिन भर खेलते रहें और तब सोचें जब शाम हो जाय, कि शाम हो गयी और प्रकाश के लिए दियासलाई का निर्माण करें, तो ऐसी ही इस सरकार की नीति रही है। हमारी सरकार तो ठीक मुहम्मद तुगलक की सरकार है। और उसी का प्रतिरूप। यह तुगलकी बजट है और पागलपन के रूप में सारी योजनाएं चलती हैं। कौन नहीं जानता था कि कृषि प्रधान देश में हमें कृषि के लिए कोई खयाल करना चाहिये और उसी के अनुरूप योजनायें बनानी चाहिये थीं। पर ऐसा नहीं किया तभी तो हमारे वित्तमन्त्री हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने विदेशों में जाते हैं और त्राहिमाम् त्राहिमाम् कहते हुए विदेशों में दौड़ते हैं। (लाल बत्ती होने पर) मुझे दो मिनट और दिये जायं। इस वक्त अमेरिका और रूस आदि देशों से गल्ला प्राप्त करना चाहते हैं। आप क्या यह नहीं जानते थे कि आबादी बढ़ रही है और उस के लिए पहले से गल्ले का इन्तजाम करना चाहिये? कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था करनी चाहिये पर ऐसा न कर आबादी को रोकने के लिए यह नसबन्दी, न जाने क्या क्या बन्दी आप कर रहे हैं, इससे समस्या का हल होने वाला नहीं है। इन बड़ी-बड़ी योजनाओं के स्थान पर आपको छोटी-छोटी योजनाओं की तरफ ध्यान देना चाहिये था, गांव में तरह तरह के कुटीर उद्योगों की ओर आपको ध्यान देना चाहिये था। आपने बड़ी-बड़ी योजनाओं को बना कर हजारों आदमियों को बेकार कर दिया। चुनाव के पहले आप सोते रहे, जब चुनाव का समय आया तो आप ने गांवों में हीं कहीं-कहीं ट्यूब वेल खुदवा दिये, और ऊपर से पाइपों पर तवा भी लगा दिये, और झूठा आश्वासन

देकर गांव में प्रचार कर दिया कि यहां बिजली आने वाली है, जब बिजली आ जावेगी, तो ट्यूब वेल चालू होंगे, यह होगा, वह होगा। ट्यूब वेलों के लिए पहिले बिजली पहुंचानी चाहिये थी, पर ऐसा नहीं किया।

जहां तक इस बजट के पास होने का प्रश्न है, वह तो होना ही चाहिये क्योंकि बिना इसके पास हुए सरकारी कर्मचारियों को पैसे कहां से मिलेंगे। किन्तु सरकार का जो मुहम्मद तुगलक जैसा दिमाग बन गया है, उस में सरकार को परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी जनता की तकलीफें दूर होंगी, गल्ला भी सस्ता होगा और खाद्य समस्या भी हल होगी।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा आज की बहस में दिलचस्पी लेने का नहीं था, मैं आज केवल सुनना ही चाहता था, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे प्रश्न उठाये जिस से मुझे प्रोत्साहन मिला कि मुझे कुछ उस पर कहना चाहिये। साधारण तौर पर जो आज की बहस हुई, उस से मुझे ऐसा लगा कि कुछ फर्ज अदायगी ज्यादा हो रही है। उधर से सिर्फ इस फर्ज की अदायगी की जा रही है कि क्योंकि वे अपोजीशन में हैं इसलिए कुछ न कुछ तो कहना ही चाहिये। माननीय रुस्तम साहब ने कुछ बातें कहीं और कुछ चेतावनी भी दीं। जो भी बातें उन्होंने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कही हैं, उन में जो मुनासिब हैं उनका मैं खुले दिल से स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि उन पर गौर किया जाय। यह कहा गया है कि इस बजट की प्रणाली कुछ दोषपूर्ण है, ११ महीने खर्च की रफ्तार कुछ धीमी रहती है, और मार्च के महीने में वह बहुत तेज हो जाती है। यह सही बात है, बहुत से लोग तो इसे मार्च की लूट भी कहते हैं। हमको चाहिए कि एक्सपेन्डीचर को हम एक ऐसे क्रम से ढालें कि उस में एक युनिफार्मिटी हो।

यह सब जो नहीं हो पाया इस पर जरूर गौर करना होगा और इस पर मेरा ख्याल है कि चारों तरफ यह ध्यान जुटा भी है। हमें अपने तरीकों में तब्दीली करने की जरूरत है और अब जिस तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया वह यह था कि यह सरकार काम तो अच्छा करने की कोशिश करती है मगर उसका अन्जाम बुरा होता है। यह सही बात है कि जिस ढांचे में, व्यवस्था में, या पद्धति में हम काम कर रहे हैं उनमें ऐसा परिणाम निकल रहा है। हम एक बात कह देते हैं और उसे नहीं कर पाते तो जिससे नुक्सान होता है, जिन को वे संगठित हो जाते हैं और लाभ जिन्हें पहुंचता वह नहीं पहुंच पाता है, यह बात सोचने की है। यह बात हमारे सामने नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने भी देश आजाद हुये हैं, उन्होंने प्राइसेज, बेकारी के सवालों को हल करने की कोशिश की है और एक सोशलिस्ट समाज बनाने की कोशिश की है और उस के अनुकूल यह व्यवस्था नहीं है उन्हीं देशों में यह शिकायत पैदा हो गयी है। लेकिन साथ ही मुझे ताज्जुब हुआ कि वे हमें मशविरा देते हैं, उन्हें हक है। लेकिन मैं उन्हें मशविरा देता हूं कि अगर वे चाहते हैं, कि स्टेट ट्रेडिंग सफल हो तो जो लोग स्टेट ट्रेडिंग में यकीन रखते हैं तो उनका आर्गेनिक तरीका होना चाहिये। अगर हम जनमत तैयार करें, तो अपने आप ऐसी व्यवस्था करें जिन लोगों को उनसे नुक्सान होगा तो वे उसका मुकाबिला करेंगे। चाहे आप नयी तिजारत का ढांचा तैयार करें। जो काम आप करेंगे, जो उससे एफेक्ट होगा, वे उसका विरोध करेंगे। उसमें पालिटिकल अन्डरस्टैन्डिंग भी होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह देश का दुर्भाग्य है जो एक अजीब माजरा है कि जिन लोगों में कोई विचारों की एकता नहीं है जो स्टेट ट्रेडिंग के प्रति प्रतिकूल विचार रखते हैं, वे इस बात पर तो मिल सकते हैं। लेकिन इस बात पर नहीं मिल सकते हैं कि जिन बातों पर मेल हो सकता है। उनको जिस तरह पोलिटिकल कान्ट्राडिक्शन्स हमारे यहां दिखायी देते हैं, मैं आशा करता हूं कि अगर आप उन कान्ट्राडिक्शन्स को हटा सकें, तो देश की ज्यादा खिदमत करेंगे।

स्टेट ट्रेडिंग के साथ कन्ट्रोल और प्लानिंग भी जुड़ा हुआ है। कन्ट्रोल से नुकसान हो तो आप कन्ट्रोल के खिलाफ कहने लगेंगे। हमें मजबूती से एक राय कायम करनी पड़ेगी और लोगों के दिमाग में बिठानी होगी, तभी लाभ हो सकेगा। प्राइसेज की बात कही गयी।

[श्री गोविन्द सहाय]

समाचार पत्रों में प्रचारित किया जा रहा है कि जहां जहां नान-कांग्रेस गवर्नमेंट हैं वहां वहां प्राइसेज गिर रही हैं, और जहां कांग्रेस गवर्नमेंट्स आ रही हैं वहां वहां अधिक हैं। यह क्यों है? इसकी जरा एनालिसिस करनी पड़ेगी। यह अधिक इसलिए है कि ट्रेड और बड़ी इन्डस्ट्री दोनों हमारे खिलाफ हैं। इस वजह से मैं बहस में नहीं जाना चाहता। मार्केट कौन कन्ट्रोल करता है। मार्केट और मनी से गवर्नमेंन्ट बदनामी मोल लेती है। मार्केट और मनी दोनों का कन्ट्रोल करती है ट्रेड और बैंकर्स। ट्रेड आज नाराज है रूलिंग पार्टी से। इस समय नान-कांग्रेस गवर्नमेंट्स उस ट्रेड में अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं, ट्रेड के लिए नान-कांग्रेस गवर्नमेन्ट ज्यादा सूटेबल है। अगर आप वोट एनालिसिस देखें, तो जो ट्रेड से आते हैं, वे उनके इन्टरेस्ट में हैं, हमें बदनाम करने के लिए। प्राइसेज का भी यही हाल है, क्योंकि मकैनिज्म उनके हाथ में है, क्योंकि आगे उन के जरिये से कन्सालिडेट करने का, ज्यादा मुनाफा करने का मौका उन्हें मिलेगा। यह एक कान्सपिरेसी है। अब रही भूखों मरने की बात। एक रिएलिटी है कि ऐग्रीकल्चरल कन्ट्रीज के अन्दर जहां पर सारी खेती पानी पर निर्भर करती है, जहां इम्प्रूव्ड टैक्निक्स न अपनायी हों, वहां के लोग भूखों मरते ही रहे हैं।

सिर्फ देखना यह है कि आया भूख से मरने के प्रासेस को हमने कम किया है या नहीं। अगर हमने उस ओर कदम उठाया है और हमको कुछ सफलता मिली है तब तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे उस कदम में कुछ कमी है और कोई तरीका आपको मालूम है तो आप हमको उस कदम को बताइये। लेकिन अगर आप उस कदम को बतायें नहीं और भूख की चर्चा करें, उससे काम चलने वाला नहीं है। प्राइसेस के घटने बढ़ने से कोई गरीब अमीर नहीं हुआ करता। इकनामी में लोगों के ज्यादा दिवाले निकलते हैं और गिरानी होती है। प्राइसेज तब तकलीफदेह होती हैं जब वाल्यूम आफ गुड्स का रिश्ता बदलता है। उस वक्त किसी क्लासेज पर प्राइसेज का असर पड़ता है। अगर सारी सुसाइटी पर प्राइसेज नाम की चीज का असर होता तो दुनियां की ताकत नहीं थी कि मुल्क के अन्दर क्रान्ति को होने से रोक सकती। इसका मतलब है कि कुछ क्लासेज पर प्राइसेज का असर है और कुछ पर नहीं है। अब सिर्फ सोचना यह है कि जिन क्लासेज पर प्राइसेज का असर है उनको किस तरह से राहत दी जाय। इन सवालात पर विचार विनिमय की आवश्यकता है। इस नाजुक दौर में एशिया और अफ्रीका के नये आजाद मुल्क सभी गुजर रहे हैं, और हम भी गुजर रहे हैं। उनके अन्दर कि हम नीतियों को मान कर हमें एक प्रोग्राम बनाना है और उस पर आगे बढ़ना है और यह एक दिन में हो नहीं सकता है। सोविएट रूस में, जहां पर सिर्फ एक पार्टी की सत्ता है वहां पर भी क्रान्ति लाने के लिये ४० साल उनको लग गये। इसलिये हमारे देश में जो लोग और पार्टीज सोशलिज्म में यकीन करते हैं उनको एक प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और गुस्से में किसी ऐसी पार्टी के साथ न मिल जाना चाहिये जो बुनियादी बातों में भी उनसे खिलाफ है। जहां इतिहास हमको माफ नहीं करेगा उसी तरह से ऐसा करने पर इतिहास उनको भी माफ नहीं करेगा।

*श्री विश्वनाथ प्रसाद (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे खाद्य मंत्री जी का भाषण सुनने को मिला। प्रशासन में पुलिस विभाग की बहुत तारीफ की गयी है उसके लिये कुछ खर्चा भी बढ़ाया गया है। दिन दहाड़े प्रदेश में गोलियां चल रही हैं लोग मारे जा रहे हैं और इस पुलिस को यह भी पता नहीं कि किन लोगों के पास अवैध पिस्तौल है। यह चौबीस घंटे अपनी रोटी कमाने के चक्कर में पड़ी रहती है कौन माननीय मंत्री हुआ और उसको किस तरह से खुश किया जाय, इसके सिवाय उसका और कोई काम नहीं है और अपना उल्लू सीधा करते हैं। बनारस में दिन दहाड़े खून हुए लेकिन नाजायज पिस्तौलों का पुलिस को पता तक नहीं है। खाद्य मंत्री जी ने कहा कि हमारी पीठ नहीं थपथपाई, उसके बजाय और थोड़ा सा अपवाद कर दिया जाय तो उनको बुरा तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं लगेगा। उनको और गुप्ता जी को यह समझने का शऊर नहीं है कि किस तरह से महंगाई घटायी जाय। उन्हें यह भी पता नहीं है कि क्या हालत है और क्या सूरत है। २३ तारीख को हुक्म जारी किया गया कि २५० क्विन्टल से अधिक अनाज कोई व्यापारी अपने गोदाम में नहीं रख सकता। जब २४ तारीख आई तो अनाज के दूकानदारों ने कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें बताया कि आपके आदेश के अनुसार हम २४ तारीख को ही यह ज्यादा गल्ला बेच देंगे और उसको छिपायेंगे नहीं। अब होता क्या है कमिश्नर ने कहा कि ऐसा होगा तो बनारस में भुखमरी हो जायगी लिहाजा हम आप को विश्वास दिलाते हैं और वादा करते हैं कि हम आप को परमिशन देंगे और आप गल्ला मंगावें। उन्होंने इस बात को मानकर गल्ला मंगाना शुरू किया। २८ तारीख को डेपुटेशन लेकर वह कलेक्टर से मिले, उन्होंने भी उन्हीं बातों को दोहराया जो कमिश्नर ने कहा था लेकिन फिर पहली तारीख को गल्ले के व्यापारियों ने प्रार्थना-पत्र दिया कि हमें बाहर से गल्ला मंगाने की इजाजत दी जाय और हम २५० क्विन्टल से अधिक रख सकें। उस पर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। उसके बाद ४ तारीख को फिर उन्होंने एलीकेशन दी और उसके बाद ९ तारीख को कलेक्टर ने फिर लिखित दिया कि आप १५ तक रख सकते हैं लेकिन हमें अठवारे हिसाब दें। उन्होंने तब से बराबर हिसाब दिया और १५ तक की इजाजत दी गई थी। १६ तारीख की सुबह को व्यापारियों ने फिर दर्खास्त दी कि सूद बढ़ा दी जाय लेकिन होता क्या है? इधर मंत्रिमंडल ने बिना जाने समझे जिन्हें कोई तमीज नहीं थी यहां से आर्डर दे दिया कि गल्ले को पकड़ो। इस पर इनके खुदगर्ज अफसरों ने, जिन्होंने स्वयं इजाजत दे दी थी १६ तारीख को ३ बजे, व्यापारियों को पकड़ना शुरू किया और बन्द कर दिया और माल जब्त कर लिया। जिनको परमिशन दी गई थी उन को बन्द किया गया और जिन को परमीशन नहीं थी उन के पास लाखों मन गल्ला पड़ा है वह नहीं पकड़ा गया। ज्यादातर वही पकड़े गये हैं जिनको परमिशन दी गई थी। कुछ लोग हमारे यहां ऐसे भी आ गये हैं जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। जो मंत्रिमंडल के लालच में आज उन लोगों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं जो कि हमारी नीतियों के खिलाफ हैं। अगर आज कलेक्टर उस गल्ले को वहीं का वहीं बेच देने को कहे तो कानून नहीं, कायदा नहीं, नाइंसाफी हो सकती है। अगर कलक्टर गल्ला बेच देता, उसी ने इजाजत दी थी कि तुम रख सकते हो तो गेंदा सिंह कहां जाकर मुंह दिखाते और अगर अदालत में वह जायेंगे तो फिर कहां मुंह वह दिखायेंगे वह बड़ी सोशलिज्म की बातें करते हैं, उनका सोशलिज्म हमने खूब देख लिया है। जहां चुनाव में ८ हजार खर्च होना था वहां २०–२५ लाख रुपया खर्च किया गया है। गुप्ता जी ने कितना खर्च किया है, वह सब बतायें तो पता लगेगा कि उनके सोशलिज्म में कहां ईमानदारी है। बकने को बहुत सी बात बकते हैं, बहुत से ऐसे भाई आ गये हैं जो पीठ में छुरा भोंकते हैं। गुप्ता जी, मैं नहीं चाहता कि आप फिर सन् ७२ में जीतकर आयें मैं चाहता हूं कि आपका रुपया डूब जाय और आप रसातल में चले जांय, यहां की जनता यही उम्मीद करती है। मगर मजबूरी है कि आपको कुछ ऐसी बातें बतलानी पड़ती हैं जिनसे जनता का फायदा हो और वह जिन्दा रह सके। आप जरा नोट करें–आपका कर्तव्य था कि जब आप मंत्रिमंडल में आयें तो आपको सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से लड़ना चाहिये था। वह गवर्नमेन्ट कभी भी नहीं टिक सकती जिसके एक कोने में १०० रुपये क्विन्टल का भाव हो और दूसरे कोने में १७० रुपये क्विन्टल का भाव हो। चाहे वह यू० पी० की गवर्नमेन्ट हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे सेंट्रल की हो। यहां पर भी कांग्रेस की सरकार है और सेंटर में भी कांग्रेस की ही सरकार है, इसलिये पहले आपको यह सवाल उठाना चाहिये था कि कंट्रोल टूट जाय। आप देहातों से ही चुन कर आये हैं, क्या आपमें हिम्मत है कि वहां जाकर किसानों से कहें कि तुम्हारे पास इतना गल्ला है और उसे ४० रु० के भाव से बेच दो? मैं समझता हूं कि आप में यह हिम्मत नहीं है। आपने यह बना रखा है कि व्यापारियों को कुछ प्रतिशत चावल ४० रु० के भाव से देना पड़ेगा जबकि उसने उसे ६० रु० के भाव से खरीदा है। अब आप ही सोचें कि २० रु० मन का जो टोटा होगा उसे वह कहां समझेगा। जब वह ६० रु० के भाव से खरीदे हुए चावल को ४० रुपये आपको देगा तो शेष चावल उसका ७५ रु० मन पड़ेगा।

[श्री विश्वनाथ प्रसाद]

इस तरह से आपने अधिकारियों को एक तरह से छूट दे रखी है कि वे नमकहरामी करके अपना पेट पालें। आप बतलावें कि जो ज्वार, चना, गेहूं, या चावल आपने खरीदा था वह कहां गया ? पंजाब से यहां की कोआपरेटिव ने ९० रु० क्विंटल पर गेहूं खरीदा जिसको १६० रु० और १७० रुपये क्विंटल पर बेचा गया है और ब्लैक मारकेट में बेचा गया है। इसका क्या हिसाब किताब विभाग ने रखा है ? इस तरह की बातें ये करते हैं ।

कहा जाता है कि आप सुझाव दीजिये, तो मैं आपको सुझाव देता हूं । क्या आपके डेढ़ छटांक देने से यहां की सारी जनता जिन्दा है ? नहीं, डेढ़ छटांक से कोई आदमी जी नहीं सकता है । तो इस पर आपको सोचना चाहिये कि गल्ले का खुला मार्केट कर दिया जाय, फिर आप देखें कि जनता इससे मरती है या जिन्दा रहती है । अगर आज जनता ३ और ५ छटांक गल्ला बाजार से खरीद सकती है तो वह डेढ़ छटांक भी खरीद सकती है । अगर खुला बाजार कर दिया जायगा तो लोग आपस में लड़ झगड़ करके बाजार भाव ठीक कर ही लेंगे ।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री युवक हैं और उनका वित्त विभाग से सम्बन्ध है । मुझे उम्मीद है कि इस विभाग में वे ऐसा आमूल परिवर्तन करेंगे जिससे प्रदेश की इकानामी सही रूप से एक ढांचे में ढल सके । श्रीमन्, सप्लीमेंन्टरी बजट इस सदन में अवश्य प्रस्तुत होता रहा है लेकिन हमें सोचना चाहिये कि आडिटर जनरल द्वारा समय समय पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई हैं, उन्होंने सदैव यह लिखा है कि माननीय सदन से अनुदान तो ले लिया जाता है, लेकिन मूल बजट जो सदन से पास होता है वह भी खर्च नहीं हो पाता । उन्होंने उदाहरण देते हुये बतलाया है कि सप्लीमेन्टरी डिमांड लेने के पश्चात् वे खर्च नहीं कर पाये ।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से दो तीन बातें कहना चाहता हूं । एक तो वह फैसला लें कि सदन जो ग्रान्ट पास करता है, बजट पास कर देने के पश्चात् फिर क्या कारण है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिये वह तीन तीन और चार चार महीने तक फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में पड़ा रहे और उसके पश्चात् जब सैंक्शन मिले तो बरसात आ जावे, उसके बाद मार्च आ जावे और उसे जल्दी जल्दी खर्च करने की कोशिश की जाय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज जो फाइनेन्स सेक्रेट्री हैं, क्या वे फाइनेन्स के जानने वाले हैं। अधिक से अधिक वे कहीं पर डी० एम० या भारत सरकार के सैक्रेट्री भले ही रहे हों। मैं तो स्पष्ट मत का हूं कि फाइनेन्स को डील करने वाला कोई एक्सपर्ट आदमी होना चाहिये श्री आर० वी० राव० ने एक जगह लिखा है कि इतना रुपया लोन लेने के बावजूद और करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी हमारी प्लान्स फेल हो गयी हैं। फेल इसलिये हो गई हैं कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना चाहिये, सही बात है, बढ़ाना भी चाहिये लेकिन इसके साथ साथ उनकी रैस्पान्सीबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिये। जैसा अभी माननीय दीपांकर जी ने कहा कि हमारी योजनायें अच्छी हैं, घोषणायें अच्छी हैं, और हमारी स्कीम्स अच्छी हैं लेकिन इम्प्लीमेंन्ट क्यों नहीं होती हैं । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि प्रदेश का उत्पादन बढ़े तो आपको अपनी नीतियों में, अपने कार्यों में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि जो कुछ १९६७ में हुआ और जिसको आपने देखा, वह न हो। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपको नये तरीके अपनाने चाहिये और आफीसर्स पर रैस्पांन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिये ।

जहां तक फूड प्रोडक्शन की बात है सन् १९६० में पी० एल० ४८० के पहले इस प्रदेश में गल्ला नहीं आता था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि निजी नलकूपों में मोटर्स लगे हुये हैं लेकिन ६–६महीने, साल साल भर उनमें कनैक्शन नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो कैसे इस प्रदेश में फूड प्रोडक्शन बढ़ सकता है। मेरे विचार में प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फिक्स होनी चाहिये कि तुम्हें एक साल में या ६ माह में इतना काम करना है और यदि वह पूरा नहीं होता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये । हम लोगों को तो ५वें साल बाद चुनाव के लिये जनता के सामने जाना पड़ता है लेकिन जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनके प्रोमोशन हो जाते हैं। आपको निश्चित रूप से रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करनी चाहिये कि यदि इतने समय में काम नहीं होगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी ।

जहां तक अधिभार लगान समाप्त करने की बात है सरकार उसके लिये बधाई की पात्र है परन्तु जहां तक एकोनोमिक होल्डिंग्स की बात है यह सदन बड़ी आशा करता है कि सरकार....

श्री प्रतापसिंह—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अनुपूरक अनुदानों में जिसका जिक्र नहीं है क्या उनका यहां पर जिक्र हो सकता है ? इस पर मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं ?

श्री अधिष्ठाता—

प्रयास इस बात का होना चाहिये कि अनुपूरक अनुदान जिस विषय पर है उसी पर चर्चा होनी चाहिये लेकिन एक आध बात कह ही देते हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अगले बजट में इसको स्वीकार करें जिसकी घोषणा शीघ्र ही होने वाली है । यह कदम आप को उठाना होगा । प्रोफेशन टैक्स में ग्रेडेशन करना होगा और भूमि भवन कर की तरफ भी आप को ध्यान देना पड़ेगा। माननीय गेंदा सिंह जी पुराने मंत्रिमंडल में थे, उन्होंने कहा कि सदन बैठा हुआ है उस समय आर्डिनेन्स नहीं ला सकते जखीराबाजों के खिलाफ जब नेगी साहब ने गत वर्ष गल्ला फ्रीज किया था और जिस के बारे में हाई कोर्ट में अपीलें की गई तो उस के बाद क्या संशोधन नहीं ला सकते थे ? आप अमेंडमेन्ट लाइये । अब ऐसी बातें नहीं चल पायेंगी । सरकार को बहुत सख्त कदम उठना पड़ेगा और प्राइसेज को डाउन करना पड़ेगा। सस्ता अनाज बिकवाना पड़ेगा। सप्लीमेन्टरी बजट तो सदन स्वीकार करेगा लेकिन जो पैसा खर्च नहीं हो पाता है उसके लिये जिम्मेदारी फिक्स कीजिये।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय नेकराम शर्मा किस तरफ से बोल रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से या विरोधी दल की तरफ से ?

श्री अधिष्ठाता—

वह एक सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—

जो रुपया आप ने सप्लीमेन्टरी के जरिये मांगा है यह सदन देगा लेकिन आगामी बजट वर्ष में ५६ लाख व्यक्ति जो बेकार होने जा रहे हैं उनकी तरफ वित्त मंत्री को ध्यान देना पड़ेगा और ऐसा बजट पेश करेंगे जिस से उन को काम मिल सके । यह सदन आशा लगाये हुये हैं कि नया मंत्रिमंडल नये कदम उठायेगा जिससे जनता उसका स्वागत करेगी । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह बजट सदन पास करेगा।

*श्री सुशीलकुमार विद्यार्थी (जिला लखनऊ)—

अधिष्ठाता महोदय, बहुत सी बातें जो मैं आप के द्वारा इस सदन के सामने रखना चाहता था बहुत से माननीय सदस्यों ने कह दी । मैं केवल २, ४ बातों की ओर आप के माध्यम से सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुशील कुमार विद्यार्थी]

का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जहां तक अनुपूरक बजट का प्रश्न है मैं इसका विरोध करता हूं और उसका मुख्य कारण यह है कि मुझे लखनऊ के बाजार में देखने का अवसर मिला कई सरकारी अधिकारी यहां पर दो, तीन दुकानदारों के यहां गये और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे पास इतना रुपया बच रहा है बजट का जिसको मुझे व्यय करना है और उन्होंने अनर्गल ढंग से वहां पर सामान खरीद लिया । मुझ से बातचीत हुई उन्होंने कहा कि यह रुपया तो खर्च करना ही है और अगर खर्चा नहीं करेंगे तो लैप्स हो जायगा। यदि वास्तव में स्थिति इस प्रकार की है तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के सप्लीमेन्टरी बजट को स्वीकार करना उस विश्वास के साथ, जिसको लेकर हम यहां आये हैं, खिलवाड़ सा होगा । मैंने लखनऊ नगर में व्यापक तौर से घूम कर देखा है यहां हजारों आदमी ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर से यहां रहते हैं लेकिन उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं । मैंने अधिकारियों से बातचीत की, मुझे मालूम हुआ कि सरकारी आज्ञा है कि इन लोगों के कार्ड न बनाये जायें । मैंने स्वयं अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन न तो कोई लिखित आज्ञा दिखायी गई और न लोगों के कार्ड बनाये गये । यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अनाज के नाम पर गेहूं, चावल के दर्शन हफ्तों तक नहीं होते । वह लोग आलू, गाजर और करकन्द खाकर अपने परिवार का निर्वाह करते हैं ।

लखनऊ में छापे मारे गये । लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब पांडे गंज में छापे मारे गये तो छापा लगने के पहले कई दुकानदारों को सूचना दे दी गयी । मेरे पास स्वयं शिकायतें आयी और मुझे बताया गया, मैं आवश्यकता पड़ने पर उन दुकानदारों के नाम भी बता सकता हूं । उन्होंने मुझ से कहा कि हमारे पास पहले से सूचना आ गयी थी और उन्होंने अपनी बचत का पूरा पूरा प्रबन्ध कर लिया था । उस रेड के सम्बन्ध में पुलिस ने साढ़े ६ हजार रुपया भी वसूल किया । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की चीजों का होना नितान्त अनुचित है । इस प्रकार की अनुपूरक मांगों को स्वीकार करने का तात्पर्य यह होगा कि हमारे अधिकारी व कर्मचारी जो गलत कार्य करते हैं उनको प्रश्रय मिलेगा ।

छोटे छोटे दफ्तरों व नगर महापालिका के कर्मचारियों में बड़ा असंतोष तथा क्षोभ भरा हुआ है । वहां पर पुराने सीनियर कर्मचारियों को तरक्की न देकर सिफारिशों के बेसिस पर रिश्तेदारों को तथा बाअसर लोगों को तरक्की दी जाती है । इसका फल यह है कि लोगों को काम में रुचि नहीं है, लोग काम की अवहेलना करते हैं । (व्यवधान) मैं गोविन्द सहाय जी को उत्तर दे दूंगा । थोड़ा सा शान्त हो कर वह सुन लें ।

मैंने स्वयं अनुभव किया कि जुडीशियल आफिसर्स तथा एक्जीक्यूटिव आफिसर्स में कितना बड़ा भेद है । एक्जिक्यूटिव आफिसर्स को बहुत से प्रेक्टिकल एडवान्टेजेज होते हैं । जब उनके सम्बन्ध में हम यहां पर सप्लीमेन्टरी डिमांड देखते हैं तो मैं समझता हूं कि इसका कोई औचित्य नहीं है ।

कृषि के सम्बन्ध में भी अनुपूरक अनुदान पेश किया गया है । मैं समझता हूं कि यह सदन और बहुत से लोग भली भांति यह जानते हैं कि किस प्रकार वहां पर धन का दुरुपयोग हो रहा है । सरकारी बीज भंडार को बीज अधिकारी लोग अपने निजी इस्तेमाल में ले आते हैं बजाव इसके कि वह बीज फसल बोने के काम में आये । इसी प्रकार से मेन्योर का भी दुरुपयोग हो रहा है । कोआर्डिनेशन न होने के कारण और अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण ही यह सप्लीमेन्टरी बजट आया है जिसे कि हमको स्वीकार नहीं करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं सदन से अपील करूंगा कि इस अनुपूरक बजट को अस्वीकार किया जाय ।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

*माननीय अधिष्ठाता जी, मैं देख रहा हूं कि विरोधीदल के लोगों के जो भी भाषण इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन में हो रहे हैं वह कोई सुझाव या रचनात्मक रूप में नहीं होते बल्कि वह आक्षेप के रूप में होते हैं। ऐसा लगता है कि वह सदन में न बोल कर के कोई चुनाव में भाषण दे रहे हों और जनता का ध्यान आकर्षित करके वोट लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि वह समय चला गया है। अब हमें और आपको जो प्रदेश का भार जनता ने हमारे ऊपर लादा है उसे वहन करना है और यह तभी सम्भव हो सकता है जब हम और आप रचनात्मक विचारधारा को लेकर इस सदन में कार्य करें। जहां तक व्यक्तिगत आक्षेप का सवाल है, मैं समझता हूं यह कोई हेल्थी ट्रैडिशन इस सदन के लिए नहीं होगी जब किसी व्यक्ति पर आक्षेप किया जाता है। यहां कांग्रेस सरकार बनी है, वह किसी की दया से नहीं बनी है बल्कि जनता ने हमें बहुमत दिया है तब बनी है। आज जो विरोधी दलों का गठबन्धन हुआ है उसको जनता ने भी पसन्द नहीं किया। इसके अलावा स्पीकर के चुनाव के अवसर पर विरोधी दल अपनी ताकत आजमा चुके हैं और मैं समझता हूं कि उसमें जो उन्हें धक्का लगा है इसीलिए उनका सन्तुलन खो गया है जो नहीं खोना चाहिए ....

श्री सुशीलकुमार विद्यार्थी--

माननीय सदस्य बजट के ऊपर बोल रहे हैं या चुनाव के ऊपर ?

श्री अधिष्ठाता--

यह आप भूल गए हैं कि आपकी पार्टी के जो प्रथम सदस्य बोले थे उन्होंने कुछ आक्षेप किए थे। उस समय आपने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया था। वैसे मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जरा अपने को सीमित रखें।

श्री प्रेमदत्त--

मैं यह चाहूंगा कि लोग जरा इस ओर ध्यान दें कि प्रदेश की हालत क्या है और हमें क्या करना है। जहां तक गल्ले की बात कही गयी, यह निश्चित है कि गल्ले की कमी है, लेकिन क्या हम इन भाषणों से ही गल्ले का प्रबन्ध कर सकते हैं। हमारे पूर्व जो मेरे क्षेत्र के विधायक थे वह आप ही के दल के थे। जब मुझे यहां से टिकट मिला और मैं उनके क्षेत्र में गया तो मैंने देखा कि जैसी वितरण व्यवस्था उन्होंने की थी उसमें किसी को भी गल्ला नहीं मिलता था। वहां जो गल्ले की दुकानें हैं वह लोगों को ही नहीं मालूम थीं। जो वह विधायक यह करते थे और कहते थे कि सरकार गल्ला नहीं देती है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से पूछूंगा कि क्या आप वोट के लिए इतना गिर जायेंगे ? मैं एक बात और बता दूं कि मेरे जिले में ६ में से ४ विरोधी दल के सदस्य आए थे। उनकी हैसियत पहले क्या थी और अब क्या हो गयी है और जो कांग्रेस के सदस्य थे उनकी हैसियत पहले क्या थी और अब क्या है, इसकी जांच करवा लीजिए।

एक सदस्य--

ये हैसियत बतला रहे हैं या बजट पर बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

जरा आप लोग शान्त रहें।

एक सदस्य--

शान्त तो हैं लेकिन हैसियत बताने की क्या वजह है ?

श्री प्रेमदत्त--

यही वजह थी कि जनता ने अबकी करारा जवाब दिया और ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को एक, दो वोट से नहीं बल्कि हजारों वोटों से निकाल बाहर किया।

[श्री प्रेमदत्त]

जहां तक गल्ले और शिक्षा की बात है, जाहिर है कि यहां पर खाली बोल कर काम नहीं चल सकता। शिक्षा में सरकार ने क्या किया है, सन् १९४७ के मुकाबले में आप आज देखिए तो मालूम होगा कि कितने प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है।

जहां तक गल्ले का प्रश्न है, बंगाल को देखिए कि लोग भूखों मरते थे। हमारे यहां लोग १०–१२ छटांक की बात करते हैं। क्या यह सही नहीं है कि सरकार हमारे यहां की जनता को भूखों नहीं मरने दे रही है। चाहे उसको जैसे भी इन्तजाम करना पड़ता हो। आपको सरकार का अहसान नहीं मानना चाहिए क्या? सरकार ने कितना बड़ा कदम उठाया है कि भूमिहीन लोगों को गल्ला देने के लिए सरकार ने अपनी सारी मशीनरी को लगा दिया। मैं माननीय गेंदासिंह जी का अहसानमन्द हूं कि उन्होंने जखीरेबाजों के यहां छापे मरवाए। इससे मेरे यहां के लोग बड़े सन्तुष्ट हुए हैं यद्यपि वह लोग सन्तुष्ट नहीं हुए जो हमारे साथियों से सम्बन्ध रखते हैं। यदि समाज के ऐसे विरोधी तत्वों के खिलाफ भी आप सहयोग नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे देश और सरकार के चलाने में बाधा पड़ेगी।

जहां तक अनुपूरक अनुदानों का प्रश्न है उनको मैंने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है। इसमें कौन-सी ऐसी चीज है जिसमें विरोध हो। मैं चाहूंगा कि विरोधी दल के लोग ऐसी बात सामने रखें जो मानने के काबिल हो। अगर ऐसी बात पेश होगी तो निश्चय ही उसको हमारी सरकार मानेगी। हमारी सरकार में उदारता है और वह बराबर आपको मौका देगी। मैं इन शब्दों के साथ चाहूंगा कि जो अनुपूरक अनुदान है उनको आप सोच समझ कर स्वीकार करें। इसमें पार्टीबंदी का प्रश्न नहीं है शासन चलाने की समस्या है जिसे हमें और आपको पूरा करना है।

श्री चन्द्रबली—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक अनुपूरक अनुदानों के पेश करने का सवाल है, यह परम्परा अच्छी नहीं है। यों किसी दूसरे मुल्क की, खास करके इंग्लैंड की दुहाई देने के माने यह हैं कि हम बराबर हिन्दुस्तान की जनतन्त्रीय परम्परा को उनके अप्रेंटिसशिप में ही रखना चाहते हैं और हम कोई नई देन के पक्ष में नहीं हैं। अनुपूरक बजट पेश करके बार-बार वित्त विभाग की अयोग्यता का प्रदर्शन किया जाता है। वास्तव में सभी मदों के लिए साल भर के खर्चे का ठीक से हिसाब करके उसके लिए अनुदान न मांगने की परम्परा को इसलिए नहीं चला पा रहे हैं। कारण यह है कि मार्च में जल्दी-जल्दी अनुदानों के खर्च करने का प्रयत्न किया जाता है। उसी तरह से मार्च में वित्त विभाग जल्दी-जल्दी बजट तैयार करता है फलस्वरूप दोनों में खामी रहती है। इसी का नतीजा सामने बार बार अनुपूरक बजट के रूप में आता है। अनुपूरक बजट कुछ खास लोक कल्याण की बात के लिए हो सकता है जैसे गांव के लोगों को सस्ता गल्ला, सरकारी दुकानों पर गारन्टी के साथ देने के उपाय कार्ड पर किए जायं। इस प्रकार जब रुपए का अवमूल्यन हुआ तो उसकी वजह से दवाओं के दाम बहुत बढ़ गए और अस्पतालों में दवाओं की कमी हो गई। आज आम इन्सान अस्पतालों में दवा नहीं पा रहा है। इसके लिए अनुदान में कोई मांग नहीं है बल्कि उल्टे यह बताते हुए कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी होने तथा सज्जा उपलब्ध न होने के कारण व्यय में ६८ लाख की कमी हुई है सिर्फ ४०० रुपए का अनुदान चिकित्सा में मांगा जा रहा है। इसी तरह कृषि और पशुपालन में ९५ लाख की कमी व्यय में हुई है और बजट में २०० रुपए की मांग की जा रही है। इस तरह से अनुदानों का औचित्य फिट नहीं हो रहा है वह भी सामने है। अगर आग लग जाने से या किसी मुसीबत के कारण मकान बरबाद हो जाते हैं तो उनकी सहायता १०, १५ रुपए के हिसाब से हो रही है। जब पीड़ितों को मालूम होता है कि सरकार की तरफ से १०–१५ रुपए एक मकान के जल जाने पर सहायता मिलने वाली है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। मन में सवाल करता है कि सहायता के मानी

क्या है ? ऐसे मामलों के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक खास बात की तरफ मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पुलिस के लिए ६७ लाख ७६ हजार ९ सौ रुपए की मांग की गई है यह मांग उसके लिए है जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। यह माननीय मुख्य मन्त्री का विभाग है। परसों की घटना है। इसी शहर में मोहर्रम अली का भाई रिक्शा चालक है उन्होंने सालोमन कम्पनी के सामने रिक्शा खड़ा किया। कम्पनी वालों ने उनको गाड़ी से ठोकर दे दिया, बुरी तरह घायल होने के बाद मारा पीटा, बाद में रात भर घर में बन्द कर रखा। सुबह झंडे वाले पार्क में फेंक दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। वह बेहोशी की हालत में अस्पताल में पड़ा है। ऐसी पुलिस के लिए अनुपूरक अनुदान मांगा जा रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री का सालोमन कम्पनी से सम्बन्ध है। इसलिए उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। मैं आपके जरिए से मांग करता हूं कि उनकी रिपोर्ट दर्ज की जाय और सालोमन कम्पनी पर मुकदमा चलाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

*श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री ने हाउस में जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन करना चाहता हूं अपनी विरोधी बेंचेज से। आलोचना करने का हक प्रजातन्त्र प्रणाली में होता है। लेकिन उसके साथ-साथ एक स्वस्थ परम्परा लानी चाहिए। व्यक्तिगत छींटाकशी, व्यक्तिगत द्वेष और ईर्षा अगर हाउस में लायेंगे तो हम इस प्रदेश का भला नहीं करेंगे। दूसरे, हमारे एक विरोधी बंधु ने कहा कि सरकार ने जो अनुदान दिया या दे रही है कुओं के लिए या रहटों के लिए यह सिंचाई के लिए नहीं है वह एलेक्शन में वोट लेने के लिए है। एक माननीय सदस्य जो चुन कर आए हैं जो प्रजातन्त्र प्रणाली को मानते हैं उनको हाउस में ऐसी बात कहते शोभा नहीं देती। मैं पूर्वी प्रदेश से आया हूं। पूर्वी प्रदेश में इस साल भयानक सूखा पड़ा। जहां पक्के कुएं नहीं बन सके थे वहां कच्चे कुओं के किए अनुदान दिया गया। उसका किसान सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं यह हमें आप को देखना है। केवल राज्य सरकार की आलोचना करके या गलत ढंग से प्रचार करके यह चीज बनायी नहीं जा सकती। पूरक अनुदानों की मांग प्रजातन्त्र प्रणाली की एक परम्परा है। हर सरकार को आवश्यकता आने पर रुपया खर्च करना पड़ता है, जब रुपया खर्च हो जाता है तो अनुदान इस हाउस में पेश होता है और मंजूर होता है। विरोधी सदस्यों को नए-नए सुझाव पेश करना चाहिए। लेकिन स्पीच ऐसी होती है जैसे किसी प्लेटफार्म से बोल रहे हों। कोई ठोस सुझाव नहीं दे रहे हैं। किसी मन्त्री पर व्यक्तिगत अटैक या सरकार पर व्यक्तिगत अटैक करना मैं समझता हूं, माननीय सदन और असेम्बली के सदस्यों की मर्यादा के खिलाफ है जिस चीज को रोका जाना चाहिए। एक बार मैं अध्यक्ष महोदय, से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि किसी माननीय सदस्य के भाषण के बीच में यदि कोई सदस्य बोलता है तो उसे रोका जाना चाहिए। मैं इस बात का निवेदन नेता विरोधी दल से भी करूंगा। ऐसा करने से माननीय सदस्यों के बोलने में बाधा पड़ती है। क्योंकि इस सदन के हर माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है उसे अपने विचारों को भलीभांति प्रकट करने का अधिकार है और आपका भी कर्तव्य है कि आप उसे और सारे लोग शान्ति से सुनें। मैं अन्त में आपसे फिर नम्र निवेदन करूंगा कि आईन्दा के लिए इस प्रकार की बात न होनी चाहिए और मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी, 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज पहला मौका है और मैं चाहता बहुत यह था कि बहुत कुछ सुनता रहूं और बात कुछ न कहूं। लेकिन तमाम बातें जो हमारे सरकारी पक्ष से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी, 'राकेश']

कही गयीं और जिसमें तरह-तरह की थोथी और बेबुनियाद दलीलें दी गयीं, तो उनसे मजबूर होकर मुझे भी कुछ बोलने के लिए खड़ा होना पड़ा। सरकार की तरफ से बार-बार कहा जाता है कि प्रदेश में भूख से मौतें नहीं हुई या गल्ला जो पकड़ा जाता है वह बेकार नहीं चला जाता है या यों कहिए कि समाजवाद की धारा को लेकर प्रदेश का सारा कार्यक्रम बन रहा है और सारे का सारा कार्यक्रम जनता की भलाई के लिए बन रहा है। इसके लिए सरकारी पक्ष के लोग स्वयं अपने दिल से पूछें कि असलियत क्या है और क्या बखान किया जाता है। मैं जिला मिर्जापुर, और मिर्जापुर शहर जिससे मेरा खास सम्बन्ध है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अनुपूरक बजट जो पेश है उसको लेकर जो मैं मिर्जापुर की तस्वीर देखता हूं और विभिन्न मदों के लिए जो पैसा सरकार मांगना चाहती है, उसको देखकर मुझे कहना पड़ता है कि यह उसी प्रकार से है जैसे कोई ऐय्याश बेटा हो और उसकी मां दवा के अभाव में, भूख से त्रस्त होकर तड़प-तड़प कर मर रही हो और उसका ऐय्याश बेटा उससे ऐय्याशी करने के लिए, शराब पीने के लिए, अपनी रंगरेलियां मनाने के लिए, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए पैसा मांगता चले उसे मौत के मुंह में पड़े रह कर उसे और जल्दी मौत के मुंह में ढकेलता चले तथा दूसरी तरफ मां रोती चले, गिड़गिड़ाती चले और अपना दम तोड़ती चले। हमसे समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव मांगा जाता है, मैं सुझाव देना चाहता हूं, मैं सदा इसके लिए प्रस्तुत हूं और मैं ऐसे सुझाव दे सकता हूं कि तीन घंटे में उत्तर प्रदेश की स्थिति बदल सकती है। इस प्रदेश की कांग्रेसी सरकार और उसके भ्रष्ट अधिकारी तथा इस प्रदेश के चन्द मुट्ठी भर लोग जो साधन सम्पन्न हैं मिलकर एक त्रिकोण बनाकर एक कार्यक्रम चला रहे हैं और वह त्रिकोण ऐसा त्रिकोण है जिस के बीच में जनता बुरी तरह से पिस रही है और त्राहि-त्राहि कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल हमारे जिले मिर्जापुर में ही कम से कम डेढ़ सौ व्यक्तियों की भूख से मौतें हुई हैं। टेस्ट वर्क में क्या-क्या होताहै, कलेक्टर क्या करते हैं, इस काम में कितना कितना और किस तरह का भ्रष्टाचार होता है, इसके बारे में मैं कुछ इस समय नहीं कहना चाहता हूं। आप पैसा चाहते हैं ठीक भी है जनता उसे देना भी चाहेगी, लेकिन उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि आपको किस काम के लिए चाहिए और कहां-कहां चाहिए। इस प्रदेश और इस देश का यह दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के जन्म-तिथि पर उन्हें लाखों रुपए की थैली भेंट होती है, ४३ लाख रुपए की थैली भेंट हुई। तो क्या इस प्रदेश की ८ करोड़ जनता के लिए ८ करोड़ रुपए उसकी भलाई के लिए नहीं जमा हो सकता है? क्या इस प्रदेश के बच्चों की पहली जन्मतिथि पर टूटी थाली भी नहीं बज सकती है। आप कहते हैं भूख से मौतें नहीं हुयीं, जखीरेबाजी कहीं नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया का कोई अखबार नहीं है जहां इस देश की भुखमरी का चित्र न आ जाता हो। आप सोचिए आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? और इसके लिए उत्तरदायी कौन है।

अभी हमारे नेकराम जी शर्मा जी कह रहे थे, उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उन्हें मनसा वाचा कर्मणा से ही किसी चीज को कहना चाहिए। मिर्जापुर जनपद की बात कहता हूं। पुलिस प्रशासन के लिए, सामान्य प्रशासन के लिए चाहे जितना पैसा बढ़ा दो जितना चाहो लो, हम गरीब बाप के बेटे तुम्हें इसलिए नहीं देते हैं कि गलत तरीके से उड़ाओ। उन पैसों को दूसरे तरीकों से मत खर्च करो। मैं साफ कहता हूं कि क्या मन्त्रिवर्ग में कोई ऐसे आदमी हैं जो पूरी-पूरी ईमानदारी का परिचय दे सकें। आप कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा? और, सरकार का खर्च कैसे चलेगा? मैं कहता हूं कि हम आप अपनी तनख्वाहें लेना बन्द कर दें, मिनिस्टर्स अपनी तनख्वाहें लेना बन्द कर दें, भत्ते लेना बन्द कर दें, आपको कोई अधिकार नहीं है उस वक्त तक लेने का जब तक यह प्रदेश गरीब है, इस प्रदेश की गरीबी अपने आप दूर हो जावेगी। क्या अधिकार आपको है कि जब आपका प्रदेश गरीब है तब तक आप तनख्वाहें उड़ाओ, भत्ते उड़ाओ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बहुत तेज बोल रहे हैं, जरा धीरे-धीरे बोलिए, आपकी स्पीच रिकर्ड नहीं हो पा रही है। धीरे-धीरे बोलिए जिससे आपकी स्पीच रिकर्ड हो सके।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

अभी तक तो मैं बहुत धीरे-धीरे बोल रहा हूं। मैं मिर्जापुर जनपद की एक नजीर आपके सामने पेश करता हूं। हमारे यहां बिड़ला अल्यूमिनियम फैक्टरी है। आज जो समाजवादी सरकार, जनतन्त्रीय सरकार का नारा उठाते हैं उनके लिए एक नजीर रखता हूं। वहां बिड़ला अल्यूमिनियम फैक्टरी में एक समझौता होता है और वहां रिहन्द डैम की बिजली १.९९ पैसे पर यूनिट दी गई है। क्या आप बता सकते है कि इससे कम भाव पर बिजली कहीं भी दी जाती है ? आप तो कहोगे कि हम जनतन्त्र की, समाजवाद की व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। लेकिन क्या यही जनतन्त्र है, यही समाजवादी व्यवस्था है ? आप पुलिस के लिए पैसा मांग रहे हो और उसी पी० ए० सी० के द्वारा आज भी उस फैक्टरी की रक्षा करवाते हो ? क्या यही जनतन्त्र है, यही समाजवाद है ? हमारे जैसे लोगों पर ६–६ बार डी० आई० आर० का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ इसी तरह की बात कहने पर, क्या यही समाजवाद है ? तरह-तरह के आदेशों और अध्यादेशों को उन जैसे लोगों की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है ? क्या यही समाजवाद है ? आज आप तरह-तरह की दलीलें देकर अपनी हस्तियों का बयान मत करो, अपने खानदान का बखान मत करो। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, माननीय श्रम मन्त्री महोदय अगर सही तरीके से व्यवस्था लाना चाहते हैं तो पहले गरीबी को दूर करने की व्यवस्था करें। लोगों को यह मालूम हो कि यह सरकार जनतन्त्र के नाम पर बड़े-बड़े लोगों को सहायता देने की आदत समाप्त कर चुकी है, यह नहीं कि बड़े-बड़े लोग सहायता देते हैं प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्री बनाने के लिए, बड़े-बड़े लोग अखबारों में तमाम सूचनायें छपवा सकते हैं, तमाम गुप्त मंत्रणायें हो सकती हैं तो फिर क्या आप से भूखे मरने वालों के लिए गल्ले और पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती ? मिनिमम वेजेज की बात को लेकर आप चलते तो आज यह अवस्था नहीं होती। कहां-कहां सूखा पड़ा हुआ है इसको सब लोग जानते हैं। लेकिन सामने न कह कर यह कह देते हैं कि हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। माननीय खाद्य मन्त्री जी, माननीय कृषि मन्त्री जी, जो आज कहा जा रहा है कि हम बड़ी योजनायें कर रहे हैं, नलकूप लगवा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि नलकूपों को बिजली किस हिसाब से दी जा रही है।

हमारे मिर्जापुर जनपद में श्यामधर जी मिश्र, जो बहुत बड़े मन्त्री रहे हैं और जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, ने कहा था कि वहां एक बहुत बड़ा पुल बन रहा है। पता नहीं, हवा में बन रहा है या कागज पर बन रहा है। उस समय तो कोई ऐसा घर नहीं था जहां नोट न पहुंचाए गए हों, कोई गरीब का घर नहीं था जहां गल्ला न पहुंचाया गया हो लेकिन आज क्या हालत है जाकर देखिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर ये मौतें क्यों होती हैं ? टेस्ट वर्क पर पचास-पचास मील से चल कर जो आदमी आता है, उसकी भूख को शान्त करने के लिए भर पेट भोजन भी न मिले तो फिर मैं क्या आप से भ्रष्टाचार की परिभाषा बताऊं, क्या जनतन्त्र की परिभाषा बताऊं, क्या समाजवाद की परिभाषा बताऊं ? केवल यह कहना चाहूंगा, कहां-कहां की कहूं, सब जगह जमनोत्री, सब जगह गंगोत्री, किसे देखें, किसे न देखें, बाहर से देखें कुछ, भीतर से देखें कुछ। हमारे भाई नेकराम शर्मा बड़े-बड़े सवाल उठाया करते हैं लेकिन जब वक्त आएगा समझ में उनकी नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही हालत हमारे मन्त्रियों की है। अगर कुछ करना चाहते हो तो छोड़ो भत्तों को, तनख्वाहें मत लो। अगर ६५ लाख जन्मतिथि पर मिल जाते हैं आपको तो फिर बिड़ला, टाटा, सिंहानिया और रामरतन गुप्त जिनपर लाखों रुपए टैक्स के बकाया है वसूल कर लो बाकी जो उनपर पड़े हैं उनसे ले लो और लेकर पूरा कर दो बजट को ? क्या जरूरत है गरीबों को सताते हो, फिर टैक्स बढ़ाओगे, फिर लोगों को और गरीब बनाओगे और इन पूंजीपतियों से जन्मतिथियों पर रुपए लेते फिरोगे। अगर करना है तो उनसे पैसे लेकर समाज का, जनता का, प्रदेश का भला करो। इसी में तुम्हारा, इस देश और इस प्रदेश का कल्याण है।

श्री रामप्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, अनुपूरक बजट पर विवाद लगभग समाप्त हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन से केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि यह बजट एक ऐसी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिस सरकार को वास्तविक अपना धरातल ही प्राप्त नहीं है, जहां तक धरातल और विश्वास का प्रश्न है इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य जनता से चुनकर आए हैं और जनता के विश्वास की रक्षा करने के लिए आए हैं। चीनी दार्शनिक कन्फ्युशियस ने एक बात बतलाई थी कि कोई भी सरकार यदि शासन चलाना चाहती है, कोई सरकार यदि जिन्दा रहना चाहती है तो उसके पास तीन चीजों का होना जरूरी है। उसने कहा था कि सरकार के पास पहले तो खाद्य सामग्री होनी चाहिए। दूसरी बात उसने यह बताई थी कि उस सरकार के पास लड़ाई की सामग्री होनी चाहिए। तीसरी बात उसने बताई थी जो सब से महत्वपूर्ण है कि उस सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। फिर उसके बाद उसने कहा था कि यदि इन तीनों चीजों में उसको कोई छोड़ना पड़े और ऐसी नौबत आ जाय तो उसने कहा था कि लड़ाई का सामान छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उसने बताया था कि अगर इन दोनों चीजों में से भी उसको कोई छोड़ना पड़े और ऐसी स्थिति आ जाय तो उसने कहा था कि खाद्य सामग्री को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह समझता था कि मरना तो अवश्य है। आज नहीं तो कल प्रत्येक मनुष्य को मरना है इसलिए उसने खाद्य सामग्री छोड़ने की बात कही थी लेकिन उसने कहा था कि अगर किसी भी सरकार ने जनता के विश्वास को खो दिया तो वह सरकार सदन के अन्दर एक मिनट के लिए भी बैठने की हकदार नहीं है। यह आम चुनाव जो अभी हुए हैं वे इस बात के प्रमाण हैं कि ४२३ के इस सदन में २२५ विरोधी दल के रूप में कांग्रेस के विरोध में जनता ने इस सदन के अन्दर भेजे हैं। जनता चाहती है कि विरोधी पक्ष की सरकार बने। इसके बाद हथकन्डों के द्वारा, तिकड़मबाजी के द्वारा और खरीदारी के द्वारा जो सरकार यहां बैठी है उसको जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है। अभी हमारे एक मित्र ने जो बात यहां पर कही, नेकराम जी शर्मा ने जो बात अभी यहां पर इस बजट के विरोध में कही और सरकार की गलती बतलाई यदि वह यह समझते थे तो इस सरकार को वे बरदाश्त नहीं करते। मैं आपके माध्यम से केवल एक बात शर्मा जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस तरह की बात कहने वाले को उधर बैठना शोभा नहीं देता। केवल इतनी बात कहकर आपके माध्यम से इस सदन से अनुरोध करता हूं कि चूंकि इस सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है और उसके द्वारा ही यह बजट प्रस्तुत किया गया है इसलिए यह सदन इस बजट को अस्वीकृत कर दे।

*श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, आज मुझे प्रथम बार यह अवसर मिला है कि आज इस सदन में जब अनुपूरक बजट के अनुदानों पर विवाद हो रहा है और सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में विचार हो रहा है मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखूं। जब मैं इस सदन का सदस्य नहीं था तो इस सदन में जो विरोधीदल का रोल होता है और शासक दल की तरफ से जो कहा जाता था उसको सुनता था। पिछले ५ साल का जो इतिहास रहा है चाहे वह उत्तर प्रदेश की विधान सभा का हो और चाहे लोक सभा का हो उनमें जिस प्रकार से विरोधीदल ने अपने पक्ष के समर्थन में जिन हथकंडों का आचरण किया है और जिन नीतियों को सदन के अन्दर अपनाया है वह प्रजातन्त्र के लिए बहुत ही बड़ी घातक रही हैं। इस प्रकार के आचरण से ऐसी परम्परा स्थापित होती हैं जिन से आगे आनेवाली पीढ़ियों के लिए ऐसी बुनियाद बनती है जिनसे प्रजातन्त्र खत्म होता है। आज जब हम इस अनुपूरक अनुदान पर विचार कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं तो उसमें कोई ठोस सुझाव विरोधीदल की ओर से आना चाहिए। कोई ठोस कार्यक्रम और कोई ठोस सुझाव यदि नहीं आता है तो फिर इससे कोई समस्या हल नहीं हो सकती है। केवल अपनी नीतियों को ही यहां पर प्रकट करना है। जहां तक प्रदेशीय सरकार के लिए जनता का विश्वास प्राप्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने का प्रश्न है मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त हुआ है और विरोधीदल के माननीय सदस्य अपने सीने पर हाथ रखकर सोचें कि जब आप जनता के बीच में गए थे तो जनसंघ ने भी समाजवादी नीतियों का राग अलाप करके जनता से वोट मांगा था। जिस समय आप ने समाजवादी दल के प्लेटफार्म से वोट मांगा है उस समय आप ने समाजवादी नीति के आधार पर वोट की मांग की है। लेकिन यहां पर आकर आप लोगों ने उन भावनाओं को ठुकरा कर एक अलग दल बनाया। हमारे भाई नेकराम जी तो यहां आकर सही रास्ते पर आ गये, लेकिन आप लोगों ने जनता की भावनाओं के साथ विश्वास घात किया है। आप अपने प्लेटफार्म पर जनसंघ को सांम्प्रदायिक बतलाते हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिये आप का वह उद्देश्य कहां चला जाता है ? आप के सामने केवल कांग्रेस सरकार को समाप्त कर ने का ध्येय ही रह जाता है। अगर जनता में भी आप ने यही आवाज बुलन्द की हो ती तो जनता आप को कभी भी वोट न देती। आज के चुनाव के बाद हमें स्पष्ट दिखायी देता है कि देश में जनता ने कांग्रेस में ही सबसे अधिक विश्वास किया है।

जिन महानुभावों ने अपने विचार यहां रखे हैं, मैं उन से उम्र में छोटा हूं। जनता की भावनायें उन के साथ हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पिछले पांच सालों के इतिहास की पुनरावृत्ति वे फिर न करें और यहां एक ऐसी परम्परा कायम करें कि जिसमें हर व्यक्ति को अपने विचारों को प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो और ऐसे ही वातावरण में हम सरकार की नीतियों की आलोचना करें।

सूखे का सवाल उठाया गया। मैं मेजा क्षेत्र से आता हूं जहां से पिछली बार संयुक्त समाजवादी दल के विधायक बाबू सालिगराम जी थे। वहां की जनता ने बाबू सालिगराम जी को साढ़े ग्यारह हजार वोटों से हराया है। सरकार ने इस सूखे का मुकाबला करने के लिये जनता में वास्तविक काम किया है और उसका विश्वास प्राप्त करने की चेष्टा की है। लेकिन दूसरी तरफ दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस वक्त हम परेशान थे, तकलीफ में थे और पानी और गल्ला जनता तक वहां पहुंचाना चाहते थे, उस समय आपने जनता को परेशान किया ताकि वह सहायता उन तक न पहुंच सके। आप को चाहिये था कि उस समय आप हमारे साथ सहयोग करते, लेकिन आपने बजाय सहयोग करने के सहायता पहुंचाने के रास्ते में रुकावटें डालीं ताकि आप उनके वोट प्राप्त कर सकें। अगर यही भावना रही तो हमारा देश अगले सौ सालों तक भी सुखी नहीं हो सकता। देश को सुखी बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर तो है ही, लेकिन आप भी इससे अलग नहीं रह सके। आप को भी इस काम में सहयोग देना चाहिये। जब हमारे ऊपर चीन और पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था तो शास्त्री जी ने विरोधी दल के नेताओं को बुला कर उन से सलाह मशविरा किया था और एक अच्छा वातावरण बना था, लेकिन यह सूखा प्रायः सारे देश में ही था और उन दिनों ही आपने हड़ताल और तोड़ फोड़ की कार्यवाहियां चालू कीं। मैं आशा करता था कि जनता को जिन्दा रखने के लिए आप हमको, सरकार को सहायता देंगे। मैं बढ़ा लिखा हूं, इलाहाबाद का एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां एक भिखारी मर गया था उसका जुलूस उठाया गया। उसे ठेले पर लाद कर समाजवादी दल के लोगों ने एक जुलूस निकाला कि यह तीन दिन से भूखा मर रहा था, सरकार ने इसकी देखभाल नहीं की और यह भूख से मर गया। उनका यह फर्ज उस समय नहीं हुआ कि जब वह तीन चार दिन से भूखा मर रहा था तो उसको पानी पिलाते, दूध पिलाते अथवा वहां से डेढ़ फर्लांग पर ही अस्पताल था, वहां ले जाकर भर्ती कर देते ताकि वह भूख से मरने न पाता। बार एसोशियेसन में मैं वकालत करता हूं। वहां प्रस्ताव आया। उन्होंने पास करवाना चाहा था कि सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने कहा कि उन व्यक्तियों की जिम्मेदारी है जिनकी नजर पड़ी और बताया नहीं कि ऐसी कंडीशन है। उनके ऊपर मर्डर का केस चलाया जाय। अधिष्ठाता महोदय, आज प्रदेश जिन आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा है केवल सरकार की आलोचना करके, प्रशासन की खामियां कह करके उनको नहीं सुलझा सकते। हमको और आपको एक साथ बैठ कर सोचना पड़ेगा।

[श्री धर्मवीर]

सरकारी कर्मचारियों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि क्या हम उनकी भावनाओं नहीं समझते ? क्या हम पसन्द करते हैं कि हमारी बसें जलायी जायं और को देश का नुक्सान हो ? हमारे नवनिर्वाचित मुख्य मंत्री ने आते ही वित्त मंत्री की सलाह से सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर पूर्णरूप से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही पूरी होंगी।

अन्त में जैसा कि विरोधी दल की ओर से कहा गया, मैंने उनकी बातों को गौर से सुना कि सरकार चलती है तो उसके कई अंग होते हैं और हर एक अंग की महत्ता होती है, यह सही है। इसी तरह से वित्त मंत्री ने जिस प्रकार की मांगों को रखा है उन पर अधिक बहस न करके उनको अक्षरशः स्वीकार करके सरकार को सहयोग देना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

वित्त मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---

मैं अनुगृहीत हूं अपने इस सदन के मित्रों का जिन्होंने हमें कई बातों में अनेक सलाहें दीं।

(इस समय २ बज कर ४६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी पौने तीन बजे है और ५ बजे तक समाप्त करना है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय उग्रसेन जी, आप शायद नहीं थे, सदन तय कर चुका है कि ३ बजे तक सामान्य विवाद होगा।

श्री प्रतापनारायण तिवारी---

व्यवस्था का प्रश्न है, मुझे तो मौका मिलना चाहिये बोलने के लिये, मैंने प्रस्ताव रखा था।

श्री अध्यक्ष---

आपका कटौती का प्रस्ताव नहीं आता।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

मैं अनुग्रहीत हूं इस बात के लिये कि बहुत सी नयी चीजों की ओर माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन दो-चार बुनियादी बातें मैं इस सदन से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं। अनुपूरक अनुदान के संबंध में कई आशंकाएं व्यक्त की गयीं। एक आशंका प्रतापसिंह जी ने व्यक्त की कि यह अच्छी परम्परा नहीं है। लेकिन आज के जमाने में जबकि कोरिया में अगर लड़ाई है तो दाम अमरीका में और भारत में बढ़ जावें, किसी सरकार के लिये संभव नहीं है कि दावा करे कि एक साल पहले बनाये हुए बजट को दुनियां में होने वाले परिवर्तनों से महफूज रख सके। हमारे कामों पर जो खर्च होता है उसका ताल्लुक दुनियां की घटनाओं से होता है और बढ़ती हुई देश की अर्थ व्यवस्था में खर्चे को बार बार बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि भाव बदल जाते हैं और उन भावों को सामने रखते हुए अपने खर्चे मूल्यांकन करना पड़ता है और इस माननीय सदन की ओर आज्ञा लेने के लिये दौड़ना पड़ता है जिसमें प्रदेश की जनता की सर्वोच्च निहित सत्ता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बजट एस्टीमेट बनाते हैं तो उसमें एक मद रखते हैं फिर जैसे जैसे काम वहां लगता है कि ज्यादा खर्च करना पड़ेगा उसके एक आइटम में और दूसरे में कम करना होगा तो इधर का उधर बदलने के लिये भी हमें अधिकार नहीं है और अगर नहरों से रुपया बच गया तो ट्यूबवेल में उसको हम डाइवर्ट नहीं कर सकते। वित्तीय नियमों के अनुसार बचत के रुपये को दूसरे काम में लेने के लिये भी इस माननीय सदन के पास आना पड़ता है। उसी प्रकार केन्द्रीय सरकार के बहुत से काम होते हैं, सहायताएं

हैं। मैं प्रताप सिंह जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उनका खयाल था कि हमारी सरहदों पर जो खर्चा होता है उसकी चर्चा नहीं हुई। लेकिन इसमें चर्चा है और बड़ी अच्छी चर्चा है। इस माने में कि हमारी सीमाओं पर बोर्डर रोड आर्गेनाइजेशन है, सड़क बनाने के के लिये एक व्यवस्था है केन्द्रीय सरकार और हमारे बीच में ताल मेल है, खर्चा केन्द्रीय सरकार करती है और हमारे नाम खाते में रकम दिखाई जाती है।

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी नये आये है, वहां एक भी सड़क पूरी नहीं हुई।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सड़क पूरी हो गयी। मैं यह कहता हूं कि जिस दिन बोर्डर रोड आर्गेनाइजेशन की चर्चा बजट में नहीं आयेगी तभी सड़कें पूरी हो गयीं समझ लीजियेगा। चर्चा आने का मतलब यह है कि एक कांटीनुअस प्रोसेस में काम हो रहा है और उसमें २२३ लाख रुपये की एक मद है जो हमारे नाम पर चलायी जाती है और जाब्ते के लिये उसको भी इसमें दिखाया गया है। उससे इस प्रदेश की जनता के ऊपर बोझ हमें नहीं डालना है, लेकिन यह दिखाना है कि यह हमारे नाम पर खाते में शामिल कर दी गयी है और उस प्रकार का रुपया मौजूद है।

इस सप्लीमेंटरी बजट में दो तरह के खर्चे सामने आये है। एक तो वह है जो प्लान के खर्चे है और एक ऐसे खर्चे है जिनको नान प्लान आइटम कहा जाता है। उसी के मातहत खर्चों में बोर्डर एरियाज के लिये खर्चा है, क्योंकि योजना के अन्दर उसको शामिल नहीं किया गया है। कई कारणों से मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत तरीके से उस काम को चलाना पड़ता है। उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहता हूं कि हमने नान प्लान्ड आइटम्स में किस किस चीज में खर्चा किया। हमारे नौजवान साथी राकेश जी में बड़ी अच्छी भावनाएं है, लेकिन वह कवि हैं, भावनाओं में बहुत दूर तक जाना ठीक नहीं होता है। इस सदन में बैठकर भावनाओं से हमें ऊपर रहना होगा, उसमें बहना नहीं होगा। हम कोई रंगरेलियों के लिये इसमें पैसा नहीं मांग रहे है। हम राम कृष्ण मिशन को पैसा देना चाहते है। यहां एक ऐसा अस्पताल बन रहा है जो भारत में तो क्या, एशिया में ऐसा दूसरा अस्पताल नहीं होगा। उस पर ४० लाख से ऊपर रुपया खर्च हुआ है। वह एक ऐसा अस्पताल होगा जिसमें यदि गरीब भी बीमार पहुंचेगा तो उसको भी एक खास किस्म का ट्रीटमेंट मिलेगा, सारे एक्सपर्ट्स बैठ कर उसकी जांच करेंगे और अच्छी तरह से उसका इलाज फ्री होगा। राम कृष्ण जैसी संस्था, जिसमें कोई राजनीति नहीं है, केवल सेवा की भावना ही है। हम तीसरी योजना में उनकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने १० लाख रु० और हमसे मांगा, मैं उनसे यह नहीं कह सकता था कि तुम अपना काम धीरे करो या रोक दो। यह सेवा का काम हो रहा था, उनकी सहायता करना हमारा कर्त्तव्य था। बीमारों की कराहती हुई आवाज को हम टाल नहीं सकते थे।

(व्यवधान)

पुलिस के सिलसिले में बहुत सी बातें कही गयीं। मैं भाई चन्द्रबली सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं कि बाहर जब वे जुलूस निकालते है तो कहते हैं पुलिस वाले हमारे भाई है, सदन में कहते हैं कि पुलिस निकम्मी है। ऐसी दोहरी बातें करना हमें नहीं आता। जो पुलिस डाकू मानसिंह के सामने अपने जीवन को खतरे में डालती है, अपना सब कुछ बलिदान करती है, उस पुलिस की सुरक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। अगर उनके सहायतार्थ कुछ पैसा हम रखते है बजट में, तो वह कोई कांग्रेस पार्टी की सेवा के लिये नहीं है, वह रखना हमारा कर्त्तव्य है। हम उसको अपनी वजह से नहीं, बल्कि अपने कर्त्तव्य को समझ कर रखते हैं।

मान्यवर, ३१ करोड़ कुछ का यह बजट है, लेकिन बाकिया यह है कि करीब इसमें ६ करोड़ कुछ की ही हमारी मांग है जो कि हमारे ऊपर आयद होती है। बाकी सेविंग्स से या केन्द्रीय सरकार से मिलेगी। जो लायबिलिटी पैदा होगी वह करीब ६.५ करोड़ की ही है।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

मान्यवर, हमने इसमें उत्पादन संबंधी बातों के लिय ही रुपये की मांग की है। मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज आदि के विद्यार्थियों के स्कालरशिप आदि के लिये रुपये की इसमें मांग की गयी है। कौन सा इस माननीय सदन का सदस्य होगा जो इसको सपोर्ट नहीं करेगा? कौन कहेगा कि इसके लिये जो व्यवस्था की जा रही है वह निकम्मी है, उसे नहीं होना चाहिये? श्रीमन्, बदकिस्मती यह है कि इस बजट के सिलसिले में सभी को समझने बूझने का बहुत कम समय मिला। हमें खुद झट-पट बड़ी मुश्किल से इसे समझने का अवसर मिला, माननीय सदस्यों को भी इसे समझने का पूरा अवसर नहीं मिला। इसलिये किसी माननीय सदस्य ने जो कुछ कम जानकारी में कहा है मुझे उस पर कोई गुस्सा नहीं है। मैं उस बात की भी कदर करता हूं।

एक बात कही गई कि खर्चा ठीक तरह से होना चाहिये, रिस्पांसिबलिटी फिक्स होनी चाहिये, सप्लीमेंटरी बजट अकारण नहीं आना चाहिये। मैं इतना आपसे कहता हूं कि अकारण हम सप्लीमेंटरी बजट नहीं लाते हैं। अगर कारण रहेगा जिनका कि मैंने जिक्र किया, कोर्ट की डिग्री हो जाय तो हम क्या करें? माननीय अध्यक्ष या चेयरमैन या सदस्यों के खर्चे में ज्यादा खर्च हो जाय, तो मैं अदब से कहता हूं कि मुझे इस सदन से आज्ञा मांगनी पड़ेगी। हमारे दोस्त मंत्री लोगों से कह रहे थे कि तनख्वाह छोड़ दो। यदि सारा का सारा सदन कह दे कि हम साधु समाज होने जा रहे हैं तो बहुत पैसा बच जायगा। लेकिन एक बात याद रखने की है। बचत उचित है, सही मालूम होती है। हम यहां से पैसा न लें कहीं और से लें तो वह अच्छा नहीं है। दो वक्त तो भोजन करना ही है, दो कपड़े सब को पहिनने ही है तो कहने का मतलब यह है कि हम उन परम्पराओं को स्थापित करें जिन परम्पराओं से जनहित सुरक्षित हो सके।

मान्यवर, प्रदेश के समक्ष इस समय बड़ा संकट है और मैं जानता हूं कि इस कठिन मौके पर मेरे जैसे कमजोर कंधों पर मुख्य मंत्री जी ने बड़ा गुरुतर बोझ दिया है। परन्तु मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं फिजूल खर्ची के खिलाफ हूं, मैं अफसरों के फैल फैलाव के खिलाफ हूं। यह मंत्रालय कभी फिजूल खर्ची की बात नहीं कर सकता। जब जनता कष्ट में हो, तो चाहे अपना खर्चा हो, सरकार का खर्चा हो, या गृहस्थी का ही खर्चा हो हमें उसकी भी कड़ी नजर से देखना है। किस तरह से कहां क्या खर्चा होता है यह सब देखना चाहिये क्योंकि उन सब का बोझ पड़ता है हमारे समाज पर। इसी से इन्फलेश्नेरी टैन्डेंसी बढ़ती है। आने वाले बजट में जब पूरा बजट आयेगा तो सरकार की नीतियां और उन पर आधारित हमारी योजनायें हमारे सामने आयेंगी। आज सारे देश में आम चुनाव के बाद नई दिशाओं में चलने की बात चल रही है। तरह तरह की सरकारें बनी हैं। इस पर भी कहा गया कि गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो प्राइसेज घटी और कांग्रेस सरकार बनी तो प्राइसेज बढ़ गये हैं। मैं उन चर्चाओं में नहीं जाना चाहता। जैसे एक कहावत है कि एक ने नाई से पूछा कि भाई कितने बाल हैं मेरे सिर पर, उसने कहा कि अभी सामने आये जाते हैं। सो उसी तरह की बात है। मैं आपके सामने प्राफिट आफ डूम (profet of doom) होकर नहीं बोल रहा हूं। हमारे सामने कठिनाई यही रही है कि उत्पादन की वृद्धि जितनी होनी चाहिये थी, उतनी नहीं हुई। किन कारणों से नहीं हुई? हमारी पैदावार उस स्तर पर नहीं पहुंची जितनी होनी चाहिये। उस उत्पादन को बढ़ाने के लिये हम उतना काम नहीं करते जितना कि हम आपको और आप हमको उसके लिये दोष दिया करते हैं और देते रहते हैं। यह तो वही बुढ़ियाओं वाली बात हो जायेगी कि दोनों एक दूसरे को दोष देती रहीं और रोती रहीं। इससे होने वाला कुछ नहीं है। मुझे अब भरोसा होता जाता है जैसे जैसे विरोधीदल एक होते जाते हैं उनका एक रूप निखरता जाता है। इतने थोड़े से वक्त के भीतर तरह-तरह के लोग जिनके बुनियादी मौलिक अन्तर भी हैं वे इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे उसका अफसोस नहीं है। ऐसा होने में ही जनता का कल्याण है। इससे अधिक खुशी की बात नहीं रहती है कि एक दल इधर रहे और दूसरा दल उधर रहे। हमारे विरोधीदल के

जैसा जो माननीय रामचन्द्र विकल जी बने हैं उन्हें सब का सहयोग मिल रहा होगा और उनका सहयोग हमें भी मिल सकेगा ताकि प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ाने और उनकी कठिनाइयों पर हावी होने में हम कामयाबी हासिल कर सकें। सभी मिल जुल कर काम करेंगे तो काम होगा। इधर के बैठने वाले इस बड़े काम को अकेले नहीं कर सकते और न ही उधर के बैठने वाले ही कर सकते हैं। सब मिलजुल कर हम इस प्रदेश की सेवा करके जनता के कष्टों को उद्धार कर सकेंगे। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि जो अनुपूरक अनुदान हमने उपस्थित किया है उसे सदन स्वीकार करे और अपनी जिम्मेदारी से बरी हो।

१९६६–६७ के तृतीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—

अनुदान संख्या १—बृहत् जोतकर

श्री अध्यक्ष—

अब मैं संबंधित मंत्रियों को आवाहन करूंगा कि अपने अनुदानों को प्रस्तुत करें और साथ ही में कटौती प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्यों को भी आवाहन करूंगा कि फिर मैं उन पर वोट लूंगा।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—बृहत् जोत करके अन्तर्गत २०,९०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रूपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—बृहत् जोतकर के अन्तर्गत २०,९०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २—भू–राजस्व

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २—भू–राजस्व के अन्तर्गत १२,१६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व के अन्तर्गत १२,१६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६—स्टाम्प

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प—के अन्तर्गत ४२,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री प्रताप नारायण तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ६ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६—स्टाम्प के अन्तर्गत ४२,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,८८,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री प्रताप नारायण तिवारी—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ९ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ९—के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,८८,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन

श्री राममूर्ति–

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन–के अन्तर्गत २,३८,०८,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री प्रताप नारायण तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १० के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत २,३८,०८,४०० रुपये की अनुपूरक मांगें १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २५,३५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री प्रताप नारायण तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हुं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १२ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १२ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २५,३५,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १३—कारागार

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३—कारागार—के अन्तर्गत ११,६४,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १३ की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न वह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १३ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—कारागार के अन्तर्गत ११,६४,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १४—पुलिस

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत ६७,६७,९०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १४ की मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत ६७,६७,९०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या—१७—शिक्षा

शिक्षा मंत्री (श्री नवलकिशोर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अन्तर्गत १,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रूपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अन्तर्गत १,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८—चिकित्सा

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—चिकित्सा के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या १८ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या १८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८—चिकित्सा के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या १९ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या १९ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास

कृषि मंत्री (श्री फूलसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत ३७,९१,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या २० के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत ३७,९१,२०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन

श्री फूलसिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत २०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या २२ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—पशुपालन तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २४—उद्योग

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या २४ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत ९३,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या २५ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत ९३,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत ३,५०,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या २७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या २७ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत ३,५०,६०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां

श्री नवलकिशोर—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत ७,००,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता कि संपूर्ण अनुदान संख्या २८ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या २८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत ७,००,२०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३०—राजस्व

श्रम मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०—राजस्व के अन्तर्गत ३०,४२,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि संपूर्ण अनुदान संख्या ३० के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या ३० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०--राजस्व के अन्तर्गत ३०,४२,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७--सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गेंदासिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७--सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत ७,२६,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री प्रतापनारायण तिवारी--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या ३७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या ३७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७--सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत ७,२६,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९--परिवहन

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९--परिवहन के अन्तर्गत १,२२,३१,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री प्रतापनारायण तिवारी--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या ३९ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या ३९ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९---परिवहन के अन्तर्गत १,२२,३१,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४४---वन

आबकारी मंत्री (श्री गोविंद सहाय)---

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४--वन के अन्तर्गत २५,३०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी---

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या ४४ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४४ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४---वन के अन्तर्गत २५,३०,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४५---प्रकीर्ण व्यय

श्री राममूर्ति---

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४५---प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ११,८३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या ४५ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या ४५---प्रकीर्ण व्यय के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५---प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ११,८३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४७--कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय

श्री फूलसिंह--

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७--कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २५,००,००० रुपये की अनपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या ४७--के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या ४७ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७--कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २५,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

श्री राममूर्ति--

अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २,२३,००,२०० रुपये की अनपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या ४८ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या ४८ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २,२३,००,२०० रुपये की अनपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४८-क—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्रम मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हुं कि अनुदान संख्या ४८-क—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १५,९१,३४,००० रुपये की अनपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८-क—बहु प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १५,९१,३४,००० रुपये की अनपूरक मांग १९६६-६७ के लए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री बनारसीदास—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या ४९ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या ४९ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री गेंदासिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २६,६६,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या ५१ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या ५१ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २६,६६,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन और अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन और अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ४,५९,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संपूर्ण अनुदान संख्या ५२ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५२ के अधीन मांग की धनराशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन और अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ४,५९,४०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनायें

श्री गेंदासिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनायों के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६-६७ के लिय स्वीकार की जाय।

श्री प्रतापनारायण तिवारी—

मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५४ के अधीन मांग की धनराशि टा कर व१ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४--राज्य व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६--६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५५---व्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५--व्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ८०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६--६७ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री प्रतापनारायण तिवारी---

मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५५ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५५ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५---व्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ८०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६६--६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६--६७ का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, १९६७

वित्त मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष महोदय मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६--६७ का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, १९६७ को पुरः स्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६--६७ का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, १९६७ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६--६७ का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, १९६७ को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

तत्सम्बन्धी साहित्य फौरन बांट दिया जाय।

(साहित्य बांटा गया)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६-६७ का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, १९६७ पर विचार किया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय माननीय वित्त मंत्री ने जो विनियोग विधेयक सदन के समक्ष रखा है, अनुपूरक बजट पर सबसे पहले मेरा विरोध यह है कि यह जो अभी सरकार गयी है सुचेता कृपालानी की उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने कितने पूरे और कितने अनुपूरक बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किये और चलते चलाते में यह कोशिश की गयी सरकारी पार्टी की ओर से कि पुरानी विधान सभा का अन्तराल अधिवेशन हो और उसमें इसको पास कराया जाय। संयुक्त विधायक दल ने इसका विरोध किया और माननीय राज्यपाल को भी उसके विरोध के सामने झुकना पड़ा। इस सरकार को अपनी हैसियत का कोई अन्दाज नहीं है। इस सदन में बहुत से नये सदस्य आये हैं, इधर भी और उधर भी। स्वागत है उनका बहुत अच्छे जज्बात हैं उनके। मगर उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यह सरकार बहुत धीरे से पैसा ले लेती है जिस तरह आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और कोई पाकेट मार आ कर आपकी पाकेट साफ कर दे। इसी तरह से यह सरकार लगातार बीस वर्षों से कर रही है। यह परम्परा गलत है मंत्री जी। आप बहुत काबिल आदमी हैं, मेरे पुराने दोस्तों में से हैं। इस परम्परा का निर्वहन जबतक आप यहां हैं दो, चार दिन, आप न कराइये। जो आपका लेना है वह एक बार सदन के समक्ष रखिये। १५ करोड़ एक योजना में मांगते हैं। इनको योजना की हैसियत का पता नहीं। सिंचाई मंत्रीजी, एक बार छितौनी बांध के बारे में बहुत सुनते थे। "बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो काटा तो एक कतरा खूं न निकला।" हम लोग चिल्लाते रह गये कि छितौनी बांध को तोड़ डालिये, नये सिरे से बनाइये। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अभी केन्द्रीय सरकार ने हम लोगों के हल्लागुल्ला करने पर साढ़े ४ करोड़ का बजट बनाया है और कह दिया है कि ३० जून तक डेढ़ करोड़ रुपया खर्च कर दिया जाय। अभी ट्रेन में जब मैं आ रहा था तो वहां के कांग्रेसी विधायकों से पूछा कि आपको इसकी हैसियत का पता है? तो उन्होंने कहा कि अभी वहां कुछ काम हो ही नहीं रहा है।

कहते हैं कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ग्यारह हजार वोटों से हार गये। यह सही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह दलील दे कर सरकार के लोग अगर यह साबित करें कि भुखमरी नहीं है तो मैं मान नहीं सकता। ग्रामवासी जी कांग्रेस के आदमी हैं। उनका लेख मैंने पढ़ा है। वे कहते हैं कि डेढ़ सौ आदमी भूखों मर गये। मेरे प्यारे धर्मवीर, जरा आज का "आज" अखबार आप पढ़ लें। जबतक यह अल्पमत की सरकार यहांसे जायगी नहीं यह भुखमरी मिट नहीं सकती। आप पैसा मांगते हैं, ले लेते हैं। बहुमत तो आपका नहीं था मगर बात आप बहुमत की करते हैं। जनता ने २२५ विरोधी पक्ष के लोगों को ६८ फीसदी वोट दे कर यहां भेजा है और आप कवल १९८ यहां चुन कर आये थे। यह हिन्दुस्तान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जायगा। आप हरियाणा को देखिये, ध्वस्त हो गया। पांडेचरी की सरकार ध्वस्त हो गयी। मैं कहना चाहता हूं कि अगले डेढ़ वर्षों के अन्दर आपकी भी सरकार बिलकुल ध्वस्त हो जायगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह जमाना लद गया जब बड़े मियां लखनऊ में फाख्ता उड़ाया करते थे इसलिये कि हम तो बराबर हैं। मैं अभी देख रहा था। एक कांग्रेस के सदस्य शायद पानी पीने जा रहे थे तो माननीय बनारसीदासजी कह रहे थे कि बैठे रहो। अरे, कब तक मेढकों को बांध कर रखोगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने गलत काम किया है, जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ की है। १६ साल के मेरे दोस्त गेंदा सिंह जी हैं। जब चार सेर का गेहूं बिकता था तो मेरे दोस्त थे और आज जब ६ छटांक का हो गया तो उधर चले गये। बड़े छापे मारे। लखनऊ और मेरठ में हड़ताल भी हो गयी। मगर नतीजा क्या निकला?

[श्री उग्रसेन]

खोदा पहाड़ निकली चुहिया। एक छटांक भी गल्ला सस्ता हुआ ? केरल, मदरास, बंगाल वगैरा में जहां गैर कांग्रेसी सरकार हैं वहां भाव कम हो गये थे। यह भी मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को आशा थी कि यहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी तो चीजों के भाव कम होंगे। यदि भाव कम करना है और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को करना है, मैं अपने दोस्त माननीय नेकराम शर्मा जी से कहता हूं, मुझे दर्द है, इस प्रदेश में पाप के भागी आप बनेंगे। अगर इस प्रदेश से कांग्रेसी सरकार नहीं गई तो आप इसके जिम्मेदार ठहराये जायेंगे क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे साथ आपने कंधे से कंधा लगा कर काम किया है और चुपके से आप राज भवन में चले गये। सरकार ने जनता के साथ खिलवाड़ किया है। मैं सदन से कहता हूं कि वह कतई सरकार को अधिकार न दे अगर सरकार को अधिकार नहीं दिया गया तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जायेगा। इसलिये हम मांग करते हैं कि एक जज बैठे और देखे कि जब उग्रसेन एम० एल० ए० नहीं थे तो उनकी क्या हैसियत थी और अब उनकी क्या हैसियत है ? इसी तरह से वह देखें कि पहले मुजफ्फर हसन जी की क्या हैसियत थी और अब क्या है ? अगर दोनों भ्रष्टाचारी हों तो दोनों को गोली मार दी जाय। मैं कहना चाहता हूं कि इस गोमती में कितना बहाव है। यह बड़ा विशाल दरिया है और बंदरिया पुल के नीचे कितना बहाव है यह भी आपको मालुम हो जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार कब रुकेगा ? उस समय रुकेगा जब कि जज का कमीशन बैठेगा उसमें आप चाहें माननीय झारखंडे राय या विकल जी को बिठायें। उस समय दूध का दूध और पानी का पानी रह जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र प्रणाली के अनुसार मैं इस विधेयक का विरोध तो नहीं कर सकता लेकिन इसकी बहस में हिस्सा ले सकता हूं क्योंकि सदन ने ग्रांटों को पास कर दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो खर्चा आप करना चाहते हैं और जिसको आपने सदन से पास करा लिया है, मैं आपका ध्यान सीमांत की सड़कों की ओर ले जाना चाहता हूं। मुझे याद है कि दस साल पहले जब मैं इस माननीय सदन का सदस्य था तो मैंने कहा था कि ताकलाकोट दुश्मन से बहुत नजदीक है। यह बात मैंने दस साल पहले कही थी और ५ साल मैं सदस्य नहीं रहा और आज भी वह दूरी कम नहीं हुई है। इसलिये वहां पर सड़क बनाई जाय। मुझे माननीय स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री जी की याद आती है जब उन्होंने काला ढुंगी-नैनीताल-दिल्ली सड़क का उद्घाटन किया था। यह इतनी महत्वपूर्ण सड़क है कि हमारे देश का जनरल देहली में ब्रेकफास्ट करेगा और डिनर के समय वह वहां पहुंच जायेगा। इस सड़क की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जब हमारी सप्लाई लाइन ही क्लीयर नहीं होगी तो ताकलाकोट में पड़े हुये कैसे दुश्मन का मुकाबला किया जायेगा। पहले जो दुश्मन के पास फौज थी उससे आज दुगनी हो गई है। वहां बाय स्काउटस ने मुकाबला किया था और आज भी वहां खतरा है। वहां सेना लड़ रही है हमारे बहादुर लड़ रहे हैं लेकिन जब सप्लाई लाइन ही क्लीअर नहीं होगी तो कैसे दुश्मन से मुकाबला किया जा सकता है। इस प्रश्न की ओर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि मुख्य मंत्री जी को अब फुर्सत हो गई है इसलिये अब वह इस ओर ध्यान देंगे। मैं निवेदन करता हूं कि खर्चे का उपयोग सही हुआ है या नहीं, इसका भी विश्वास दिलाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय माननीय सदन का नहीं लूंगा। मैं केवल २, ३ बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो यह है कि सूखे की जो हालत प्रदेश में पैदा हो गयी है उससे मुकाबला करने के लिये जो बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया वह बिलकुल असफल रहा। इसमें पम्पिंग सेट और बिजली के खम्भे गाड़ने के लिये जो

कर्जे या अनुदान की व्यवस्था की गयी थी वह बड़े पैमाने पर नहीं हुई और नतीजा यह हुआ कि आज भी खम्भे गड़ गये हैं उनको पैसा नहीं मिला और बोरिंग भी ठीक से नहीं हो रही है। इस लिये मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान इस मामले में आकर्षित करना चाहता हूं। हालत बड़ी जटिल है। गन्ना की बुवाई के लिये पलेवा करना है और पानी की व्यवस्था नहीं है।

माननीय नवलकिशोर के पास हरिजन कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग है। हरिजन कल्याण विभाग में पिछले साल तक गरीब लड़कों को किसी भी गजेटेड आफिसर से इन्कम सर्टिफिकेट मिलने पर छात्रवृत्ति मिल जाती थी। लेकिन इस साल एस० डी० ओ०, का सर्टिफिकेट जिन लोगों ने दिया है उन्हीं को छात्रवृत्ति दी जा रही है। हजारों लड़के, जो फर्स्ट क्लास हैं, उन के फार्म रिजेक्ट हो गये हैं। इसलिये आज इस बात का निर्णय लें कि इस साल पुरानी व्यवस्था चलने दें कि किसी भी गजेटेड आफिसर का इन्कम सर्टिफिकेट मान्य हो। अगले साल जो नयी नीति हो वैसा करेंगे ताकि इस सूखे का मुकाबला करनेमें विद्यार्थियों पर जो मुसीबत आ गयी है उसमें सुविधा मिल सके।

माननीय गेंदासिंह ने १०० रुपये की अनुपूरक मांग पेश की तो माननीय बहुगुणा जी ने कहा कि इसका समर्थन तो करो। माननीय नेगी जी स्टेट ट्रेडिंग और बफर स्टाक की बात हमेशा चिल्ला कर कहा करते थे। अगर मैं भूलता नहीं तो एक बार १६ करोड़ रुपया सदन से मंजूर करवाया। तो आज सौ रुपये से कैसे किसी को विश्वास हो सकता है कि स्टेट ट्रेडिंग और बफर स्टाक हो जायगा? अगर आप फीगर्स उठा कर देखें तो पता चलेगा कि सरकार के प्रयत्न गल्ला खरीदने और बफर स्टाक बनाने के असफल रहे। पिछली बार माननीय गेंदा सिंह ने जब कि वह कृषि मंत्री थे हम लोगों को चूहे खाने की सलाह दी थी। उसका देश और प्रदेश में इतना बड़ा मखौल उड़ाया गया। उसी तरह से उनके बफर स्टाक की हालत होगी क्योंकि सरकार की नीति में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। मैं वित्त मंत्री से कहूंगा कि १९०४ से आज तक खेती की प्रति एकड़ पैदावार उठा कर देखें, उनकी नयी नयी नीतियों के बाद भी, प्लानिंग पर अरबों रुपया खर्च करनेके बाद प्रति एकड़ पैदावार गिरती गयी है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। नयी पालिसी बनानी होगी। तभी खेती के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। कच्चे कुंये की बात कही गयी। मैं बहराइच का उदाहरण देता हूं। लोगों ने कच्चे कुंओं केलिये कागज पर रुपया ले लिया और कुएं नहीं बने। पचास फीसदी काम काजगी रहा है। उसमें जनता को धोखा दिया गया। आप इस प्रदेश को उभारने का प्रयत्न करें। अन्त में, मैं विनियोग विधेयक का विरोध करूंगा, सरकार की नीतियों में कोई आमूल परिवर्तन होने वाला नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, मेरे दोस्तों ने उस ओर बैठे हुये जो सलाह दी है और जो बातें कहीं हैं, जैसा कुछ उनका रूख है उसमें भी जो कुछ तथ्य निकाल सका उनको निकलाने की कोशिश करूंगा। कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनकी बात लड़ाने में कोई फायदा नहीं है। इस सदन में जो माननीय सदस्य चुनकर आए हैं, वे अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं और अपने अपने विचारों के वे मालिक हैं। कौन पार्टी १० परसेन्ट वोटों पर चुनकर आयी और कौन सी चार परसेन्ट वोट पर इस सदन में बैठी है, चूंकि यहां पर ऐसी चर्चा उठाई गयी इसलिये मुझे इसपर कहना पड़ा दलों के बारे में, नहीं तो मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई एक परसेन्ट भीनहीं हैं, साथ ही एक परसेन्ट वाले भी यहां पर बैठे हैं, लेकिन इन बातों से कोई लाभ नहीं है। जो एक परसेन्ट वाले बैठे हैं मैं उनसे नहीं कह सकता कि आप यहां पर क्यों बैठे हैं? यह प्रजातन्त्र का रूप है वोट के ऊपर आप जीतकर आए और मैं भी जीतकर आया हूं। एक शिकायत यह है कि उधर आए लोग इधर क्यों गये। कुछ लोग हैं जो इन्डेपेन्डेन्ट हैं, उन्होंने सबको हराया, उन्होंने कांग्रेस को भी हराया तो विभिन्न पार्टी के खड़े लोगों को भी उन्होंने हराया

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

क्योंकि उनके सामने विभिन्न पार्टियों के लोग भी खड़े थे। दल बने, और दल मौजूद भी हैं आपको अधिकार है हमें हटाने का और हमें अधिकार है कि हम बहुमत के द्वारा अपनी नीति और अपनी बात आप से मनवायें। हम खुशी है कि माननीय प्रताप सिंह जी ने कहा कि मैं विनियोग लेखे का विरोध नहीं कर सकता किन्तु प्रजातन्त्र की परम्परा है। इसलिये मैं अपने मित्रों से जिन्होंने कहा हैकि मैं इसका विरोध करता हूं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे हमें सलाह देने के मौके ढूंढ़ते रहें, लेकिन वे परम्परोंओं का त्याग न करें।

दूसरी बात जो ऊदल जी ने कहीं कि कच्चे कुवें बने वे झूठ हैं। पता नहीं वह जानकारी उनको कहां से है---

श्री ऊदल---

सब के बारे में नहीं कहा है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

ठीक है आपका कहना है बहुत बने बहुत नहीं बने। मान्यवर हम लोगों ने चुनाव में काम किया, हम अपनी अपनी इमारत भी बनवाते हैं अपने काम में हमें लोग धोखा भी दे जाते हैं। लेकिन हम मजबूर हैं और आप कोई काम करेंगे तो आप को भी लोगों से धोखा हो सकता है क्योंकि यह मनुष्य की कमजोरी है, हर मनुष्य किन्हीं विशेष परिस्थितियों में धोखा कर सकता है। कुवें बने हैं, सब के सब बन गये हैं यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि बड़ी भारी मात्रा में कुवें नहीं बने। अगर किसी विशेष स्थिति में किसी गांव का नाम लेकर कोई भी सदस्य माननीय उग्रसेन जी या ऊबल जी या अन्य कोई भाई हमें सूचित करेंगे कि उक्त ग्राम में,उक्त तहसील में इस जिले में १० आदमियों ने कुवें के लिये अनुदान लिया किन्तु उसमें ८ कुवें बने, तो मैं उनका बड़ा अनुगृहीत होऊंगा। क्योंकि इसी रास्ते बात की पकड़ आ जायेगी।

श्री उग्रसेन---

२० रुपये में कुंवें क्या बनेंगे? यह तो मखौल है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

इसमें बे सिर होने की क्या बात है, मैं तो आपको दावत देता हूं। मेरा तो कहना इतना ही है कि यदि कोई सदस्य इन बुराइयों को दूर करना चाहता है तो इन बुराइयों की जड़ पर ही ही सही चोट की जाए। हम बुराई नहीं दूर कर सकेंगे अगर हवा में हम केवल दिखावे के लिये चोट करेंगे। अगर किसी की इस बारेमें कोई शिकायत आवेगी तो उसकी पूरी जांच होगी और इतना ही नहीं कच्चे कुवें के बारे में जो शिकातय होगी तो मैं शिकायत कर्त्ता सदस्य को उस अधिकारी के साथ भेजूंगा जो उसकी जांच के लिये जाएगा। अगर आप ऐसा करें और अपना सहयोग दें तो बड़ी भारी सेवा इस प्रदेश की करेंगे।

अब मैं इस विनियोग विधेयक और उसके खर्चे के बारे में कहकर पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता सब का सब प्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर है और ८० फीसदी से ज्यादा इस प्रकार का है जो बहुत लाभकारी है। इससे विद्यार्थियों को वजी के मिलेंगे, रोगियों की चिकित्सा का अच्छा बन्दोबस्त होगा। यह खर्चा चाहे पिछली सरकार के जमाने में हुआ हो या इस सरकार के जमाने में होने वाला हो, मैं उस रुप में नहीं देखता, मैं देखता हूं कि खर्चा किस कार्य पर होगा। अगर खर्चा सही है तो कल हुआ हो या आज हो सही है और अगर गलत है तो कल हुआ हो या आज

गलत है। इतना ही आश्वासन मैं इस अवसर पर दे सकता हूं कि हम इस खर्च पर कड़ी नजर रखेंगे और कोई भी खर्चा जनता की गाढ़ी कमाई का अगर फजूल हो जायगा तो हम उसे बरदाश्त नहीं करेंगे।

बार्डर रोड्स आर्गनाइजेशन की चर्चा की गयी। माननीय प्रतापसिंह जी ने उन सड़कों की चर्चा की। उस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने की जरूरत है। गवर्नर साहब के ऐड्रेस में बार्डर और पहाड़ी क्षेत्रों के डेवलपमेंट के सिलसिले में जो बात आई है उसको देखते हुये मेरा विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही वह यंत्र आयेगा, सालों लगने वाला नहीं है और उसके द्वारा वहां की सड़कों, उत्पादन को बढ़ाने, वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने आदि सभी बातों की चर्चा होगी। इस सूबे के जितने हिस्से हैं चाहे वह बुंदेलखंड का, चाहे पूरब का, चाहे पश्चिम का, चाहे मध्य का हो, जो भी पिछड़े इलाके हैं उन सब के लिये हम सारे उत्तर प्रदेश की सामूहिक प्रगति करेंगे। इन शब्दों के साथ में इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से इन विनियोग विधेयक को पारित करने के लिये प्रार्थना करूंगा।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, १९६७ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३, १, अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, १९६७

३१ मार्च, १९६७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के अठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

१––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का तृतीय अनुपूरक) संक्षिप्त शीर्षनाम अधिनियम, १९६७ कहलायेगा।

२––ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए जो ३१ मार्च, १९६७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ३१,०७,४२,३०० (इकतीस करोड़ सात लाख बयालिस हजार तीन सौ रुपये) होता है, अधिक न हो। उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष, १९६६–६७ के लिए ३१,०७,४२,३०० रु० का दिया जाना

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहृत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६७ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें २ व ३ देखें)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत् जोत-कर ..	२०,९००	..	२०,९००
२	भू-राजस्व ..	१२,१६,१००	..	१२,१६,१००
३	राज्य आबकारी ..	..	२,०००	२,०००
६	स्टाम्प ..	४२,०००	..	४२,०००
७	निबन्धन ..	..	२००	२००
८	राज्य विधान मण्डल ..	..	६,०००	६,०००
९	सामान्य प्रशासन ..	१,८८,२००	..	१,८८,२००
१०	आयुक्त और जिला प्रशासन	२,३८,०८,४००	..	२,३८,०८,४००
१२	न्याय प्रशासन ..	२५,३५,१००	१,१०,१००	२६,४५,२००
१३	कारागार ..	११,६४,०००	..	११,६४,०००
१४	पुलिस ..	६७,६७,९००	४५,०००	६८,१२,९००
१७	शिक्षा ..	१,४००	१६,१००	१७,५००
१८	चिकित्सा ..	४००	..	४००
१९	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	३००	..	३००

अनुसूची (असमाप्त)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
२०	कृषि-सम्बन्धी विकास ..	३७,९१,२००	५,२००	३७,९६,४००
२२	पशुपालन और मत्स्य पालन	२००	..	२००
२४	उद्योग ..	२००	..	२००
२५	नियोजन और समन्वय ..	९३,००,०००	२५,८००	९३,२५,८००
२७	सूचना निदेशालय ..	३,५०,६००	..	३,५०,६००
२८	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	७,००,२००	..	७,००,२००
३०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य ..	३०,४२,०००	४००	३०,४२,४००
३६	संचार साधनों का सुधार ..	..	१,६००	१,६००
३७	सार्वजनिक निर्माण–कार्य अधिष्ठान ..	७,२६,०००	१,९००	७,२७,९००
३९	परिवहन ..	१,२२,३१,७००	..	१,२२,३१,७००
४४	वन ..	२५,३०,१००	९८००	२५,३९,९००
४५	प्रकीर्ण व्यय ..	११,८३,१००	..	११,८३,१००
	भारित विनियोग—			
	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	५,३७,३६,६००	५,३७,३६,६००

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अनुसूची (समाप्त)

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
४७	कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय	.. २५,००,०००	..	२५,००,०००
४८	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	.. २,२३,००,२००	..	२,२३,००,२००
४८-क	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	.. १५,९१,३४,०००	..	१५,९१,३४,०००
४९	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय	.. १००	४५,८००	४५,९००
५१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	.. २६,६६,०००	..	२६,६६,०००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	.. ४,५९,४००	..	४,५९,४००
५३	पेंशनों का राशिमूल्य	.. ..	७५,२००	७५,२००
५४	राज्य व्यापार की योजनायें	.. १००	..	१००
५५	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	८००	..	८००
	योग	.. २५,६६,६०,६००	५,४०,८१,७००	३१,०७,४२,३००

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, १, प्रस्तावना, शीर्षक तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, १९६७ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६६–६७ का तृतीय अनुपूरक) विधेयक, १९६७ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बुलन्दशहर के दादरी तथा सिकन्दराबाद कस्बों में पुलिस द्वारा जबरदस्ती मकानों को गिराये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं आयी हैं, उनमें माननीय रामचन्द्र विकल की एक सूचना है, पढ़कर सुनाये देता हूं, उसको आंशिक रूप में मैंने स्वीकार किया है :—

"बुलन्दशहर के दादरी तथा सिकन्दराबाद कस्बों में पुलिस द्वारा जबरदस्ती करके सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के किनारों के मकानों को गिराया जा रहा है। यह मकान ५०–६० वर्ष पहले तक के बने हुये हैं। मकान गिराने के पूर्व न तो कोई नोटिस दी गयी और न अन्य प्रकार की कोई सूचना। बुलडोजरों द्वारा मकान गिराये गये हैं। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने से अनेक व्यक्ति घायल हो गये हैं। शरणार्थियों की एक बाजार को पूरा उजाड़ दिया गया है। नागरिकों को बन्दी भी बनाया जा रहा है।

इस अमानुषिक आतंक से जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। वातावरण बड़ा विस्फोटक हो गया है। सरकार के प्रति घोर असन्तोष एवं उत्तेजना व्याप्त होकर शान्ति तथा व्यवस्था के लिए संकट व्याप्त है।

अस्तु लोक महत्व के इस निश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर विचार करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसमें मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से वक्तव्य चाहता हूं। अगर वह इस समय वक्तव्य देने को तैयार हों तो वह अभी अपना वक्तव्य इस सम्बन्ध में दे दें वरना वह कोई समय बतला दें हम उस समय इसको ले लेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मैंने कल स्वयं सिकन्दराबाद और दादरी में मौके पर आकर देखा है। दादरी में उन लोगों को मैंने देखा जिन के ऊपर लाठी से पुलिस ने हमला किया। उनके जख्मों को भी देखा है। कितने ही लोगों की कमर टूटी हुई है....

श्री अध्यक्ष---

आप इसकी ग्राह्यता के बारे में कह रहे हैं। यह तो मान लिया गया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, आप विकल जी को, जो विरोधी दल के नेता हैं, उनको विकल जी कहकर सम्बोधित कर रहे हैं। अभी आप ने उन को नेता विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान की है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---

पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार यदि मैं सर नेम से उनको विकल जी कहकर पुकारता हूं तो यह उचित ही है। माननीय विरोधी दल के रूप में जैसा अभी तक सदन में भाषणों से समझा, पत्रों में प्रकाशन से समझा और यहां पर जो विभिन्न दलों से सम्बन्धित सदस्यों ने कहा उस से समझा, मैंने माननीय रामचन्द्र विकल जी को नेता विरोधी दल के रूप में सम्बोधित किया है। जब अवसर आया तो उनको इसी नाम से बुलाया भी है।

मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस में तुरन्त चर्चा होने की आवश्यकता है और कम से कम समय लगने की आवश्यकता है तो वे कृपया बतला दें कि कब इस पर वक्तव्य होगा। कल हो जाय तो अच्छा है।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गेंदासिंह)---

कल तो सूचना थोड़ी ही मिल सकेगी।

श्री अध्यक्ष---

जितनी भी सूचना मिल सके उतनी ही आप सदन को दे दें आप अपनी ओर से पूरा प्रयास करके सूचना देने का प्रयत्न करें तो अच्छा है।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गेंदासिंह)---

मैं प्रयत्न करूंगा कि कल जितनी भी सूचना प्राप्त हो सके, वह मैं सदन के समक्ष रखूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

एक माननीय चन्द्रबली सिंह जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना आयी थी उसको मैंने अस्वीकृत कर दिया है। उसके बारे में इसी अनुपूरक बजट के समय चर्चा हो चुकी है।

मेरे पास कुछ और सूचनाएं नियम ५१ के अन्तर्गत आयी हैं। एक माननीय बृज मोहन दास अग्रवाल की आयी है। इसको मैंने सम्बन्धित मन्त्री के पास उचित कार्यार्थ भेज दिया है। इसी प्रकार एक माननीय मंगल देव, आजमगढ़ की भी सूचना आयी है, उसको भी मैंने सम्बन्धित मन्त्री के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया है। इसी प्रकार से एक माननीय अयोध्या प्रसाद जी की सूचना आयी है। उस को भी मैंने कार्यवाही के लिए माननीय मन्त्री के पास भेज दिया है। इनके अतिरिक्त जो और अन्य सूचनायें थीं, उनको मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२० मार्च, १९६७।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३ एल० ए०—१९६७—८४६।